खण्ड-119, अंक-3
बुधवार, 6 फाल्गुन, शक संवत् 1874
(25 फरवरी, 1953 ई0)

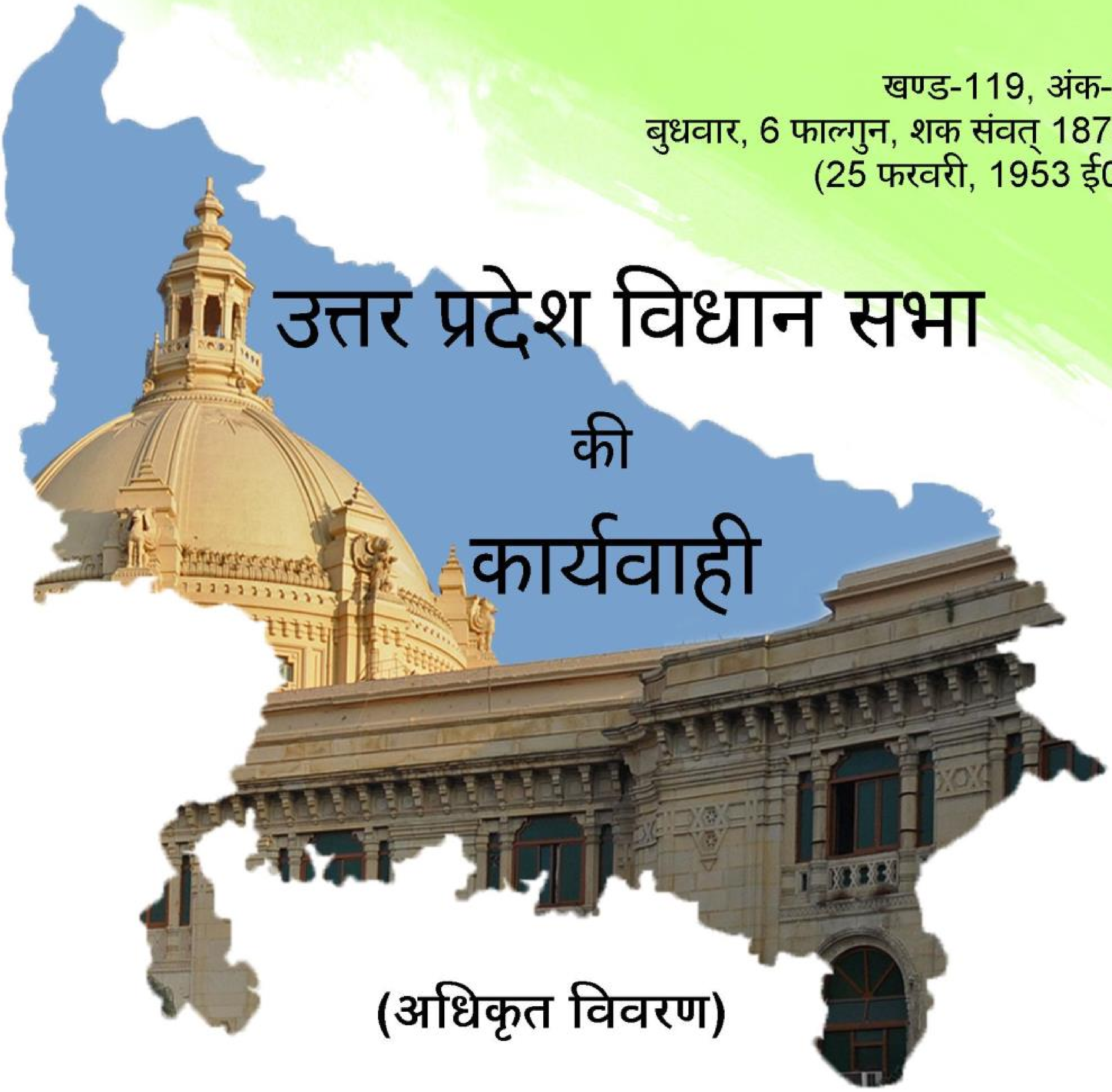

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 119 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५३

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २५ फ़रवरी, १९५३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५८)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदारनाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री

गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रभानु शरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्र सिंह रावत, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह निरञ्जन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद ,श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डालाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिन बिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेम किशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह, श्री

फ़तेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हक़ीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मुज़फ़्फ़र हसन, श्री
मुनीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम हाफ़िज़, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनाप्रसाद, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचरण लाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री

रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राम मूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
लक्ष्मणराव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली ख़ां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विचित्र नारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
बिद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्य सिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती

सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त व.जपेयी, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुना, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

पिथौरागढ़-चम्पावत (जिला अल्मोड़ा) में महिला चिकित्सालय की आवश्यकता

*१--श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--क्या स्वास्थ्य मन्त्री को यह ज्ञात है कि पिथौरागढ़-चम्पावत निर्वाचन क्षेत्र, जिला अल्मोड़ा में जिसकी आबादी साढ़े तीन लाख है स्त्रियों के लिए कोई अस्पताल नहीं है ?

अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)--उक्त क्षेत्र के पिथौरागढ़ स्थान में एक राजकीय महिला चिकित्सालय (womens wing) कार्य कर रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार के पास सिविल सर्जन, अल्मोड़ा का कोई सूचना-पत्र आया है कि वर्त्तमान व्यवस्था अस्पताल की सुचारु रूप से नहीं चल रही है ?

श्री बनारसी दास--जी नहीं।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार के पास इस विषय पर जनता की ओर से कोई रेप्रेजेंटेशन आया है ?

श्री बनारसी दास--जी नहीं, अभी वहां तीन शैया हैं। यदि इस प्रकार का कोई सुझाव संचालक के पास आयेगा तो उनकी सुविधा व शैया बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार को विदित है कि मौजूदा महिला चिकित्सालय पिथौरागढ़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मर्दाना अस्पताल के एक साधारण कमरे में खोला गया है ?

श्री बनारसी दास--जी हां।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार बतलायेगी कि कब तक इस चिकित्सालय के लिये अलग भवन बन जायगा ?

श्री बनारसी दास--अभी तक इस प्रकार का कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*२—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—क्या सरकार उक्त निर्वाचन क्षेत्र में एक जनाना अस्पताल खोलने का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास—वर्तमान समय में सरकार के सम्मुख कोई सुझाव एक दूसरा महिला चिकित्सालय उक्त क्षेत्र में खोलने के लिए नहीं है ।

*३—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट—यदि हां, तो उक्त विचार कब तक कार्यरूप में परिणत हो जायगा ?

श्री बनारसी दास—प्रश्न ही नहीं उठता ।

*४-५—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—[२६ फरवरी, १९५३ के लिये संख्या १०-११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

सितारगंज जिला नैनीताल के चिकित्सालय का निर्माण

*६—श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को मालूम है कि सितारगंज, जिला नैनीताल का अस्पताल बिलकुल टूटी-फूटी हालत में है ? अगर हां, तो सरकार उसके निर्माण या मरम्मत के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसी दास—जी हां, सितारगंज चिकित्सालय की इमारत बहुत जीर्ण अवस्था में है । यह चिकित्सालय जिला बोर्ड के नियन्त्रण में है । यदि बोर्ड का इस विषय पर कोई अनुरोध आवेगा तो उस पर विचार किया जावेगा । साधारणतः जिला बोर्ड अपने चिकित्सालयों की मरम्मत वगैरह स्वयं ही करवाते हैं ?

हल्द्वानी म्युनिसिपल क्षेत्र में पानी की कमी

*७—श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या सरकार को मालूम है कि हल्द्वानी म्युनिसिपैलिटी की सीमा के अन्दर रहने वाले नागरिकों को पीने के पानी की अत्यन्त कमी के कारण भारी कष्ट है ? अगर हां, तो सरकार इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—जी हां, चीफ इंजीनियर, स्वशासन इन्जीनियरिंग विभाग, यू० पी० ने इस सम्बन्ध में एक योजना बना कर भेजी है, जिसकी लागत लगभग १,७८,००० रुपये है ।

इस कार्य के लिये नगरपालिका ने सरकार से ऋण मांगा है । उसके प्रार्थना-पत्र पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि उपर्युक्त योजना के अनुसार कितना पीने का पानी हल्द्वानी म्युनिसिपैलिटी के नागरिकों को उपलब्ध हो सकेगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—इसकी पूरी रिपोर्ट इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि विचार करने में कितना समय लगेगा ?

श्री मोहनलाल गौतम—आशा है कि इस वित्तीय वर्ष में ५० हजार रुपया इस म्युनिसिपैलिटी को दे दिया जायगा ।

दुद्धी तहसील, ज़िला मिर्ज़ापुर के खाद्य विभाग के कर्मचारियों का वेतन

*८—श्री ब्रज भूषण मिश्र (जिला मिर्ज़ापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्ज़ापुर जिले के दुद्धी तहसील के खाद्य विभाग के कर्मचारियों का वेतन गत अक्तूबर महीने से नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—नहीं। दूधी तथा राबर्ट्सगंज के कुल स्टाफ को,अलावा १ सीनियर इन्सपेक्टर, ३ फूडग्रेन्स इन्सपेक्टर और २ कामदार के, वेतन दिसम्बर सन् १९५२ तक मिल चुका है। सीनियर इन्सपेक्टर का वेतन सरकारी मंजूरी न होने की वजह से रुका था वह मंजूरी अब भेजी जा रही है। फूडग्रेन इन्सपेक्टर का वेतन इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वेतन से संबंधित जमानत जो दी हुई थी उसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है। इनमें से एक इन्सपेक्टर त्याग-पत्र दे कर चला गया है और उसका पता नहीं चल सका है। कामदारों का वेतन इसलिए नहीं मिल सका है कि उनके विषय में यह सार्टिफिकेट नहीं प्राप्त हो सका है कि उनके जिम्मे कुछ बाकी नहीं है। दिसम्बर के आगे का वेतन देने के सम्बन्ध में मंजूरी दी जा रही है। इस मंजूरी के देने में इसलिये विलम्ब हुआ कि इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि अब मिर्जापुर में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है।

श्री ब्रज भूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि राबर्ट्सगंज और दूधी तहसील में कुल स्टाफ में कितने कर्मचारी किस किस पद पर हैं ?

श्री बनारसी दास—इसका नोटिस मिलने पर उत्तर दिया जा सकता है।

श्री ब्रज भूषण मिश्र—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, सन् ५२ तक जो वेतन दिया गया वह कब दिया गया ?

श्री बनारसी दास—इसके लिये तो जैसा मैंने बताया कि उसका आदेश दिया जा चुका है कि दिसम्बर, सन् ५२ तक का वेतन दे दिया जाय। जिलों से अभी तक इस बात की रिपोर्ट नहीं आई है कि उनका वेतन कब दिया गया।

श्री ब्रज भूषण मिश्र—उत्तर में यह कहा गया है कि एक सीनियर इन्सपेक्टर, दो फूड इन्सपेक्टर और दो कामदार का वेतन दिसम्बर, सन् ५२ तक मिल चुका है मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री बनारसी दास—उसकी यहां पर कार्यालय में कोई रिपोर्ट नहीं है। जिलों से वेतन दिया जाता है और वह दे दिया गया होगा।

जौनपुर राशनिंग विभाग के कर्मचारियों की छटनी

*९—श्री बाबू नन्दन (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर राशनिंग विभाग से कितने कर्मचारियों की छटनी हुई है ?

श्री बनारसी दास—जौनपुर राशनिंग विभाग में दो कपड़े के इन्सपेक्टर, दो कपड़े के क्लर्क, एक सप्लाई आफिस के हेडक्लर्क और एक क्लर्क की छटनी की गई है।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्यों राशनिंग तथा सप्लाई विभाग से कर्मचारी निकाले गये ?

श्री बनारसी दास—क्योंकि राशनिंग विभाग का कार्य क्रमशः कम हो गया है और कपड़े के ऊपर से नियन्त्रण काफी ढीला कर दिया गया है। इसलिये कपड़े के नियन्त्रण को चलाने के लिये जितने कर्मचारी थे उनके स्थान को कम करने की आवश्यकता पड़ी।

श्री बाबू नन्दन—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अब कुल कितने कर्मचारी राशनिंग विभाग तथा सप्लाई विभाग में काम कर रहे हैं ?

श्री बनारसी दास—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह कर्मचारी जिन्होंने सप्लाई विभाग में काम किया है उनको अन्य स्थानों में एकामोडेट करने के लिये सरकार विचार कर रही ?

श्री बनारसी दास—इसका उत्तर १० में दिया जा चुका है कि 'जी हां'। इस सम्बन्ध में सप्लाई विभाग की तरफ से और मुख्य सचिव की ओर से आदेश दिया जा चुका है जिस जिले

में अन्य विभागों में ऐसे स्थान खाली हों तो वहां पर इस विभाग के कर्मचारियों को जो ईमानदार हों और जिनका कार्य सन्तोषजनक रहा हो उनको उन स्थानों पर सबसे पहिले रखा जाय इस सम्बन्ध में इम्प्लामेंट इक्सचेन्ज को भी लिखा जा चुका है कि इन कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाय ।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सप्लाई अफसरों के भी हटाने की कोई सम्भावना है ?

श्री बनारसी दास---इस समय इसका कोई प्रश्न नहीं है और न अभी तक इसके बारे में कोई निश्चय ही किया है कि सप्लाई अफसरों को हटाना है या नहीं हटाना है ।

श्री रमेश चन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के तमाम जिलों में छटनी हुई है या केवल जौनपुर ही में ?

श्री बनारसी दास---प्रदेश के सभी जिलों में हुई है ।

श्री रमेश चन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह छटनी किन किन नियमों के आधार पर हो रही है ?

श्री बनारसी दास---समस्त प्रदेश के जिलों में जिलाधीशों को आदेश दिये गये हैं और आर० एफ० सीज० को भी लिखा गया है कि उस विभाग के उनके यहां जितने भी कर्मचारी काम करते हों उनको ३ ए बी सी श्रेणी बनाई जायं और सी श्रेणी में केवल वह कर्मचारी रखे जायं जिनका काम संतोषजनक नहीं है या उनकी इन्टेग्रिटी के बारे में कुछ शक है, तथा दूसरे कर्मचारी जिनकी शिकायत नहीं है और जो सीनियर हैं उनकी योग्यता आदि के लिहाज से ए बी श्रेणी में बांट दिया जाय। ए श्रेणी वालों को सब से पहले स्थान दिया जायगा और उसके बाद बी श्रेणी वालों को।

श्री श्रीचन्द्र---क्या मन्त्री जी कृपया बतावेंगे कि इन श्रेणियों के बनाते वक्त कैरेक्टर रोल्स पर भी ध्यान दिया जाता है या नहीं ?

श्री बनारसी दास---यह तो अभी बतलाया गया है कि इन्टेग्रिटी देखी जायगी और उसका सम्बन्ध कैरेक्टर रोल्स से ही है और उसी आधार पर यह वर्गीकरण किया जायगा और किया जा रहा है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि सरकार इन छटनी हुई कर्मचारीगण से पटवारियों का काम लेने जा रही है ?

श्री बनारसी दास---यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---जिनकी ईमानदारी में शक है उनको सी श्रेणी में रखा जायगा, तो क्या इस विभाग में अब तक ऐसे आदमी हैं जिनकी ईमानदारी में शक है ?

श्री बनारसी दास---जी हां, सी लिस्ट में ऐसे लोग आयेंगे जिनका काम सन्तोषजनक नहीं था या जिनकी इन्टेग्रिटी के बारे में शक था, पूरे प्रान्त में ऐसी सूची बनेगी।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---क्या ऐसे मुलाजिमों को जिनकी सर्विस बहुत पुरानी है ए बी लिस्ट बनाते समय खास सहूलियत दी जायगी ?

श्री बनारसी दास---यदि किसी की पुरानी मुलाजिमत है और उनका कार्य भी सन्तोषजनक रहा है तो उनको अवश्य ए और बी लिस्ट में रखा जायगा ?

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या सरकार राशनिंग विभाग को १ जुलाई से तोड़ने का विचार रखती है ?

श्री बनारसी दास---जी पूर्णतः नहीं ।

*१०---श्री बाबू नन्दन---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिन कर्मचारियों की छटनी हुई है उनके लिये सरकार कोई व्यवस्था कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास---जी हां ।

१९५३-५४ के लिए विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री अध्यक्ष---मैं इत्तिला देना चाहता हूं कि स्थायी समितियों का कार्य-काल ३१ मार्च को समाप्त हो जायगा क्योंकि वह वित्तीय वर्ष ५२-५३ के लिये ही बनाई गयी थीं। उनका फिर से चुनाव होना है। इसके लिये यह कार्यक्रम रखा जाता है।

नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा समय---१३ मार्च को ३ बजे तक। नामांकन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा १४ मार्च को २ बजे तक और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि तथा समय २० मार्च को ३ बजे तक। यदि आवश्यकता हुई तो निर्वाचन की तिथि तथा समय २४ मार्च, १९५३ को विधान वाचनालय में ११ बजे से ३ बजे तक।

हज कमेटी के लिए नाम निर्देशित सदस्यों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरी सूचना हज कमेटी के सम्बन्ध में है। उसमें एक सदस्य चुना जाने वाला है। उसमें तीन नाम आये हैं। हकीम हबीबुर्रहमान खां (शाहजहांपुर), श्री बशीर अहमद (सीतापुर) और श्री मुहम्मद मंजूरुल नबी (सीतापुर)। इनकी नामजदगी हो चुकी और सही पायी गयी।

२६ फरवरी, यानी कल, एक बजे तक नाम वापसी हो सकती है। अगर कोई वापस न ले तो एक आदमी का चुनाव होगा।

वित्तीय वर्ष १९५३-'५४ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब वित्तीय वर्ष पर १९५३-५४ के आय-व्ययक साधारण वाद-विवाद जारी रहेगा।

श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री (जिला गोंडा)---मोहतरिम स्पीकर साहब, मैंने कल तालीम के मुताल्लिक कुछ जिक्र किया था। क्योंकि वक्त कम है, मैं एक-एक, दो-दो लफ्ज में जो चीजें कहना चाहता हूं वह अर्ज कर दूंगा।

जहां तक तालीम के सिलसिले में वजीफे देने का ताल्लुक है उसका इन्तजाम कुछ मुनासिब नहीं है। जिन लोगों की पहुंच हो जाती है और वह अप्रोच कर लेते हैं उनको वजीफे आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जितने हकदार हैं, काबिल हैं लेकिन गरीब हैं, उनकी पहुंच नहीं है, उनको वजीफे कभी नहीं मिलते। मैं यह उम्मीद करता हूं कि वजीर तालीम इसके मुताल्लिक खास तवज्जह फरमायेंगे।

जहां तक ग्रांट इन एड की तकसीम का ताल्लुक है, उसके सिलसिले में दो-तीन वर्ष से खराबी हो रही है। जिन स्कूलों में लड़के काफी हैं वहां कम दी जाती है और जहां कम हैं वहां बहुत ज्यादा है। तो एक ऐसा तनासुब मुकर्रर करना चाहिए कि जो स्कूल हकदार हैं उनको मुनासिब तरीके से इमदाद मिल सके।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद इसके कि रूल में मौजूद है, हमारे बहुत से स्कूलों के अन्दर उर्दू और फारसी टीचर कम किये जा रहे हैं और यह कह करके कि लड़कों की तादाद कम है उन टीचरों को अलग कर दिया जाता है। उसका नतीजा यह है कि उर्दू और फारसी की तालीम जिसकी हमें बहुत जरूरत है उनमें काफी कमी होती चली जाती है।

तालीम के सिलसिले में मैं यह अर्ज करूंगा कि हिन्दोस्तान के अन्दर एक बात तय हो चुकी है कि हिन्दोस्तान की कौमी जबान हिन्दी है, मेरा मतलब आसान हिन्दी से है। उस हिन्दी से नहीं जो सवालात के जवाबात में यहां सुनने को मिलती है और जो मुश्किल से समझ में आती है। वह ऐसी जबान न होनी चाहिए जिसके मुताल्लिक अध्यक्ष महोदय और चीफ मिनिस्टर साहब भी खुद बता चुके हैं, बल्कि ऐसी आसान हो जिसके पढ़ने का शौक बढ़े। यकीनन हिन्दी की तरफ ध्यान करनी चाहिए जो देवनागरी रस्मुलखत में हो, लेकिन

[श्री मुहम्मद शाहिद फारूकी]

इसके साथ-साथ जब हम हिन्द की तरक्की की कोशिश करें तो कभी भी हमें यह तरीका न अख्तियार करना चाहिए कि हम हिन्दी को उर्दू की जगह पर ला रहे हैं, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हिन्दी को अंग्रेजी की जगह पर ला रहे हैं। हमारे मद्दे मुकाबिल अंग्रेजी है न कि उर्दू और हिन्दी का रिवाज हमारे उसूल के अन्दर दाखिल है। जहां तक उर्दू जबान का ताल्लुक है वह इस मुल्क की जबान है, और खास कर इस सूबे की जबान है, इसकी खुसूसियत के साथ आपको तवज्जह करनी चाहिए और इमदाद देकर इसके इल्म को बहाल रखना चाहिए जिस में यहां के बाशिन्दे तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में मुतफिक हैं।

सवाल यह होता है कि तालीम के लिये जब रुपय की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो कहां से आये। मैंने कल भी अर्ज किया था कि जनरल ऐडिमिनिस्ट्रेशन का जहां तक खर्चा है उसमें हम जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गये हैं। पहिले साल एक करोड़, फिर दो करोड़ अब ३ करोड़ तक नौबत पहुंच चुकी है। तीन करोड़ सात लाख तक पहुंच चुकी है। हमको उस पर ध्यान देना चाहिए और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन में कमी करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिएस कि उसमें पैसा हमारा फिजूल खर्च न हो।

जहां तक एम्प्लायमेंट एक्सचेंज का ताल्लुक है यह एक भार है हमारे ऊपर और हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। मेरी तो यह राय है और मैं बहुत अदब से अर्ज करूंगा कि एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज से कोई फायदा नहीं दिखलाई देता, इसको तोड़ देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए और इससे जो रुपया बचे वह तालीम की मद में खर्च करना चाहिए। उससे हो सकता है कि मास्टरों की तनख्वाह में भी हम इजाफा कर सकें।

मैंने कल अर्ज किया था कि अदालतों के मुताल्लिक, यहां की जो अदालतें हैं वह गवर्नमेंट के मातहत हैं और कस्टोडियन की जो अदालत है अदालती हैसियत से वह भी इस सूबे से ताल्लुक रखती है। अगर वह बाजाब्ता वाकई अदालत है तो आप कोई जांच कराएं, कोई कमेटी बैठाएं। उनकी अब यह हालत हो गयी है कि जिसका भी जी चाहा उन्होंने नोटिस भेज दिया।

नोटिस भेजने के बाद लोगों को तीन-तीन वर्ष लोगों को दौड़ते हो गये हैं। एक भी तारीख ऐसी नहीं है जिस पर जिनके नाम नोटिस भेजा गया है, जब वह आये तो उनके मुकदमें सुने जायं। नतीजा यह होता है कि परेशान होकर हमारे सूबे के जो बाशिन्दे हैं, जो यहां मौजूद हैं उनको सख्त मुसीबत का सामना करना पड़ता है और आखिर में पैरवी न कर सकने की वजह से उनका हक जायल हो जाता है। इस तरह से कस्टोडियन का मुहकमा और अदालत हमारे सूबे के अन्दर एक वबाल, एक बीमारी, एक मुसीबत बनी हुई है। इस तरफ हमको खास तवज्जह देनी चाहिए।

नियोजन उपमन्त्री (श्री फूल सिंह)—श्रीमन् अध्यक्ष महोदय, बजट के ऊपर इस भवन में दो दिन से जनरल बहस चलती रही है और समाजवादी सिद्धांतों से लेकर किसी वकील का अपने मुवक्किल के सम्बन्ध में लिखे हुए पत्र तक, सभी विषयों की चर्चा हो चुकी है।

मेरा कोई इरादा उस सम्बन्ध में जिक्र करने का नहीं है। केवल दो-एक मोटी-मोटी बातों की तरफ म आदरणीय भवन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बजट पर विचार करते समय मुख्य बात तो यह देखने योग्य है कि बजट के जो एस्टीमेट्स हैं साल के आखिर तक उनका खर्च की वास्तविकता से क्या सम्बन्ध रहता है। मनगढ़ंत आंकड़े तो नहीं इकट्ठे कर दिये जाते। ऐसा तो नहीं जब बजट बनाया जाय तो अच्छी-अच्छी मदों में रुपया रख दिया जाय और जब साल खत्म हो तो उन मदों का रुपया खर्च ही न हो और दूसरे कामों में रुपया खर्च हो जाय।

अगर इस प्रान्त के बजट पर निगाह जाय तो यह मालूम होगा कि पिछले चार-पांच सालों में केवल ४८-४९ ही एक ऐसा साल हुआ जब डेफिसिट बजट हुआ। उसके बाद पारसाल का बजट और डेफिसिट बजट रहा और इस साल का बजट भी डेफिसिट बजट है।

श्रीमान्, जी मेरा यह इरादा नहीं है कि मैं यहां वह सब चर्चा करूं जो एक समय माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने डेफिसिट बजट के सम्बन्ध में इस भवन में की थी। म केवल इतना कह देना चाहता हूं कि अगर इस साल के और प्रान्तों के बजट देखे जायं तो यह अन्दाज होगा कि प्रायः सभी बजट डेफिसिट हैं। मद्रास के बजट में तो दो बातें खास तौर से हैं--एक तरफ तो उन्होंने तीन हजार सरकारी कर्मचारियों को अलग कर दिया है। दूसरे तरफ तीन सौ रुपये से ज्यादा तनख्वाहदार लोगों की तनख्वाहों में दस फी सदी कटौती की है। बजट के सम्बन्ध में दूसरी बात जिसका मैं चर्चा करना चाहता हूं वह यह है कि पिछले दिन विरोधी दल के नेता जी ने यह चर्चा की थी कि हमारे प्रान्त का बजट किसी समय १२ करोड़ था। अब बढ़कर के करीब ७८ करोड़ पहुंच गया है। इतना समय तो नहीं है कि सब चीजों की चर्चा की जाय। मगर मैं भी एक-दो साल के बजट के आंकड़ों की तरफ हवाला देकर यह बतलाना चाहता हूं कि देखना यह चाहिए कि यह बजट डेफिसिट हो जाते हैं वह इस कारण से तो नहीं होते कि आमदनी घटती चली जाती हो या इस कारण से होता है कि खर्चा बढ़ता चला जाय और यह भी तो खर्चे में जो बढ़ोत्री होती है। वह किन कामों पर खर्च होती है। क्या खर्चे की बढ़ोत्री ऐसे कामों के लिये है जिससे जनता को कुछ लाभ हो या केवल सिक्योरिटी सर्विसेज पर और ऐसे ही अन्य कामों पर वह रुपया खर्च होता है। पिछले साल का जो बजट है उसको अगर आप देखेंगे तो यह मालूम होगा कि अगर इस सरकार ने विकास लेवी को लगा दिया होता तो शायद बजट डेफिसिट न होता, बैस बजट हो जाता। तो इस तरह से डेफिसिट बजट सरकार के इस इरादे से हुआ कि अधिक टैक्स जनता पर न लगाये जायं। इस साल के डेफिसिट बजट में जो खर्चे का इजाफा है वह करीब-करीब १३ करोड़ रुपये का है। इन १३ करोड़ रुपयों में से ५ करोड़ रुपया तो जड० ए० एफ० कम्पेनसेशन और बान्ड्स के ब्याज पर जो खर्च होता है, उसके लिये रखा गया है। ४ करोड़ रुपया जो मिसलेनियस हैंड के अन्दर है वह सब डेवेलपमेंट स्कीम के लिये रखा गया है। ९१ लाख के करीब रुपया कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के लिये रखा गया है और ४३ लाख रुपया शिक्षा के लिये रखा गया है। ३४ लाख रुपया सार्वजनिक स्वास्थ्य पर और खर्च होगा और ६६ लाख रुपया प्लानिंग पर और ज्यादा खर्च होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो खर्च में बढ़ोत्री हुई है वह ऐसे कामों के लिये हुई है जो जनता के लिए लाभ दायक है। फिर दूसरा प्रश्न यह रहता है कि इस खर्चे की बढ़ोत्री को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं। आमदनी का इजाफा किन-किन मदों में हुआ है। आप अगर गौर फरमायेंगे तो यह मालूम होगा कि आमदनी में ४ करोड़ ७८ लाख रुपये की बढ़ती तो लैन्ड रेवेन्यू में है। पिछले साल, जो जमीन्दारी उन्मूलन कानून जुलाई से लागू हुआ था, पर इस साल तो वह कुल साल लागू रहेगा इसलिये लैन्ड रेवेन्यू में इतना इजाफा होगा। ३ करोड़ १८ लाख रुपया आबपाशी में बढ़ाया गया है। १ करोड़ ५० लाख रुपया सैल्स टैक्स में बढ़ाया गया है और ५५ लाख रुपया गवर्नमेंट बस सर्विस आदि से बढ़ेगा।

इसके अलावा इस बजट में लोन्स का मद है उसको भी देखने से अन्दाजा लगेगा ३१ मार्च, सन् ५२ तक हमारे प्रान्त का लोन्स ६७ करोड़ था। ३१ मार्च, सन् ५३ तक वह ८९ करोड़ हुआ और ३१ मार्च, सन् ५४ तक १६७ करोड़ का उनका एस्टीमट है। १६७ करोड़ में ८० करोड़ के करीब कम्पेन्सेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट्स के लोंस हैं। तो इससे आप यह देखेंगे कि कर्जे में भी पारसाल की निस्बत कोई विशेष इजाफा नहीं है। कैपिटल आउटलेज पर जो खर्चा हमारे प्रान्त में हुआ है वह भी देखने योग्य है। इसमें से ट्यूब वेल्स पर ९ करोड़ ६८ लाख रुपया खर्च होगा। ट्यूब वेल्स के सम्बन्ध में मैं इतना और अर्ज कर देना चाहता हूं कि ट्यूब वेल्स से जो आबपाशी की दर है वह उससे ट्यूबवेलों का खर्च पूरा नहीं होता है। आबपाशी बढ़ाने पर भी जो ट्यूब वेल्स का खर्चा है वह पूरा नहीं होता है। इसीलिये सन् १९५१-५२ में ट्यूब वेल्स पर २·७१ प्रतिशत घाटा था। सन् १९५२-५३ में ३·९८ प्रतिशत

[श्री फूल सिंह

घाटा था, और सन् १९५३–५४ में ५.२ प्रतिशत घटा रहेगा। इसके बरअक्स नहरों पर जिनमें प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव नहरें सभी शामिल हैं, ४१ करोड़ १५ लाख रुपया खर्च होगा। इसकी आमदनी अगर आप देखें गे तो कुल मिलाकर इस साल में ११.५७ प्रतिशत मुनाफा होगा। तो आप देखेंगे कि नहरों पर से खर्चा भी काफी है और नहरों से आमदनी भी बहुत काफी है। हाइडल स्कीम पर १६.३३ करोड़ रुपया का खर्च है जिसमें इस साल में .२७ प्रतिशत गेन है। कानपुर में एलेक्ट्रिक सिटी पर जितना खर्च होगा उस पर ३.० परसेंट गेन होगा। बस सर्विस पर ३.९७ करोड़ का खर्च है और ३.८७ प्रतिशत मुनाफा है। इसके साथ–साथ लोंस और एडवान्सेज हैं। उनको मिला करके हमारा कैपिटल एक्सपेन्डीचर ९० करोड़ के करीब है। जिस स्टेट का कैपिटल एक्सपेन्डीचर ९० करोड़ है उसपर ८० या ८५ करोड़ का कर्जा होना कोई महत्व की बात नहीं है। लेकिन असल बात जो विचार करने के काबिल है वह यह है कि इन सब खर्चों में इजाफा करने से जनता को क्या लाभ होता है। आया बजट पर इतना रुपया बढ़ाने से जनता की हालत में कोई बेहतरी हुई है या नहीं हुई। मेरे ख्याल में यह मुख्य प्रश्न है जिस पर इस भवन को विचार करना चाहिए और जिससे एक मुफीद नतीजा निकल सकता है।

मैं थोड़ी सी चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। खेती में एक्सपेरीमेंट्स पहले भी होते थे, लेकिन उन सब एक्सपेरीमेंट्स को फील्ड तक पहुंचाने में काफी कठिनाई थी। अब हमने उन एक्सपेरीमेंट्स को फील्ड तक पहुंचा करके किसानों को मुतमईन कर दिया है कि यह एक्स–पेरीमेंट्स काफी लाभदायक है। मिसाल के तौर पर गेहूं के अच्छे बीज देकर इटावा जिले में, ही, जो पाइलेट प्रोजेक्ट एरिया था, उस तमाम एरिया को बढ़िया गेहूं से सेचुरेट करके वहां की गेहूं की पैदावार २५ परसेंट से ५० परसेंट तक बढ़ा दी गई है। इस तरीके से खेती के सुधार के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई यह थी कि अच्छा बीज आसानी से मुहैया नहीं होता था, और जो बीज अच्छा मुहैया होता था बावजूद मशविरा के किसान उनको पुराने तरीके से इस्तेमाल करता था। अब नया तरीका जो निकला है उस तरीके से जिस खेत में ७० या ६० सेर गेहूं पड़ता था, अब उसमें केवल सात सेर गेहूं काफी होता है, यानी जितना बीज पहले डालते थे उसका दसवां हिस्सा अब खर्च होता है। सीडड्रिल के तरीके से कम से कम ५० प्रतिशत बीज कम पड़ता है, यानी जितना बीज आमतौर से हम एक एकड़ में डालते थे, उतना बीज अब दो एकड़ में पड़ जाता है इन तरीकों को हमने खेतों पर डिमान्स्ट्रेट किया है, किसानों ने इन तरीकों को पसन्द किया है और वे अब इन तरीकों से काफी इलाकों में खेती करने लगे हैं। जिससे उस बीज से जितना बीज हमारे पास पहिले था कम से कम दो बन्द रकबे में अच्छे बीज डाले जा सकेंगे। सीड सेचुरेशन स्कीम चलाकर हम तीन साल के अन्दर तमाम प्रान्त में बढ़िया बीज पूरे तौर से देने का इरादा रखते हैं, यह भी इस सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य जरा इधर भी मुखातिब हो जाया करें, बीच-बीच में।

श्री फूल सिंह---मैं अभी खत्म ही किया चाहता हूं।

तो सहकारी समितियों में जो सबसे बड़ा काम किया गया है वह दो सौ कोआपरेटिव ब्लाक यूनियन का निर्माण है। कम से कम १२, १३, १४ हजार रुपया हर कोआपरेटिव ब्लाक यूनियन को मुनाफा होने लगा है। उस आमदनी से उन कोआपरेटिव ब्लाक यूनियन ने अपनी सीड्स स्टोर्स पुख्ता करली है। इसी तरीके से हमने कई सौ कोआपरेटिव ट्यूब वेल्स तमाम प्रान्त में लगा दिये हैं और हर कोआपरेटिव सीड स्टोर पर सीड नर्सरी लगाने का इरादा रखते हैं।

श्री अध्यक्ष---शायद आप दो-तीन मिनट और ज्यादा चाहेंगे ?

श्री फूल सिंह---जी हां।

श्री अध्यक्ष---मैं आपको ५ मिनट तक दे सकता हूं।

श्री फूल सिंह—एनिमल हस्बैन्ड्री में हमने टीके लगाकर मवेशियों के बीमारियों को ५० परसेंट से दो परसेंट ले आये हैं। जिन इलाकों में मवेशियों को टीके लगाकर सेचूरेट कर दिया है वहां मवेशियों की बीमारी एक तरह से खत्म हो गयी है। इस तरीके से जो पैडगिरी बुल्स थे और वह हमारे पास इतनी तादाद में नहीं थे कि हम तमाम प्रान्त को दे सकें, उनके लिये हमने आर्टीफिशियल इनसैमिनेशन का तरीका निकाला है और किसानों ने इसे पसन्द किया है। इससे हमें गहरी कामयाबी होने लगी है। इन सब कामों को करने के लिये और किसानों को इन बातों से परिचित कराने के लिये तीन तरीके हमने इस्तेमाल किये हैं। नम्बर एक किसान मेले हमने शुरू किये हैं। किसान मेले करके उस इलाके के इम्प्रूवमेंट्स को हम और इलाकों को किसानों को भी बतलाते हैं ताकि सभी किसान उसको एडाप्ट करने लगे। इसी तरीके से गांवों के भजनिक लोगों ने ऐसे भजन बना लिए हैं ताकि वह भजनों के जरिए और गीतों के जरिए हमारी तमाम डेवलपमेन्ट स्कीमों को सब किसानों तक पहुंचा दें। उनसे हमें काफ़ी कामयाबी होने लगी है। इसी के साथ साथ हमने अडल्ट लिट्रेसी के स्कूल खोले हैं। अभी तक अडल्ट लिट्रेसी में काफी कठिनाई थी, मगर आप अब यह जानकर संतुष्ट होंगे, हमारे लिए सब से बड़ी समस्या यह हो गयी है कि प्रौढ़ शिक्षा के स्कूलों के लिए इमारतें नहीं हैं। जहां लोगों में अडस्ट लिट्रेसी आने लगी हैं और जहां हम उनको सिखाते हैं वहां यह सुधारे हुए तरीके भी सब के सब उनको बतला दिये जाते हैं। पब्लिक हेल्थ के संबंध में भी हमने काफी तरक्क़ी की है। ऐन्टी मलेरिया स्कीम में जिन–जिन इलाकों में हमने सेचुरेट किया है वहां मलेरिया बहुत कम हो गया है। अब पांच–पांच सौ गांव के ब्लाक बनाकर उसको सेचुरेट कर रहे हैं। एन्टी मलेरिया स्कीम के जरिये से और डी० डी० टी० के जरिये से इस सब कामों को करने के लिये बहुत बड़े स्टाफ की आवश्यकता थी। हमने उस काम को यहां तक पूरा किया और सभी स्टाफ को जो निचले दर्जे का स्टाफ है, जिस को विलेज लेविल वर्कर कहने लगे हैं, उसको सब काम सिखाते हैं और वह सब काम सीखने लगे हैं। टीके लगाने, मवेशियों का इलाज करने और बीज बाटने के काम में हमें काफ़ी कामयाबी हुई है। इसी तरह से आप देखेंगे कि जो काम हमने शुरू किया उसका वह अच्छा परिणाम पैदा हो रहा है। उसके फलस्वरूप हमारे देहात के लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। तो मैंने यह चन्द बातें बजट के सिलसिले में आपके सामने पेश की हैं।

श्री अध्यक्ष—मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं कि कल की तरह आज भी मैंने यह निर्णय किया है कि १५ ही मिनट साधारण रीति से मिलेंगे। कल मैंने दो सज्जन से ऐसा कहा था कि ज्यादा समय दे दूंगा पांच–दस मिनट और आज भी दे दूंगा, पांच मिनट, लेकिन आज दस मिनट नहीं दे सकता क्योंकि आज माननीय मन्त्रीगण भी बोलेंगे। चूंकि पांच मिनट माननीय फूल सिंह जी को दे दिया है, अब इस तरफ किसी को अधिक समय नहीं मिलेगा। लेकिन उस तरफ ५ मिनट किसी को मिल जायंगे।

माननीय मन्त्रीगण सवा दो बजे के बाद जब बोलेंगे तो पहले तो उस वक्त किसी को उनके बाद समय नहीं दिया जा सकेगा और उनके समय में भी १५ मिनट की मियाद नहीं होगी। मंत्री–गणों द्वारा मेरे पास सूचना समय के बटवारे की आ जायगी और उसके अनुसार समय दिया जायगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय अध्यक्ष महोदय, दो दिन पूर्व जब मैं माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण को सुनने के लिये प्रयास कर रहा था तो मुझे उस समय अपने विद्यार्थीकाल के उस नेक पादरी की कविता याद आ रही थी, जिसका शीर्षक है 'लिट काइन्डली लाइट"। जो साहित्य में मशहूर है और मुझे ऐसा लगता था कि हमारे वित्त मन्त्री जी उसी नेक और काबिल पादरी की भांति एक तरह से अंधकार में, आर्थिक अंधकार में, आर्थिक अराजकता में अपना रास्ता टटोल रहे हैं। उनको यह नहीं मालूम, हमारी गवर्नमेंट को यह नहीं मालूम कि किस तरह से हमें अपनी वेलफेयर स्टेट को बनाना है और इसीलिये उनके बजट में हमें कोई भी नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन होते हुए नहीं दिखा। जिस बजट को माननीय वित्त मन्त्री जी ने हमारे सामने रखा है और जिसको

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

वह कल्याणकारी राज्य का बजट बताते हैं और सब राज्यों में सबसे बड़ा बजट बताते हैं उसमें उन्होंने यह नहीं बताया कि जहां यह बजट सब से बड़े राज्य का सबसे बड़ा बजट है वहां यह सबसे बड़ा घाटे का बजट है माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने कहा कि और उन्होंने इस सदन को बतलाया है कि अब भारत और हमारा प्रदेश ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जबकि उन्हें डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी ही चाहिये। हमारी राज्य की स्थिति को देखते हुये डेफिसिट फायनेंसिंग होनी चाहिये, लेकिन श्रीमन्, अगर डेफिसिट फायनेंसिंग उसी तरह का होता रहा जिस तरह कि हमारे इस बजट में दिखलाया गया है तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में मुद्रास्फीति बड़े जोरों के साथ बढ़ेगी। मैं माननीय फूलसिंह जी से और अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब वे डेफिसिट फायनेंसिंग की बात कहते हैं तो आंकड़ों के आधार पर ऐसी बात कहते हैं। हमारा आदमियों का इंडेक्स मार्च, सन् १९५२ से जनवरी, सन् १९५३ के बीच ३७७ ५ से ३८० ६ हो गया है। जब कि हमारे प्रदेश में कास्ट आफ लिविंग का इंडेक्स मार्च, सन् ५२ से अब तक ३१३ से ३४६ हो गया है, जब कि हमारे प्रदेश में होल सेल प्राइस इंडेक्स फूड आर्टिकिल्स का मार्च, सन् ५२ में ३४२ ७ था और आज ३१ जनवरी, सन् १९५३ को ३६४ २ हो गया है। तो किस प्रकार हम मान सकते हैं कि ऐसे इंडेक्स के होते हुये हम डेफिसिट फाइनेंसिंग को बरदाश्त कर सकते हैं। जहां तक हमारी लिविंग इंडेक्स में फूड सबसीडी का सवाल है उसका इंडेक्स मार्च, सन् ५२ के ३३८ से बढ़कर दिसम्बर सन् ५२ में ४३१ हो गया है। तो जिस प्रकार से इंडेक्स बढ़ रहे हैं उस स्थिति में डेफिसिट फायनेंसिंग की तरफ ध्यान देना मैं समझता हूं बड़ा हानिकारक होगा। आज हमारी सरकार फाइव ईयर प्लान को पूरा करने के लिये तो फूड सबसीडी को, जो रुपया देने के लिये प्लानिंग कमीशन ने कहा है, उसकी ओर भी वह ध्यान नहीं देती और फूड सबसीडी को रोक देती है। फूड सबसीडी देना हमारी सरकार ने बन्द कर दिया है। प्लानिंग कमीशन की सिफारिश को मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं--

"In the larger interest of economy we consider that while the system of subsidy ..... under the food policy."

तो फूड सबसीडी को बन्द करना इस बजट का सबसे प्रतिक्रियावादी चरण रहा है। श्रीमन्, यह एक बहुत ही हतोत्साहपूर्ण बात है कि हमारे प्रान्त का बजट भारतीय बजट के पहले ही आ जाता था। इस देश का यह दुर्भाग्य रहा है कि म्युनिसिपैलिटी और लोकल बाडीज का बजट और प्रान्तीय बजट और केन्द्रीय बजट, इनमें कोई सम्बन्ध नहीं होता। और हमें यह नहीं मालूम पड़ता है कि केन्द्र के बजट का क्या असर होगा और किस प्रकार अगर एजीज कंडीशन्स होंगी तो हमें और कुछ मिल पायेगा या नहीं। इसका अंदाजा नहीं हो सकता है कि हमें सेन्टर से क्या मदद मिल सकती है। यह चीज स्पष्ट नहीं होती है। अब समय आ गया है कि इस सरकार को इस ओर अपना क़दम उठाना चाहिये कि केन्द्र के बजट और लोकल बाड़ीज के बजट में एक तारतम्य होना चाहिये।

पिछले वर्ष मैंने निवेदन किया था कि बजट के साल का महीना बदल दिया जाय और बजाय पहली अप्रैल यानी एप्रिल फूल डे के जो भारतीय परम्परा दीपावली या दशहरे के दिन से बजट का साल शुरू होना चाहिये। बजट को गैम्बिल इन रेन्स माना गया है। अगर बजट बरसात के बाद पेश किया जाय तो हमें मालूम हो सकता है कि हमारी कितनी हानि हुई है और हमें इसका अंदाजा भी लग सकता है कि हमारे बजट में कितना नुकसान और फायदा है और मौसम के अनुसार हमें क्या क्या प्रबंध करना पड़ेगा।

श्रीमन्, इसके बाद में बजट के डेफीसिट के ऊपर आता हूं। इसमें दावा किया गया है कि ४ करोड़ ४२ लाख रुपये का डेफीशिट होगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह डेफीसिट नकली है। इसकी जिम्मेदारी एक बड़ी मद्द को इधर से उधर कर देने में है। सिंचाई का रेट बढ़ा कर जो आमदनी होने जा रही है वह ३ करोड़ २१ लाख की रकम रेवेन्यू एकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या आवश्यकता आगई थी कि रेवेन्यू एकाउंट में से उसको कैपिटल एकाउंट में तब्दील कर दिया गया। अगर यह

रकम इस तरह से ट्रांसफर न हुई होती तो ३ करोड़ ३० लाख रुपये का डेफीसिट नहीं होता और इसके बजाय केवल एक करोड़ ११ लाख रुपये का डेफीसिट होता, लेकिन इस गलती की वजह से आज यह डेफीसिट हमारे सामने हो रहा है। श्रीमन्, मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके बजट भाषण में यह कितनी बड़ी गलती है।

मैं उनके बजट भाषण के अंतिम पृष्ठ २० के पैरा ४८ की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि सिंचाई के रेट बढ़ाने से और सेल्स टैक्स से ६ करोड़ ६४ लाख रुपये की आमदनी बढोत्तरी हुई। श्रीमन्, यह आंकड़े बिलकुल गलत है क्योंकि ऊपर बजट भाषण में कहा गया है कि ३ करोड़ ३० लाख रुपये की आमदनी सिंचाई के रेट बढ़ाने से ३४ लाख रुपये की आमदनी सेल्स टैक्स से और ३ करोड़ २१ लाख रुपया हमको सेंट्रल एक्साइज से होगी। इस तरह से यह कुल आमदनी ६ करोड़ ८५ लाख रुपये होती है न कि ६ करोड़ ६४ लाख रुपये। इस तरह से २१ लाख रुपये की जोड़ने में गलती है। यह गलती आपके बजट डिपार्टमेंट के लोगों की गलती है जो कि इस काम में एक्सपर्ट माने जाते हैं। इन एक्सपर्ट्स ने ही २१ लाख रुपये की जोड़ने में गल्ती की है। इस तरह से डेफीसिट गलत बना दिया गया है। अंत में पैरा ४८ में यह दावा किया गया है कि ३ करोड़ ३० लाख का घाटा है। अगर यह बात न हुई होती तो एक करोड़ ११ लाख रुपये का घाटा होता। यह आज बजट डिपार्टमेंट के लोगों की हालत है जो बजट बनाने में इस तरह की गलती करते हैं तो श्रीमन्, जनरल लोगों की क्या हालत होगी, इसका इसी से अंदाजा लग सकता है।

पिछले वर्ष रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने चेतावनी दी थी कि रेवेन्यू रिजर्व फंड से कोई विदड्राल्स नहीं होने चाहिये। ऐसी हालत में रेवेन्यू रिजर्व फंड से ४ करोड़ का विदड्राल महत्वपूर्ण है। सन् १९५२-५३ में सवा तीन करोड़ का विदड्राल किया जा रहा है। इस प्रकार कब तक रेवेन्यू रिजर्व फंड पर आक्रमण होता रहेगा। कब तक हम इस तरह से इस फंड से रुपया लेते रहेंगे। मैं पृष्ठ ७९ पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो यह ४ करोड़ ४२ लाख रुपये का घाटा बताया गया है इसको काटकर केवल ५ करोड़ रुपया हमारे रेवेन्यू रिजर्व फंड में बाकी रह जायगा तो इस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा एक साल का और डेफीसिट बरदाश्त कर सकेंगे। इसके बाद यह फंड नदारद हो जायगा। श्रीमन्, आंकड़ों की हालत जरा देखिये, श्री फूल सिंह ने बड़ा सुन्दर चित्र हमारे सामने खींचा है। इस मेमोरेंडम में हम देखते हैं कि हमारे रेवेन्यू रिजर्व फंड में अब केवल ९ करोड़ ७३ लाख रुपया है। यह है डेप्रिसियेशन रिजर्व फंड की हालत। पिछले साल ३१ मार्च, १९५२ के एक्चुअल्स में १ करोड़ १२ लाख रुपये थे और अब घट कर ६३ लाख ७५ हजार रुपये रह गये हैं। यू० पी० रोड रिजर्व फंड जो सन् ५२ में १ करोड़ ४० लाख रुपया था वह घट कर १ लाख ५८ हजार रह जाता है। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह नहीं बतलाया कि यू० पी० रोड फंड समाप्त हो गया। इसके बाद आगे चल कर मंत्री जी फरमाते हैं कि हमारी एनडेटेडनेस घट गई है, लेकिन मेमोरेंडम में आप देखेंगे कि सन् ५२ में हम ६७ करोड़ ६७ लाख रुपये के क़र्ज़दार थे, लेकिन अब हम १ अरब ६७ करोड़ के कर्जदार हो गये हैं। यह कर्जदारी कम्पेनसेशन की वजह से बढ़ गई है। अब हमारी सरकार को मालूम हो रहा होगा कि हमारी पार्टी की बात मानी जाती तो मुआविजे का भार आपके ऊपर न होता और जो ६ करोड़ रुपया आमदनी में बढ़ाया गया है वह सदुपयोग में लाया जाता, लेकिन यह ६ करोड़ रुपये अब इस ६० करोड़ रुपये को जो कि मुआविजे की वजह से क़र्ज़े में बढोत्तरी हुई है उसको उतारने में खर्च होगा और इस तरह से १० साल तक क़र्ज़े का भार बढ़ा दिया गया है। इस तरह से हमारी क़र्जदारी १ अरब रुपये बढ़ गई।

आगे चल कर ट्यूबवेल्स पर आप खर्च देखेंगे। फूलसिंह जी ने बतलाया कि स्टेट ट्यूबवेल्स की हालत अच्छी है। जहां एक ओर कैपिटल आउटले ४ करोड़ ६३ लाख थी वह अब बढ़ कर ९ करोड़ ६८ लाख हो गई है, लेकिन आमदनी घटी है। ५१-५२ में ट्यूबवेल्स से १ करोड़ १६ लाख की रिसीट हुई और इस साल ९५ लाख की होगी। पिछले साल १५ लाख १७

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हजार का घाटा टयूबवेल्स में हुआ और इस साल ३३ लाख ४५ हजार का घाटा हुआ। एक ओर तो टयूबवेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आमदनी घट रही है।

इसके बाद केनाल्स को देखिये। केनाल्स रेट्स बढ़ाये जा रहे हैं। अगर न बढ़ाये जाते तो उसकी तस्वीर क्या होती। वह भी भवन के सामने है। सन् ५१-५२ में ५ करोड़ ३८ लाख की आमदनी थी अब ५२-५३ में वह ४ करोड़ ८६ लाख रह गई और यह तब हुआ जब कि ४८-४९ में ५० परसेंटेज सरचार्ज इर्रीगेशन रेट्स में बढ़ाया। अब फिर इर्रीगेशन रेट्स बढ़ाने की बात हो रही है। कहा गया कि सदन की ही यह सिफारिश है। कब इस चुने हुए सदन की कमेटी ने कहा कि इर्रीगेशन रेट्स बढ़ाये जायं। वह कमेटी तो ४९ की बनी हुई है। उस कमेटी की एक मीटिंग हुई और उसने इर्रीगेशन रेट्स बढ़ाने की सिफारिश की, लेकिन उसकी रिपोर्ट न सदन के सामने आई। जब मैंने वह रिपोर्ट मांगी तो यह मालूम हुआ कि केवल रेट्स के बारे में सिफारिश आई है। इस सदन के द्वारा वह कमेटी नियुक्त होनी चाहिये थी तब हम उस पर विचार कर सकते थे।

इर्रीगेशन रेट्स के बाद मैं आगे हाइडल स्कीम्स पर आता हूं, जिसके बारे में फूलसिंह जी ने कहा कि '२७ परसेंट आमदनी होगी, लेकिन ५१-५२ में कितनी आमदनी थी। ५१-५२ में १'५३ परसेंट थी जो घट कर '२७ परसेंट रह गई। ५१-५२ में हमारी आमदनी हाइडल में २७ करोड़ ९१ हजार थी, लेकिन इस साल बढ़ कर ५६ लाख ६९ हजार होने जा रही है।

कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की आमदनी भी घट रही है और खर्चा बढ़ रहा है। जहां आमदनी सन् ५१-५२ में २१ लाख ७८ हजार थी अब घट कर १६ लाख ६३ हजार रह गई है। यह हालत है।

अब पेज ८४ में चलिये, जो गवर्नमेंट बस सर्विसेज के बारे में है। इसमें भी बस सर्विसेज के वर्किंग एक्सपेंसेज २,९५,७९,००० रुपये से बढ़ कर ३,५५,००,००० रुपये हो गये। नतीजा यह हुआ कि आमदनी भी घट कर ४'९२ से ३'८४ हो गयी। इसके अलावा अलीगढ़ सेंट्रल डेरी फार्म, तराई स्टेट फार्म ये जितनी चीजें हैं इनकी बाबत सदन के सामने सवाल आ चुके हैं और उनके जवाब में यह बताया गया है कि कितना खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो खर्च पर कोई कंट्रोल नहीं है यह पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में साफ हो चुका है। जब इस प्रकार की हालत है तो फिर किस प्रकार से संतुलित बजट सरकार पेश कर सकती है।

अब न्यू आइटेम्स को लीजिये श्रीमन्, यह एक और आश्चर्य होता है। न्यू आइटेम्स में पिछले साल के मुकाबिले में बहुत ही ज्यादा कमी हो गयी है। अगर पिछले साल का बजट माननीय सदस्य देखें तो उसमें पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत १,५०,८४,५०० के न्यू आइटेम्स थे। इस साल केवल ३३ लाख ४० हजार रुपया ही खर्च किया जा रहा है। पिछले साल आर्डिनरी एक्सपेंडीचर ३,०३,८०,२०० रुपये था। इस साल १,९५,०३,३०० रु० हो गया। इस प्रकार न्यू आइटेम्स घटाये गये हैं। जो न्यू आइटेटम्स इस साल बढ़े हैं वे टाइपराइटर्स और टेलीफोन के कनेक्शन्स हैं। मैंने हिसाब लगाया तो देखा कि इनका हिसाब काफ़ी लम्बा-चौड़ा है। इसमें ३२४ टाइपराइटर्स और ८ बड़े टाइपराइटर्स हैं और १३९ टेलीफोन कनेक्शन्स हैं। सब से बड़ा न्यू आइटम इन्हीं का है। तो जहां तक न्यू आइटेम्स का सम्बन्ध है इससे यह मालूम होता है कि पंच वर्षीय योजना को सफल बनाने की कहां तक प्रयत्न किया जा रहा है।

जब हम और आगे चल कर देखते हैं डेप्रीशियेशन एकाउंट्स की तरफ तो हमें यह मालूम पड़ता है कि इस बजट के बनाने में कितनी ग़लती होती है। सन् १९४९-५० की एप्रोप्रियेशन रिपोर्ट बतलाती है कि ४९ वोटेड ग्रांट्स में से ३६ में बचत हुई। हालत यह है कि डिपार्टमेंट्स जरूरत से ज्यादा मांगते हैं। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्ट ऐसे उदाहरणों से भरी हुई है कि जिस योजना की कोई स्कीम भी नहीं बनायी गयी थी उसके लिये रुपया मांग लिया गया था। नतीजा यह हुआ कि वह योजना भी कामयाब नहीं हो पायी,

मशीनरी भी नहीं खरीदी जा सकी, रुपया भी लैप्स हो गया और जो रुपया खर्च हुआ उससे कोई खास लाभ नहीं हुआ। जब ऐसे उदाहरण हमारे सामने आते हैं तो बड़ा आश्चर्य है कि किस प्रकार हमारी बजट की व्यवस्था सफल होगी।

अन्त में मैं इतना और कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री के बजट के भाषण में परस्पर विरोधी बातें हैं। इसमें जहां वेलफेयर स्टेट का जिक्र किया गया है वहां यह कहा गया है कि २२,९१,००० एकड़ नयी जमीन जोती गयी, मगर उसी जगह फिर यह कहा गया कि १४ लाख एकड़ नयी जमीन जोती गयी। एक जगह लिखा है कि १४,२९५ स्कूल्स और कालेजेज बने और एक जगह कहा गया कि २९ हजार से ज्यादा स्कूल खोले गये। तो यह परस्पर विरोधी बातें कब तक चलेंगी कुछ समझ में नहीं आता। एक बात जरूर हुई है कि माननीय मंत्री जी ने वेलफेयर स्टेट की जो भाषा है उसको जरूर स्पष्ट कर दिया। उसमें उन्होंने बड़े ही रोचक शब्द इस्तेमाल किये हैं। उनके नाम ये हैं :—

"जराअत व फ़ने बाग़बानी, परिन्द, सख्त गिरानी, मसनुई तरीक़े, मरक़ज़, इब्तदाई तलमीनों, चुनांचे टेक्निकल नुक़ते नज़र, फस्लों की मज़ीद, ज़खीरए अदायगी, इसलिये कि हुकूमतों के खर्चों का इनहिसार उस आबादी के तनासुब पर होता है कि जिसकी वह खिदमत करती है।"

इस प्रकार से एक वेलफेयर स्टेट की राष्ट्र भाषा का परिचय दिया गया है और अंततः मैं आपसे यह कहूं तो अनुपयुक्त न होगा कि इसको किसी भी प्रकार से एक वेलफेयर स्टेट का बजट नहीं कहा जा सकता। केवल पंचवर्षीय योजना का मुलम्मा चढ़ा कर उसको वेलफेयर स्टेट का बजट दिखाने की कोशिश की गयी है। जहां तक अलएम्प्लाएमेंट का सवाल है उसके लिये तो यह फेअरवेल का बजट है।

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिये जनता की दो मौलिक भावनायें होती हैं, एक तो डर, दूसरे जनता के सदस्यों की जिम्मेदारी की भावना। और मैं यह कहूंगा कि जितनी कमी एक की होती है उतनी ही बढ़ोत्तरी दूसरी में होती है। जिस जन–समाज में जिम्मेदारी कम होगी तो गवर्नमेंट की ओर से भय का इस्तेमाल ज्यादा होगा, चाहे फिर कोई भी गवर्नमेंट क्यों न हो। लेकिन जिस जन–समाज में जिम्मेदारी अधिक होगी उसमें भय का माद्दा कम होगा, गवर्नमेंट उसको कम इस्तेमाल करेगी। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिये यह अत्यन्त जरूरी है कि वह आम जनता की जिम्मेदारी बढ़ाये, आम जनता को ज्यादा अधिकार दे। तो उस पैमाने से अगर हम अपनी गवर्नमेंट को देखें तो मैं यह दावे से कह सकता हूं कि जो पंचायतराज ऐक्ट आदि के क़ानून हमने बनाये हैं, जो बालिक मताधिकार हमने जनता को दिया है वह यह साबित करता है कि इस गवर्नमेंट की नीति हमेशा जनता के अधिकारों को बढ़ाने की रही है। इसके साथ ही साथ, श्रीमन्, मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि जनता की जिम्मेदारी बढ़ाने का काम केवल गवर्नमेंट पार्टी का ही नहीं है बल्कि हर पोलीटिकल पार्टी का यह काम है। जो पोलीटिकल पार्टी जनतंत्र में विश्वास करती है उसका यह फर्ज है कि जनता में रेस्पांसिबिलटी की स्प्रिट यानी जिम्मेदारी की भावना को बढ़ाये। मैं यह फख्र से कह सकता हूं कि जहां तक विरोधी दल, समाजवादी दल और संयुक्त दल है, तथा स्वतंत्र दल के नेताओं का ताल्लुक है, उनमें से कुछ ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया है, लेकिन ऐसी ही चीज और सब माननीय सदस्यों के बारे में मैं नहीं कह सकता। एक पोलीटिकल पार्टी का काम, एक पालीटिक्स राजनीति का काम करने वाली पार्टी का काम ऐसा काम नहीं है जो आम वाक़यात से अलग चीज हो, जो देश और प्रदेश की हालत से अलग चीज हो। एक राजनीतिक भावना वाला पुरुष आर्टिस्ट और फिलासफर साथ ही साथ होता है जिसके लिये हरएक मौजू नहीं हो सकता। मैं बाअदब यह कहूंगा कि केवल अवसरवादिता से बातें करने से जनता का हित नहीं हो सकता है। उससे हमें यह भी देखना होगा कि खुद हमारा सिद्धान्त भी ठीक बैठता है या नहीं और अगर हम केवल अवसर देख कर काम करते हैं तो हम जिम्मेदारी का काम नहीं करते।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

हमें देखना है कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो भाषण दिया जिसमें पूरे पूरे आंकड़े दिये गये हैं वह क्या बात है? उन्होंने यह भी कहा कि हम कल्याणकारी राज्य बनाने की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने अपनी परिभाषा भी दे दी कि कल्याणकारी राज्य वह होगा जो ऐसे काम करे जिनसे जनता के लिये तरक्की के दरवाजे खुल जायं और आम जनता के रास्ते में जो रुकावटें हैं वह दूर कर दी जायं। यदि हम पिछले सालों के कामों को देखें तो क्या आप यह कह सकते हैं कि इस सरकार ने ऐसे काम नहीं किये, लेकिन माननीय विरोधी पार्टी के माननीय सदस्यों ने जो तक़रीरें कीं अगर उनको इकट्ठा रख दिया जाय तो मालूम होगा कि इससे ज्यादा बुरी गवर्नमेंट और इस तरीक़े का बुरा शासन प्रबन्ध और कहीं नहीं हो सकता है। मैं यही कहूंगा कि यह कोई ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ाने वाली चीजें नहीं हैं। यह बात मानी हुई है कि किसी गलत चीज को बार बार कहने से वह सही नहीं हो सकती है। अगर किसी मात्रा में भय होता है तो वह भी अच्छे काम के लिये लाजिमी है। एक दफ़ा मिल्टन ने कहा था "How awful is goodness" तो इस लिहाज से भी अगर कोई बड़ा आदमी, कोई ऐसा आदमी जो भलाई के काम में लगता है और वह इस चीज को मद्देनजर रख कर काम करता है कि हम सच्चाई के लिये काम कर रहे हैं, और वह बुराई और झूठ से डरता है तो वहां पर डर भी एक अच्छी चीज है। और ऐसी जगह पर उस डर का भी स्वागत होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में यह कहूंगा कि यहां इस तरह के डर की कमी है। फियर फार गुडनेस होना चाहिये। मैं ज्यादा न कह कर श्रीमान् जी, यह अर्ज करूंगा कि जमींदारी एबालिशन क़ानून, जिसके ज़रिये से ज्यादा से ज्यादा लोगों के रास्ते की अड़चनें हट गयीं, क्या वह क़ानून ऐसा नहीं है, जिसके बारे में हम यह कह सकें कि यह तरक्की के रास्ते में एक रोड़ा हटाने वाला क़ानून था? चीन के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वहां बहुत सी अच्छी चीजें हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो वहां अच्छी हों, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो कि हमारे यहां के क़ानून में चीन से ज्यादा प्रोग्रेसिव हों और वहां से ज्यादा अच्छी हैं। उसकी बाबत मैं अर्ज करूंगा कि आप चीन की कृषि क़ानून की धारा ४ और ५ को देखें तो उनमें वहां वालों को जमीन रेंट (लगान) पर उठाने का हक दिया गया है और वहां पर प्रीविलेज क्लासेज ज्यादा क़ायम हैं। जबकि हमारे यहां के ऐक्ट में ऐसी कोई चीज नहीं है। वहां पर लैंड लार्डिज्म (जमींदारी कोटी) प्रिविलेजेज को कहीं न कहीं क़ायम रखा गया है। और बातों को न कह कर असली बात में यह कहना चाहता हूं कि जमींदारी क़ानून को पास करके हमने एक बड़ा क़दम उठाया है और किसानों के रास्ते में जो अड़चनें थीं उनको हमने हटा दिया है। इसी तरह से कंसालिडेशन आफ होल्डिंग की बात की जाती है जिसका जिक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है, क्या कोई भी सदस्य यह कह सकता है कि यह क़दम ऐसा है जिसके जाने से किसान आगे तरक्की न कर सके? इसी तरह से श्रीमन्, मैं अर्ज करूंगा कि हमारे माननीय उप मंत्री श्री फूलसिंह जी ने आंकड़े देकर बतलाया कि हमने कितना काम किया है और कितना काम करने जा रहे हैं? मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं, जैसा कि मैंने पहले बतलाया है और आगे भी बतलाया जायगा कि भूमि व्यवस्था में और पानी की नहर पहुंचाने के लिये क्या क्या चीजें की गई हैं और कितना रुपया दिया गया है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है वह सड़कों से है उनका भी जिक्र थोड़ा सा मैं कर देना चाहता हूं। क्योंकि सड़क एक ऐसी चीज है, जिसकी महत्ता को कम से कम गांव वाले नहीं भूल सकते हैं जिसके जरिये से देहात वालों की तरक्की हर तरह से होगी। श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् १९४६ में ४,९०१ मील पक्की सड़क बनी थी और मार्च, १९५३ में ८,६३४ मील पक्की सड़क कर दी गयी। इसका माने यह है कि ३,७३३ मील पक्की नयी सड़कें इस पीरियड में बन सकीं। सन् १९४६ में केवल ९०८ मील कच्ची सड़क थी पी० डब्लू० डी० की। वह बढ़कर ७,४३७ मील हो गयी। इस तरह से ६,५२९ मील का इजाफा हो गया। इस पर १४, ८३ लाख खर्चा हुआ। इसी तरह से हमने इस एक साल के अरसे में यानी सन्

५२ में २०६ मील पक्की सड़कें बनाई। ३४१ मील कच्ची सडकें बनाई और इनके ऊपर १,३३ लाख का खर्चा हुआ। इस समय में १९४७ से लेकर ५२ तक में लगभग हमने ७०० मील सड़क को आधुनिक ढंग से बनाया और इस साल करीब १००, १२५ मील और हो गयी होगी। इस तरह से ८०० मील सडकें आधुनिक ढंग पर यानी कोलतार और सीमेन्ट की बनी। इस मौजूदा बजट में १०० मील सड़क रिकंस्ट्रक्ट करने के लिये रखा गया है ३०० मील नई सड़कें बनाने के लिये रखा गया है और १२० मील सीमेंट की सड़क बनाने के लिये रखा गया है। जो ब्रिज सन् १९५१–५२ में बने उनका नम्बर ११ है और उनके ऊपर ३५,२७ हजार रुपया व्यय हुआ। जो ब्रिज अन्डर कंस्ट्रक्शन हैं उनके ऊपर ६,४८० हजार खर्च होगा। इन सब चीजों को बतलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि यातायात की व्यवस्था को बढ़ाकर हमने धीरे धीरे कुछ उन्नति की है और भी उन्नति करना है।

मैं यह समझता हूं कि जितनी कमी है और जितनी हमने सड़कें बनाई हैं उसको देखते हुये यह कहा जा सकता है कि हम अपनी स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने में आगे बढे हैं और इसको वेलफेयर स्टेट कह सकते हैं। देहातों के अन्दर जो सड़कें बनाई गई हैं वह भी उत्साहवर्धक हैं और इसी तरह से हर विभाग में काम हुआ है। क्या यह काम जो किया गया है वह काफी नहीं कहा जा सकता। हमारे विरोधी भाई तो यही कहते रहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ है और नये टैक्स लगाये गये। यह कैसे हो सकता है कि पैसा भी खर्च न हो और सब काम आगे बढता रहे। सड़कें दुगुनी–चौगुनी हो जायं, अस्पतालों की संख्या भी बढ़ जाय और सब काम तरक्की का हो जाय, लेकिन खर्च न हो यह दोनों बात साथ साथ नहीं चल सकती है।

यह भी कहा जाता है कि मास्टरों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है, पटवारियों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाती है और यह नहीं किया है और वह नहीं किया है। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह बातें इस तरह की हैं कि इनसे काम नहीं चल सकता है आखिर कोई सजेशन सुझाव तो होना ही चाहिये कि फलां जगह टैक्स लगाया जाय और आखिर में यह भी सोचना होगा कि जहां भी आप टैक्स लगाइये, लेकिन उसका असर जाकर पड़ेगा गरीबों के ऊपर। मैं ज्यादा समय न लेकर इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो जिम्मेदारी की बात हो उसको कहना चाहिये। चीन के लिये कहा गया मगर क्या आप जानते हैं कि वहां पर पूरा कांस्टीट्यूशन दो दिन के अन्दर ही पास हो गया वह २९ सितम्बर सन् १९४९ ई० को बैठे और १ अक्तूबर को उन्होंने खत्म कर दिया और तब भी वहां किसी विरोधी दल ने वाकआउट नहीं किया। हमारे यहां बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन काम करने के लिये उतना उत्साह नहीं है जितना कि होना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमको काम करना है तो जिम्मेदारी के साथ जो कुछ भी कहना हो कहें। अगर अभाव को अपने देश से मिटाना है तो हमको चाहिये कि हम सब मिलकर देश के लिये काम करें और सचाई के साथ परिश्रम करें तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है और हमारे देश में जनतान्त्रिक राज्य फल–फूल सकता है और जनता की भलाई हो सकती है और उस का तरीका यह है कि वह पहले अपने में जिम्मेदारी बढ़ावे और वह काम करे जो जनहित में हो। यही कह कर मैं अपना भाषण खत्म करता हूं।

श्रीमती सईद जहां मखफी शेरवानी (जिला एटा)—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा इस वक्त अपने जम्हूरी मुल्क की एक खुशहाल रियासत के बजट पर कुछ कहने जा रही हूं। मैंने इस बजट को स्टडी किया और सदन के अपोजीशन के सदस्यों और कांग्रेस वालों से बहुत कुछ सुना। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि हमारे देश में क्या होता है दुनिया में, ईरान में, तूरान में, चीन में, जापान में क्या होता है इससे हमें वास्ता नहीं। हमें यह देखना है कि हमारे मुल्क की आमदनी क्या है खर्च क्या है और हमारी जो आमदनी है उसका असर हमारी जिन्दगी पर क्या पड़ता है। इन सब को देखने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंची और जो अन्दाजा मैंने लगाया वह यह है कि हमारी

[श्रीमती सईदा जहां मखफी शेरवानी]

जितनी आबादी है और चाहे हम कितने ही कमजोर क्यों न हों चींटी की बराबरी भी न कर सकें। लेकिन अगर हम चाहें तो इस बेरोजगारी और तकालीफ की हाथी जैसी लाश को एक जगह होकर बड़ी आसानी से खींच कर भगा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम मुख्तलिफ दलों में बंट गये हैं और इसलिये हमारे लिये किसी भी बड़ी मुहिम को सर करना नामुमकिन सा हो गया है। मुझे इस बजट को बहुत ही गौर के साथ पढ़ने के बाद अपनी गवर्नमेन्ट के सामने बहुत ही अफसोस के साथ एक दरख्वास्त करनी पड़ रही है और वह यह है कि यह बजट प्रदेश के हर बालिग पर लागू होता है और उनको यह हक हासिल है कि वह इसको पढ़े और अपनी और इस स्टेट की सरकार की जिम्मेदारी को देखकर मुतालबा करे। इसमें मैं देखती हूं कि सूबे की ५० फीसदी आबादी को नेगलेक्ट किया गया है और हद यह है कि यह आबादी आदादोशुमार में भी नहीं आती बल्कि वह दिमागों से भी बाहर है। जब उस ५० फीसदी आबादी का बोझ और जिम्मेदारी हमारे ऊपर है तो फिर हमारी निगाह बजट बनाते समय सिर्फ मर्दों पर ही क्यों जाती है और औरतों पर क्यों नहीं जाती। इसमें सिर्फ एक लाख रुपये की रकम औरतों पर रखी गई है और वह भी फाले वुमेन के लिये। क्या दूसरी औरतों की आबादी यहां नहीं है? अगर इस आबादी की जिम्मेदारी घर के भाइयों पर, शौहर पर है तो आप इस पर न जायं लेकिन मैं अपने जिले में देखती हूं और अपनी कांस्टीटुएन्सी में जिस वक्त मैंने दौरा किया तो वहां देखा कि ५५ फीसदी औरतें ऐसी हैं जिनके यहां कोई कमाने वाला नहीं है और जहां ५—५ आदमियों की रोटी एक औरत पूरा करती है जगह जगह फिरती हैं और तरह तरह के जरियेमाश वह लोग अख्तियार करती हैं। मैं चाहती हूं कि औरतों के लिये भी आप को हर तरह के दरवाजे खोलना चाहिये और उनके लिये दूसरे सेक्शन जिससे वह अपनी हालत दुरुस्त कर सकें हमें खोलना चाहिये। जैसे काटेज इंडस्ट्री वगैरह हैं। काटेज इंडस्ट्री के लिये सिर्फ दस लाख की रकम रखी गई है। यह ऐसी चीज है कि जिसमें औरतें और मर्द बराबर हिस्सा ले सकते हैं। हमारे बजट में करीब सवा ४ करोड़ का खसारा है और अगर हम काटेज इंडस्ट्री की तरफ तवज्जह देते तो इस सूबे के मर्द और औरतें सब सनअतोहिरफत में तरक्की करके इस सूबे की माली हालत बेहतर बना सकते थे। यहां की औरतें जो सनअत जानती हैं उसके लिये उनका आर्ट्स और क्रैफ्ट्स में दूसरे मुल्क में बड़ा नाम है और जिसके लिये बाहर के मुल्कों में एक तरह की मेहनेस है। हमें लाजिम है कि हम अपने यहां काटेज इंडस्ट्रीज को तरक्की देकर अपने यहां हर तरह की चीजें तैयार करा के बाहर एक्सपोर्ट करावें।

यह जो खसारा है, अगर हम अपनी ५ साला स्कीम पर अमल करें तो मैं यह दावे के साथ कह सकती हूं कि साल दो साल में हम उसे पूरा कर सकते हैं। हम अपनी अहलियतों पर नहीं जाते, हम अपनी ताकत को ढूंढ़ते हैं। पहले हमें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल सीखना चाहिए। तब ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम सही तौर पर इनर्जी को काम में लगाएं तो कोई वजह नहीं है कि हम अपने मुल्क की फलाह और बहबूदी में हिस्सा लेकर उसको खुशहाल न बना सकें।

अगर अपोजीशन का एतराज यह है कि यह खुशहाल रियासत नहीं है तो बहुत जल्दी यह खुशहाल रियासत हो सकती है। यह भी मैंने लोगों को कहते सुना, "वह कौन सा जादू है जिसके जरिये गवर्नमेंट इस सवा चार करोड़ के खसारे को पूरा कर देगी?" वह जादू है, मगर "जादूगर" नहीं है। वह यही जादू है। अगर हम इसको सही इस्तेमाल करना चाहेंगे तो ५० परसेंट आबादी जो बेकार पड़ी हुई है वह बहुत कारआमद साबित हो सकती है। हमारे यहां खाने वाले बहुत हैं। एक एक घर में १०—१० हैं। कमाने वाला एक मुश्किल से मिलता है। न हम उस बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, न इस नजीर का कोई जवाब दे सकते हैं, न कोई ताकत ही फराहम कर सकते हैं। जिस वक्त हमारा पेट भरा होता है तभी हम बैरूनी चीजों की तरफ ख्याल करते हैं और उसकी जरूरत पेश आती है। अगर कोई हमला बाहर

से होता है, कोई ऐसी चीज आती है तो आज सबसे पहले जो शख्स जिस तलाश में निकलेगा वह अपने मुल्क को बचाने के लिये नहीं, बल्कि घर को बचाने के लिये निकलेगा, इसलिये निकलेगा कि उसके बच्चे फाके मारते हैं। फाका मारने का गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं है। उसके पास इतने मीन्स नहीं हैं, इतनी रोजी नहीं है कि वह हर एक के मुंह में लुकमा दे सकें। यह तो हर एक का फर्ज है कि वह अपना पेट खुद भरे और उसके लिये कोशिश करे। लेकिन गवर्नमेंट का यह फर्ज है कि हर एक को मौका देना चाहिए।

मैं यू० पी० गवर्नमेंट से इस्तेदुआ करूंगी कि जिस वक्त यू० पी० गवर्नमेंट अपना बजट बनाने बैठे उस वक्त उसकी निगाह में यह चीज होनी चाहिए। एक तो यह कि हमारे यहां एक तरीका मुद्दत से बन गया है कि घर में जितने आदमी होते हैं उनमें मर्द एक कमाने वाला होता है और अगर यही सूरत रही तब उन बेवा औरतों और उन मफलूज मर्दों के घर की औरतों पर यह जिम्मेदारियां आयद होती हैं। उन जिम्मेदारियों को गवर्नमेंट अपने सर पर ले। अगर गवर्नमेंट उनको मौका नहीं दे सकती तो उनकी जिम्मेदारियों को अपने सर पर ले, इसका इन्तजाम किया जाय, वरना गवर्नमेंट को उन्हें बराबर का हिस्सा देना और बराबर के हुकूक देने चाहिए।

दूसरी चीज मैं यह अर्ज करूंगी कि नशाबन्दी के लिये हमारी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ इन्तजाम किया है। वाकई खुशहाल रियासत वह है और खुशहाल रियासत की तारीफ जो कुछ मैं समझी हूं वह यह है कि एक मुल्क या एक रियासत खुशहाल कही जा सकती है जिसमें अमन व अमान हो, जिसमें जान व माल की हिफाजत हो, जिसमें खाने-पीने की बेफिक्री हो, जिसकी सनअत व हिरफत में तरक्की हो, जिसका इखलाख व किरदार बुलन्द हो। इन्हीं चीजों पर निगाह रख करके हम किसी मुल्क को खुशहाल कह सकते हैं। इस खुशहाल रियासत में अगर इखलाक की तरफ तवज्जह कीजिए तो शराबबन्दी के लिये बड़ी बड़ी मुहिम सामने आईं, उसको गवर्नमेंट ने फिस किया। गवर्नमेंट ने यह मखब इखलाक की जो चीजें हैं उनको दूर करने की कोशिश की, मगर मैं इससे भी ज्यादा जो मखबे इखलाक की चीज है और जो हमारी गवर्नमेंट के लिये, हमारे मुल्क के बाशिन्दों के लिये जो एक कलंक का टीका है, उस पर निगाह किसी की नहीं गयी, उसकी तरफ तवज्जेह दिलाना चाहती हूं।

इस दुनिया में कहीं भी प्रास्टीट्यूट के लिये जगह नहीं है, लेकिन हिन्दोस्तान में कोठे तैयार किये जाते हैं, उनसे किसी को कोई नहीं रोकता। उन पर कोई आब्जेक्शन नहीं करता। उनको बैन नहीं किया जाता है। शराब सिर्फ अपने किरदार को, या अपने घर को तबाह करती है, लेकिन यह वह चीज है जो मुल्क को तबाह करती है। जो हमारे बच्चों के सामने एक बदतरीन नमूना इखलाक के गिराने का पेश करती है। लेकिन उस तरफ किसी की निगाह नहीं गयी। वह इसलिये नहीं गयी कि उस औरत की तरफ किसी की निगाह नहीं उठती है। अगर औरतों की तरफ निगाह उठती होती तो इन तमाम चीजों की तरफ जरूर नजर जाती। मैं उन चीजों की तरफ इसलिये तवज्जह दिला रही हूं कि जहां मेरी खुशहाल स्टेट को इतनी कोशिशें और दावे करने पड़े हैं, मेरी ख्वाहिश है कि इससे ज्यादा मेरी स्टेट के दाव हों। इससे ज्यादा और चीजें मुल्क के अन्दर आयें और हम सही माने में कह सकें कि हमारी स्टेट वाकई खुशहाल स्टेट है।

अगर आज हम यह देखें तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि जनाने और मरदाने काम अलग अलग बांटे गये हों। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमारे हिन्दोस्तान में यह कहा जाता है कि यह काम औरतों के काबिल नहीं है। इस काम के लिये औरतें नहीं हैं। उस काम के लिये औरतें नहीं हैं। औलाद का जहां तक ताल्लुक है, तालीम तरबियत, जिम्मेदारी, हुकूक और अख्तियार के लिये जहां तक देखा जाता है, वह कहा जाता है कि बाप का हक है। सिर्फ मां परवरिश करती है। लेकिन फिर जब वक्त आता है और बाप नहीं रहता है या बाप इस काबिल नहीं रहता है कि कमा सके तो वह बोझा औरत के ही सिर पर तो पड़ता है। उससे भी आगे मुझे यह बात बतानी है कि इस वक्त जो काम औरतों के कहे जाते हैं नर्सिन्ग है, बाबर्चीगीरी है, तो बाबर्ची भी मर्द हैं, दर्जी की दूकान भी मर्दों की

[श्रीमती सईदा बेगम सफी शेरवानी]

है। मर्द को इतना भी गवारा नहीं की एक चीज भी, एक जगह भी, जो कि घरों के अन्दर उनके नाम रखी गयी हैं, उससे भी वह बाहर रोजी कमा सकें, वह काम उनके लिये छोड़ दें। इस सबके साथ आप समझते हैं कि औरत किसी काम के काबिल नहीं। तो मुझे कहना है कि सुल्तान चांद का तमाचा अकबर बादशाह का मुंह तोड़ने के लिये काफी था। उन लोगों को वाकई देशभक्ति थी। अपने मुल्क की आजादी उनको जान से अजीज थी। लक्ष्मीबाई रानी झांसी ईस्ट इंडिया कम्पनी पर तमाचा मार देने के काबिल थी। लेकिन वह इसलिये कि उस वक्त औरत और मर्द का कोई फर्क नहीं था। हर मर्द अपने मुल्क की आजादी के लिये जान देना चाहता था।

आज हमारे यहां पुलिस की कमी है। वाकई पुलिस की कमी है। गवर्नमेंट उसका इन्तजाम क्या करे। बाहर के इतने बेकार लोग आ गये हैं। हम पुलिस में इजाफा भी नहीं कर सकते। हम ज्यादा खर्च बरदाश्त नहीं कर सकते: मगर मैं आपसे कहूंगी कि क्या बहुत से काम स्काउट्स से नहीं लिये जा सकते। ट्रैफिक, लाइट सर्विसेज, मिनिस्टरों के यहां पहरा देने का काम क्या स्काउट्स ठीक तरीके से काम नहीं कर सकते। मिनिस्टर कौन है? उस स्काउट का लीडर है। वह स्काउट जिस दिलचस्पी से काम करेगा वह पैड सरवेन्ट नहीं कर सकता। जहां कि हमें इस किस्म की हिफाजत की जरूरत है वहां हम स्काउट्स पार्ट टाइम पर रखें और मुझे उम्मीद है कि उसमें लड़कियां और औरतें भी मिलेंगी। मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत जो हमारे सामने है वह पुलिस और आइन्दा की एहतियात के लिये फौज है। इन दोनों के लिये जब तक हम अपना नजरिया नहीं बदलते, हमारे पास जितनी आबादी है उसको सामने रखकर तवाजुन के साथ आगे बढ़ना है और हर शख्स से उसकी ड्यूटी लेनी है। हर शख्स की अहलियत, कूव्वत और काबिलियत देखकर उसको देना है। हम कालेज में डिग्रियां लेना नहीं चाहते। हमारे यहां डुडवारा में बहुत से ऐसे कालेज हैं जिनके दोहराने का वक्त नहीं है, जिनकी जिम्मेदारियां ज्यादा नहीं हैं। इतना कहने के बाद मैं समझती हूं कि अब वक्त नहीं है। सिर्फ इतना इशारा करूंगी और गवर्नमेंट से इतनी दरख्वास्त करूंगी कि गवर्नमेंट आइन्दा बजट के मौके पर औरतों और खसूसन काटेज इन्डस्ट्रीज पर तवज्जह दे और जो जिस काबिल है, स्टैन्डर्ड काबिलियत, अहलियत और ताकत पर होना चाहिए। इसको देखते हुए उन लोगों को काम दिया जाय।

✓ अन्न मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, परसों से मैंने बड़े ध्यान के साथ विरोधी दल के मान्य नेता का भाषण साढ़े तीन घंटे तक सुना जिस पर कि हमारे प्रान्त के एक्सचेकर को करीब साढ़े तीन हजार रुपया अदा करना पड़ता है। और श्री नारायण दत्त तिवारी जी के भाषण को भी सुना। मान्य विरोधी दल के नेता ने माननीय वित्त मन्त्री के कल्याणकारी राज्य का मजाक बनाने की कोशिश की। उन्होंने कल्याणकारी राज्य की परिभाषा भी की और उनको इस ७८ करोड़ रुपये के बजट में कोई कल्याणकारी बात नजर नहीं आयी। जब मैं उनका भाषण सुन रहा था मुझे एक कहानी याद आ रही थी कि यूनान में एक आदमी था जो अपने सिर पर लोहे का टोप पहिनता था और अपने पेट पर लोहे की पेटी लगाता था। उसको भय था कि कहीं अक्ल फूट करके उसके सिर से और उसके पेट से बाहर न निकल जाय इसलिये कि अक्ल बहुत ज्यादा थी। कल्याणकारी इस बजट के अन्दर उनको कोई बात नजर नहीं आई और उन्होंने एक आदर्श कल्याणकारी राज्य का जो अपने सामने रख करके इस बजट की आलोचना और व्याख्या शुरू की तो इस बजट में वित्त मन्त्री जी ने कहीं यह नहीं कहा कि आज हमारा एक आदर्श कल्याणकारी राज्य है। बल्कि उन्होंने यह कहा कि इस पांच साल के अरसे में हमने करीब ढाई अरब रुपया इस प्रान्त की उन्नति के लिये व्यय किया है और इसमें यहां के सिंचाई के साधनों, चिकित्सा, स्वास्थ्य की उन्नति के लिये, सड़कों के निर्माण के लिये, ग्राम पन्चायतों की स्थापना के लिये हमने कार्य किया है। केवल उन्होंने यह कहा कि बावजूद इन मुश्किलात के, कठिनाइयों के, हम दृढ़ता के साथ, आशा के साथ, कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं

और हमें यकीन है कि निकट भविष्य में वह हमारा लक्ष्य प्राप्त होगा। तो यह नहीं कहा गया कि कल्याणकारी राज्य इस वक्त प्राप्त हो गया है। विरोधी दल का एक मुख्य कार्य होता है। विरोधी दल के द्वारा सरकार को लाभ होता है, उसको पता लगता है कि उसकी क्या त्रुटियां हैं, जिससे कि वह उसके अन्दर सुधार कर सके। विरोधी दल एक ब्रेक का कार्य कर सकता है, लेकिन जब कि विरोधी दल की ओर से किसी प्रकार का ऐसा कोई सुझाव न दिया जाय जिससे सरकार फायदा उठावे तो वह बेकार होता है। मैं आशा करता था कि हमारे विरोधी दल के नेता बतलायें कि वह यदि समाजवादी दल की तरफ से एक बजट इस प्रान्त के लिये बनाते और वित्त मन्त्री की हैसियत से वह इस प्रान्त के निर्माण को अपने हाथ में लेते, तो उनका बजट क्या होता, आबपाशी की दर वह क्या लागू करते, वह यहां पर रेवेन्यू क्या वसूल करते, पटवारियों का वेतन क्या रखते, ७८ करोड़ रुपये का बजट होता या साढ़े सात करोड़ रुपये का बजट होता या ७ अरब रुपये का होता ? तो उन्होंने कहा कि कई मर्तबा समाजवादी दल ने कहा कि हमारा लक्ष्य यह है कि राज्य के अन्दर किसी व्यक्ति को एक हजार रुपये से अधिक वेतन न मिले और भी किसी व्यक्ति को १०० रुपये से कम वेतन न मिले तो क्या उन्होंने देखा कि हमारे राज्य के अन्दर कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनको ५० रुपये से कम वेतन मिलता है ? हमारे प्रान्त में जो ५० रुपये से कम वेतन पाते हैं उनकी संख्या १ लाख ७२ हजार से अधिक है और जो हमारे तमाम बजट का ४२.२५ पाते हैं। जिनको ५० रुपया से ज्यादा और १०० रुपये से कम वेतन मिलता है उनकी संख्या ४८,७३० है और वह २७ फीसदी हमारे बजट का अंश तनख्वाह के रूप में पाते हैं। जो लोग २०० सौ रुपये से अधिक वेतन पाते हैं उनकी अपनी तनख्वाह की शक्ल में केवल १५ फीसदी मिलता है और ३०० से अधिक जो पाते हैं उनको ५.४२ मिलता है। ७५० रु० से लेकर एक हजार तक पाने वालों की संख्या केवल २८५ है और उनको १.३१ मिलता है। जिनका वेतन १ हजार रुपये से अधिक है उनकी संख्या ३२१ है और उन्हें २.८९ मिलता है तमाम प्रान्त के बजट में से।

तो हम यह मालूम करना चाहते हैं कि वह किस प्रकार से इस बजट का संतुलन करते। ५० रुपये से प्रत्येक कर्मचारी को १०० रुपया देकर के उसको कहां से बढ़ाने की कोशिश करते ? क्या वह इसके लिये मुनासिब समझते कि इस अनुपात को नीचे लाने के लिये ऊपर की तनख्वाह इस प्रकार की जाय ? जहां तक १ हजार रुपये से ऊपर के कर्मचारियों का सवाल है मद्रास के मुख्य मन्त्री ने इस प्रश्न को उठाया था। यह प्रश्न एक अलग प्रान्त का सवाल नहीं है। यह तो एक अखिल भारतीय सवाल है और इसका अखिल भारतीय नीति के साथ में सम्बन्ध है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमको यह भी विचार करना होगा कि हम राष्ट्रीय आय की कोई सीलिंग मुकर्रर करना चाहते हैं। यदि समाज के अन्दर आज कोई दल, यदि समाज के अन्दर कोई व्यक्ति, सरकार के नियम बनाना चाहता है, तो वह उस आदर्श को अपने अमल के अन्दर लाने की कोशिश करता है। संसार के अन्दर तो सरकार उन्हीं नियमों को अमल में लाया करती है जिनको अल्प मत के लोग एक आदर्श मान करके अपने अमल के अन्दर लाने की कोशिश करते हैं। जबकि हम बाहर देखते हैं कि एक समाजवादी वकील अपनी स्वेच्छा से अपनी आय का नियन्त्रण रखने के लिये तैयार नहीं है, एक समाजवादी व्यापारी एक हजार रुपया राष्ट्रीय आय में लाने के लिये तैयार नहीं है। तो आज इस ट्रांजीशनल पीरियड में यह आशा करना कि सरकार उस उसूल के अन्दर चले इससे कन्फ्यूजन पैदा होगा, एफीशियेन्सी गिरेगी। एक तरफ हम मानते हैं कि जिन लोगों को वेतन कम मिलता है उनके साथ हमारी हमदर्दी है, दूसरी तरफ करों की वृद्धि की आलोचना की जाती है।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां पर कल्याणकारी राज्य चलते हैं, जहां पर उन्नति हुई है, अगर आप वहां की राष्ट्रीय आय को देखें और सरकार के करों के अनुपात को देखें, तो आपको मालूम होगा कि वहां राष्ट्रीय आय का कितना बड़ा अंश सरकारी कर के रूप में लिया जाता है। आस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय आय का ३६

[श्री बनारसी दास]

परसेंट से अधिक सरकारी कर में लिया जाता है। यूनाइटेड किंगडम में वहां की राष्ट्रीय आय का ४१ परसेंट से अधिक सरकारी कर की शक्ल में वसूल किया जाता है। हमारे ही निकट सीलोन के छोटे से द्वीप में वहां की राष्ट्रीय आय का १९ परसेंट वसूल किया जाता है। अमरीका में राष्ट्रीय आय का २० से २३ परसेंट तक वसूल किया जाता है। न्यूजीलैन्ड में २५ परसेंट तक वसूल किया जाता है। हमारे ही नजदीक एक पिछड़े हुए मुल्क पाकिस्तान में ६ परसेंट राष्ट्रीय आय कर वसूल किया जाता है, जबकि हमारे देश के अन्दर तमाम करों का आधार हमारी राष्ट्रीय इनकम के अनुपात से केवल ४ प्रतिशत है। तो एक तरफ यह कहना कि सरकार का लक्ष्य है कि शीघ्र से शीघ्र कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति हो, और दूसरी तरफ हम उस बोझे को, उस बलिदान को, हम जनता पर लगाने से इनकार करें। मैं आप से कहूंगा कि यह परस्पर विरोधी बातें हैं। मैंने गौर के साथ उनके भाषण को सुना और उन्होंने कुछ आंकड़े दिये और यह कहा कि शिक्षा पर अनुपात कम हो गया है, चिकित्सा पर अनुपात कम हो गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इस ७८ करोड़ रुपये के बजट को वे पुलिस बजट कैसे बनाते हैं। मैंने भी उसको देखा। जितने कर हम वसूल करते हैं उनपर हमारा ६ करोड़ के क़रीब खर्चा होता है और हमारे जेल, पुलिस और जेनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन पर कुल १२ करोड़ ४१ लाख से ऊपर खर्चा होता है। जो डेवलपमेंट के कार्य हैं, उनपर इस सरकार का कुल मिला कर ५० करोड़ रुपया से अधिक खर्च होता है।

यह कहना कि सरकार की आय पहले १२ करोड़ रुपया थी और आज ७८ करोड़ है, पहले शिक्षा का अनुपात ज्यादा था, आज कल कम हो गया है। मैं उनसे कहूंगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिये, पंचायतों को क़ायम करने के लिये, जो कि आप के चार खंभों में से सब से आधारभूत खंभा है, उस पर हम एक करोड़ खर्च करने जा रहे हैं, क्या १२ करोड़ के बजट में उस वक्त पंचायत राज की स्थापना के लिये कोई प्राविजन था। आज आप का हरिजन वेलफयर डिपार्टमेंट है, जो कि बैकवर्ड जातियों की उन्नति के लिये है, जिस पर आप ५५ लाख से ज्यादा व्यय कर रहे हैं, क्या १२ लाख के बजट में उसका कोई स्थान था? लास्ट ईयर हमने देखा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने पूर्वी ज़िलों की स्केयरसिटी के बारे में आन्दोलन किया। इस साल हमारे बजट में साढ़े चार लाख रुपया अनाज की सहायता देने के लिये खर्च होगा। गत साल सन् १९५१-५२ में केवल ७ करोड़ रुपया इस प्रान्त में अनाज की सहायता के ऊपर देना पड़ा। क्या १२ करोड़ के बजट के समय प्रान्त में जनता को मंहगाई से बचाने के लिये सस्ते अनाज की दरों पर अनाज मुहैया करने के लिये इस प्रकार की योजनाओं की कोई जरूरत थी? तो इस लिए केवल एक हिसाब लगाने के लिए केवल एक आलोचना करने के लिए स्वास्थ्य और चिकित्सा के आंकड़े ले लेना, सड़कों के आंकड़े ले लेना, शिक्षा के आंकड़े ले लेना और उसके बाद में जल्दी से एक नतीजा निकाल देना, यह कोई कल्याणकारी बजट नहीं, यह तो पुलिस स्टेट का बजट है। मैं पूछना चाहता हूं कि विरोधी बेन्चेज की तरफ से कोई माननीय सदस्य साहस के साथ कहना चाहते हैं कि पुलिस का साढ़े सात करोड़ का बजट काट दिया जाय जब यह कल्याणकारी बजट होगा तो क्या आज इस राज्य के अन्दर पुलिस की ज़रूरत नहीं होगी? आप समझते हैं कि यह जो डेढ़ करोड़ रुपया आप जेल पर खर्च करते हैं तब यह कल्याणकारी बजट होगा जबकि इसके अन्दर जल के लिए स्थान न होगा। क्या आप चाहते हैं कि यह जो जुडीशियरी के लिए एक करोड़ से ज्यादा रखा गया है वह काट दिया जाय तब यह कल्याणकारी बजट होगा? मैं पूछना चाहता हूं कि संसार के अन्दर कोई एसा राज्य है कि जहां पर कल्याणकारी राज्य क़ायम हुआ हो और वहां पर पुलिस को तोड़ दिया गया हो? इंगलैंड के अन्दर लन्दन शहर में जितनी पुलिस है वह हमारे तमाम यू० पी० के प्रान्त से अधिक है। तो आज यह कहना कि यह एक पुलिस स्टेट का बजट है तो आज प्रान्त के अन्दर मैं तो कहूंगा कि शान्ति व्यवस्था के लिए अगर आप कल्याणकारी राज्य की व्याख्या यही मानते हैं कि उसमें आप भय का स्थान चाहते

हैं। और अगर आप भय से मुक्ति चाहते हैं तो भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति के दो ही तरीक़े हैं। एक तो आंतरिक नियन्त्रण जनता के अन्दर हो या वाह्य नियन्त्रण हो। वाह्य नियन्त्रण कैसे होता है, राजसत्ता के द्वारा, पुलिस के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा शान्ति व्यवस्था का क़ायम रखना। यदि आंतरिक नियन्त्रण हमारे प्रान्त के अन्दर न होता, जबकि आज हमारे प्रान्त के अन्दर डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं और जब कम्यूनिस्ट पार्टी का नाम लिया जाता है तो हमारे मित्र कहते हैं कि वह कहां है, जमीन पर हैं या आसमान के ऊपर हैं ? उसका हव्वा पेश किया जाता है, लेकिन मैं देखता हूं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी का लक्ष्य है डिस–आर्डर पैदा करना, अराजकता पैदा करना, केयास पैदा करना और जनता का मारल नीचे गिराना और उसमें से एक वर्गहीन समाज जिसे वह अपना कहते हैं और जिसका वैंगार्ड वह अपनी पार्टी को कहते हैं उस अशान्तिमय से तो उनकी एक टैकनिक है, एक नीति है और यह उन्हीं के अनुसार नहीं उनकी नीति के अन्दर यह भी शामिल है। समय के अनुसार वह असंगत करके और समय के अनुसार वह बिल्कुल एक ड क के अन्दर आ करके खड़े हों और यह कहें कि आप तो हमारे राजनैतिक पिता हैं, हम बच्चे हैं, हमने भूल की और फिर आकरके यह कहें कि यह तो बिल्कुल पूंजीपतियों की स्टेट है, कभी आकरके यह कहें कि यह कल्याणकारी राज्य है। उसमें कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं उसमें कोई असंगत नहीं, यह तो उनकी नीति के अनुसार है। वह इसी प्रकार से आज हमारी पार्टी कल्याणकारी समझते हैं और अपना लक्ष्य बनाते हैं। अशान्त की व्यवस्था का सहारा लेते हैं और इस रीति को अपना आधार बनाते हैं। मैं तो खुल कर आप से कहता हूं कि आप अपना बजट पेश करें और आप बताएं कि यह हमारे राज्य का बजट होगा जिससे तमाम प्रान्त को संतोष होगा। मैं समझता हूं यह साहसपूर्ण क़दम होगा, मैं समझता हूं इसमें जनता की सही नुमाइन्दगी होगी। इससे उन बेन्चों पर बैठे हुए लोगों को एक रास्ता मिलता और हम लोग सराहना करते, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है और फिर वही बात याद आती है कि जब गांधी जी राउन्ड टेबिल कान्फ्रेंस में गये थे तो एक अंग्रेज उन्हें रोज गालियां देता था और एक दिन उसने एक लम्बी चिट्ठी लिखी और गांधी जी को दे दी। गांधी जी ने उसमें से एक पिन निकाल ली और उसे फेंक दिया। उसने कहा कि गांधी तुमने चिट्ठी पढ़ी नहीं। गांधी जी ने जवाब दिया कि जो काम की चीज़ थी उसे निकाल लिया। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने इतने लम्बे भाषण को सुना, लेकिन मुझे खेद है कि मुझे पिन के बराबर की भी कोई चीज नहीं मिली जिससे हमें लाभ हो सके। अब, लाल रोशनी दीख रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट की आलोचना का तरीक़ा केवल यही है कि आलटर्नेटिव बजट पेश किया जाय और यह कहा जाय कि हमारी सरकार होगी तो इस तरह से हमारे ऊपर कर लगाये जायंगे। तब तो इस प्रान्त को कोई लाभ होगा वरना आलोचना से आलोचना होगी और उससे कोई लाभ नहीं होगा। न उससे हम कोई लाभ उठा सकते हैं और न प्रान्त का निर्माण हो सकता है। राष्ट्र को अगर बनाना है तो उसके लिये नारा रखना होगा। अगर राज्यक्रान्ति खून से लाई गई है तो लोककल्याण का इतिहास हम सब को अपने पसीनों से लिखना होगा। इसके अलावा और कोई आदर्श नहीं है, कोई तरीक़ा नहीं है। इसी के द्वारा हम लोक कल्याण की बात कर सकते हैं और यह हमारी प्रान्तीय सरकार जिसको इस पूरे प्रान्त का बहुत बड़ा बहुमत प्राप्त है वह इसी दृढ़विश्वास के साथ उस लक्ष्य की पूर्ति के लिये अग्रसर हो रही है।

श्री मलखानसिंह (जिला अलीगढ़)––माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अभी हमारे माननीय भाई बनारसीदास जी ने जो आंकड़े इस सदन के सामने रखे हैं कि एक लाख ७२ हजार के क़रीब ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाहें ५० रुपये से कम हैं और जिनपर जितना ख़र्च बजट में है उसका ४२ प्रतिशत ख़र्च होता है। यह ऐसे भूलभुलैये की बात है जिसके साफ हो जाने की बड़ी आवश्यकता है। हमारा बजट ७८ करोड़ ८० लाख का है और उसका ४२ फीसदी हिसाब लगाइयें तो मालूम होगा कि ३३ करोड़ रुपये के क़रीब आता है। क्या मैं अपने भाई बनारसीदास जी से पूछ सकता हूं कि क्या जितने कम तनख्वाह पाने वाले कर्मचारी इस प्रदेश के हैं वह इस बजट में से ३३ करोड़ पा जाते हैं।

श्री बनारसी दास--जितना तनख्वाहों पर व्यय होता है उसका ४२ प्रतिशत।

श्री मलखान सिंह--तो उसको पेश करते कि तनख्वाहों पर कितना व्यय होता है। यह आप इस तरह के आंकड़े बताकर लोगों को धोका दे रहे हैं। आपको सही सही बताना चाहिये था कि तनख्वाहों पर कितना व्यय होता है।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--बजट स्पीच में यह चीज लिखी हुई है।

श्री मलखान सिंह--अभी उन बातों पर भी रोशनी डालूंगा। हमारे भाई जो गवर्नमेंट बेंचेज पर बैठे हुये हैं वह यह कहते हैं कि आप अपना बजट पेश कर दीजिये। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं और न किसी प्रकार का कोई जरिया है, लेकिन हमसे यह उम्मीद करते हैं कि बजट बनाकर पेश कर दें और एक घंटे के अन्दर एक दिन के अन्दर इनके सामने बजट बना कर पेश कर दें। हम चुनौती देते हैं कि बजट पेश करेंगे अगर सब आंकड़े हमको दिये जायं तो हम बजट बनाकर दिखा देंगे कि किस तरह से बजट बनता है। यह चीज नहीं है कि हम बजट बनाना न जानते हों। अभी मेरे भाई नारायण दत्त जी तिवारी ने आपके सब आंकड़ों का भंडाफोड़ किया है वह तो आपके सामने है। अब उसके बाद भी आप क्यों इस तरह की बातें करके लोगों को धोका देना चाहते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि अगर ५० रुपये से कम तनख्वाह वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाय तो हमारा बजट जमीन में चला जायगा। इसी ७९ करोड़ रुपयों में सब कुछ इंतजाम हो सकता है और जितने भी छोटे या बड़े तनख्वाह के लोग हैं सब आराम से रह सकते हैं। जो बड़ी तनख्वाहें पाने वाले हैं उनको भी घटाया जा सकता है और उसके बाद भी वे आराम से रह सकते हैं। यह सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसके लिये तो समय चाहिये केवल एक बजट स्पीच में यह कह देना कि हमारे विरोधी पार्टी के लोग बजट नहीं पेश करते, ठीक नहीं है। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं, कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि यह बात एक महीना पेश्तर कहते और हमको भी आंकड़े दे देते तो इतना बड़ा दफ्तर तो हमारे पास नहीं, लेकिन आपके सामने ७८ करोड़ ८० लाख का बजट आपके सामने बनाकर पेश कर दिया जाता और उस समय जनता को मालूम हो गया होता कि किस तरह से वेलफेयर स्टेट का बजट बना करता है।

मैं आपके सामने यह भी कहूंगा कि हमारे माननीय वित्त मन्त्री जी ने अपनी स्पीच में सफहे १ पर यह बात कही है---"जो राज्य अपना कर्त्तव्य सिर्फ जान माल की हिफाजत या चौकसी तथा अमन व शान्ति की बरकरारी तक महदूद रखता है वह वेलफेयर राज्य नहीं है। वेलफेयर राज्य का कर्त्तव्य यह है कि वह अपनी जनता के लिये हर तरह की उन्नति और तरक्की के मौक़े पैदा कर दें।" उन्नति और तरक्की के मौक़े इस राज्य में इतने पैदा हो रहे हैं कि अगर मेरे साथी किसी पक्षपात से भरे हुये नहीं हैं तो उन्हें मालूम हो जाना चाहिये कि बेकारी दिन दूनी और रात चौगुनी हमारे सिर पर चली आ रही है। यह तो उन्नति का तरीक़ा है? कौन सी उन्नति हो रही है? आज आपके भवन के सामने मास्टर, अध्यापक लोग भूख हड़ताल किये हुए बैठे हैं। जितने माननीय सदस्य इधर के और उधर के हैं और जहां तक अखबारों की रिपोर्ट से मैं पढ़ा है, वह भी यानी कांग्रेसी भाई और हम भी कहते हैं कि उनकी मांग जायज है, ठीक है। हमारे पास कोई जवाब नहीं है। एक जवाब है जब तक दो चार भूखे नहीं मर जायंगे तब तक हमारी तौहीन हो जायगी अगर हम किसी बात को स्वीकार कर लें।

मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि सफा १३ पर माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि 'अमन' और शान्ति की हालत बहुत मजबूत हो गई है, बहुत अच्छा है। यह तो आप अपने मुंह से जो चाहे कह लें, लेकिन आपके आंकड़े क्या बतला रहे हैं? ढाई हजार कैदी आपके जेलखानों में बढ़ गये हैं और आपके आई० जी० पुलिस और आंकड़े बजट के क्या कहते हैं? हमारे यहां क्राइम्स में कमी हुई है, हमारे यहां अपराधों में बहुत कमी हुई है, लेकिन ढाई हजार कैदी जेलखानों में बढ़ गये हैं। यह आंकड़े हैं और आप कहते हैं कि हमारे यहां क्राइम में वृद्धि नहीं हुई और कमी हो गई है और यही आपके आई० जी० पुलिस कहते हैं और आप भी

अपनी स्पीच में यही कहते हैं। मैं आपको बतलाऊं कि एक तरह से सफेद झूंठ बोलना और काग़ज़ पर कुछ लिखना जिस सरकार का ध्येय हो उसके आगे रोना ऐसा है 'जैसा भैंस के सामने बीन बजाना'।

श्री हाफिज महम्मद इब्राहीम--मैं जनाब की तवज्जह दिलाता हूं कि इस क़िस्म के अल्फाज़ जैसे कि मेरे दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हाउस में इस्तेमाल किये जा सकते हैं या नहीं। अभी थोड़ी देर हुई उनकी ज़ुबान से यह फिकरे निकले थे कि धोखा देते हैं और अभी यह अल्फाज़ निकले हैं कि झूंठ बोलते हैं या झूठ हैं। यह चीज किस क़दर बेजा है, मैं इसकी तरफ जनाब की तवज्जह दिलाता हूं कि आखिर इन अल्फाज़ के यहां के मेम्बरान के लिये बोलना इस एवान की शान के.....

श्री अध्यक्ष--यह आप प्वाइंट आफ आर्डर रेज़ करना चाहते हैं।

श्री हाफिज महम्मद इब्राहीम--जी हां, मैंने आपकी तवज्जह दिलाई कि यह अल्फाज़ मेरे नज़दीक़ अनपार्लियामेंटरी हैं जो इस्तेमाल नहीं होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष--इसके बारे में यह तरीक़ा रहा है कि अगर किसी माननीय सदस्य के बारे में कहा जाय कि वह झूंठ बोलते हैं या कहते हैं तो वह अनपार्लियामेंटरी ज़रूर हैं और उसको मैं रोक देता हूं, लेकिन जहां तक कोई चीज़ लिखी गई है या कही गई है उसके बारे में अगर यह कहा जाय कि यह सफेद झूंठ है तो यह एक तरह से झूंठ कहने का मतलब नहीं होता, लेकिन असत्य का मतलब होता है यानी "this is not correct" उसका मतलब कोई झूंठ बोलता है यह बात नहीं है। अगर किसी वाक्य से यह मतलब निकले कि कोई सदस्य झूठ बोलते हैं तो वह वाक्य अनपार्लियामेंटरी ज़रूर कहा जा सकता है। लेकिन माननीय वक्ता के इस वाक्य से यह मतलब नहीं निकलता कि माननीय मंत्री झूंठ बोलते हैं, बल्कि यह निकलता है कि उनका कहा या लिखा असत्य है, यानी यह चीज नहीं है।

श्री मनखान सिंह--जितना मेरा समय खराब किया गया है वह तो मुझे आप देंगे ही और इस संबंध में जो यह कहा गया है और लिखा गया है कि अमन और शान्ति की हालत बहुत मज़बूत हो गई है। देखिये अभी कल की तारीख में एक्सप्रेस तार आये हैं। एक जगह से नहीं बल्कि तीन चार जगह से आये हैं--

'Mahant Digvijaya Nath harassing our admited grove land attached tana bana. Starvation forced, intervene."

Weavers of Gorakhpur.

गोरखपुर के जुलाहों ने तार दिया है कि तानाबाना कुर्क कर लिया गया है और सब का अटैचमेंट कर लिया गया है। इस तरह से महंत दिगविजयनाथ हरैस कर रहा है....

दूसरा तार यह है--

'BALLIA

Leader of opposition U. P. Assembly

Jograj Bhai badly beaten by Sahatwar police outpost staff yesterday lying unconscious Ballia kotwali police refused registering report officers attitude discourteous by indifferent public agitated intervention solicited Jagn Nath Sastri Socialist."

तीसरा तार यह है--

"VRINDABAN

Shri Rajnarain Singh Member Parliament Lucknow —

Refer all my petitions Letters telegrams to Hon'ble Sampurnanand Hargovind Singh Education Director Secretary Intermediate Secretary Government etc. Self still deprived of citizen ship protection justice against illegal serious conspiracies against me pray immediate protection justice by parliament etc.

B. N. Kaushish Soonter

[श्री मलखान सिंह]

ये इतने तो तार हैं। चिट्ठियां अगर मेरी फाइल पर देखेंगे तो इतनी ज्यादा हैं कि जिनकी कोई संख्या नहीं। मैं आपको यह भी एक बात बतला दूं कि पिछले बजट डिस्कशन पर माननीय सम्पूर्णानन्द जी का इस ओर ध्यान दिलाया गया था कि परसों इतवार के दिन जब कानपुर स्टेशन पर अर्जुन सिंह भदौरिया गुजरे तो मालूम हुआ कि वे ७ दिन से भूख हड़ताल पर थे और दस्त और कै हो रहे थे और किसी तरह से वह जाने के क़ाबिल नहीं थे, लेकिन उनको नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया। मुझे मालूम हुआ है कि जब मैंने सवाल उठाया तब जाकर उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। यह है हमारी सरकार की शोभनीय बातें जिनको मैं सुना रहा हूं। यह रिजोल्यूशन वहां पास हुआ--

"इटावा नगर प्रजा समाजवादी पार्टी की यह आवश्यक बैठक साथी अर्जुन सिंह जी को उनके अनशन के दौरान में जबकि उनका वजन २० पौंड कम हो गया था उनको दस्त हो रहे थे और बहुत ही दुर्बल थे और जबकि अनशन का सातवां दिन था और अनशन की उचित और न्यायपूर्ण मांगों को संतोषजनक तरीक़े से पूरा करके सम्मान पूर्वक अनशन को समाप्त करने का अवसर दिये बिना ही तथा पार्टी के शिष्ट मंडल को दिये गये मौखिक आश्वासन के प्रतिकूल चुपचाप रात्रि के तीन बजे जबरदस्ती अज्ञात स्थान को भेज दिया। स्थानीय प्रशासकों के इस दुर्व्यवहार पर रोष तथा क्षोभ प्रकट करती है और निन्दा करती है। यह कमेटी प्रान्तीय प्रशासकों से मांग करती है कि वह यहां के अधिकारियों द्वारा किये गये निरंकुश तथा अवैधानिक कार्यों की जांच कराये और दोषी अधिकारियों को दंडित करे।"

तो मैं आपके सामने यह बातें लाना चाहता हूं। इस तरह की बातों की जिम्मेदारी किस पर है। मैं आपको यह भी बतला दूं कि हम आबपाशी की दर को डयोढ़ा करने जा रहे हैं। जैसा हमारे भाई नारायण दत्त तिवारी जी ने बतलाया कि एक कमेटी सन् ४९ में बैठी थी उसके एक अंश की रिपोर्ट लेकर उसको आबपाशी को डयोढ़ा किया जा रहा है। मेरे पास गांव के लोगों की इतनी अर्जियां हैं कि आज जब कि बरसात भी हो गई, मेरे जिले में गेहूं के लिये पानी की सख्त जरूरत है और बम्बे सब बन्द हैं। पानी ठीक वक्त पर नहीं मिल रहा है। इस तरह से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसानों की गर्दन पर और टैक्स का बोझ बढ़ा कर 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन में सहयोग देना चाहते हैं! मुझे एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से बात करने का मौक़ा मिला। वह कहते हैं कि हम कब कहते हैं कि हम इतना पानी दे सकेंगे। यह लोग पानी को फैला लेते हैं। पानी को रोकने के लिये न सरकार और न पतरोल कोई इंतजाम करते हैं और जब पानी लगाया जाता है तो खेती आपकी सूखती रहे, भराई आप पर क़ायम हो जाती है। अभी अभी मैं आपको बतलाऊंगा कि क़रीब २ लाख ६२ हजार के रुपये ऐसे हैं जिससे गवर्नमेंट ने भराई के नाम से वसूल कर लिया है और अब जा कर इस तरह का सर्कुलर गवर्नमेंट का गया है कि जिन खेतों में ईख बोई जाती है और ईख के कटने के बाद जहां मेथी बोई जाती है वहां मेथी का अलग कोई भराई नहीं लेनी चाहिये, जबकि पिछले साल २ लाख ६२ हजार रुपये किसानों से भराई के वसूल किये गये हैं। तो उसके वापस करने की भी कोई कोशिश की जा रही है? यहां तो हर तरीक़े से इस बात की कोशिश की जा रही है कि रुपया हमको ज्यादा से ज्यादा मिले। खर्चा किस तरह से हो, इसका कोई पता नहीं है।

अभी अलीगढ़ की बात मेरे भाई शिवनारायण जी पूछ रहे थे। अरे, अपने मंत्री जी से पूछो। पंडित मोहनलाल जी वहां पर मौजूद थे और दूसरे लोग भी गये थे जब कि चुनाव हुआ था। तो सेल्स टैक्स के नाम पर कि गवर्नमेंट ने इतना ज्यादा सेल्स टैक्स बढ़ा दिया है, वहां पर पहले से ही हड़ताल हुई। वहां मंत्री लोग हिम्मत नहीं कर सके कि शहर में हो कर अपना जुलूस भी निकाल सकें। कोई मीटिंग कामयाब नहीं हुई और न हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी वहां तशरीफ़ ले गये क्योंकि वहां पर व्यापारियों ने रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि सेल्स टैक्स इतना बढ़ा दिया गया है जिसकी वजह से व्यापार चौपट हो गया है और अगर माननीय मुख्य मंत्री जी भी आयेंगे तो हम काले झंडों से उनका स्वागत करेंगे। इसके बावजूद

आज फिर वही बात आ गयी कि आप सेल्स टैक्स बढ़ा रहे हैं। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि हमारे इंडस्ट्रीज के जो मंत्री हैं, आज वह यहां पर नहीं हैं, अपने चुनाव में लगे हुये हैं, उन्होंने आज अलीगढ़ के घरेलू उद्योग-धंधों को चौपट कर दिया है। वहां तालों का उद्योग चौपट हो गया है जब कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट में यह एक नियम बनाया गया है कि जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उन पर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन अलीगढ़ के तालों पर सेल्स टैक्स है। यहां के बड़े बड़े आफिसर्स वहां के घर घर में जा कर देख आये हैं कि जहां ताले बनते हैं वह एक मजदूरी का सिलसिला है। उसको चौपट कर दिया गया है। क्या उसके लिये बजट में कुछ रखा गया है? हम समझते हैं कि इन सब बातों पर आपका बजट चुप है।

सड़कों के बारे में बहुत सी बातें हैं जिनको मैं कहना चाहता था। केवल एक बात कह करके मैं खत्म कर दूंगा। राधामोहन सिंह जी का एक बहुत लम्बा चौड़ा पत्र है, मैं उसका केवल कुछ हिस्सा ही पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है :—

"Mr. Gupta is a man of excellent character, high morals, deep patriotism, infallible honesty and pleasant manners. He would always go out of his way to fight injustice and to help the needy person not caring even for the risk he may incur upon himself thereby. I have known him personally even in his private life and can speak with certainty and conviction."

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—माननीय अध्यक्ष, मैं आवश्यक नहीं समझता कि बजट में वर्णन की हुई सरकार की सफलताओं पर प्रकाश डालूं, इसलिये कि सरकार की पार्टी के लोगों की तरफ से सरकार के हुये कामों पर काफ़ी प्रकाश डाला जा चुका है। मैं तो इस थोड़े से समय में उन बातों का वर्णन करना आवश्यक समझता हूं कि जिनको मैंने इस बजट में खोजने की कोशिश की, परन्तु उनको न पा सका। इस बात से आज समाज का कोई भी व्यक्ति इन्कार नहीं कर सकता कि समाज की मांग है कि जितनी भी शीघ्र हो सके हमारी सरकार को आर्थिक विषमता मिटाने के लिये क़दम उठाना चाहिये। मैंने इस बजट में यह ढूंढने की कोशिश की कि हमारी सरकार ने आगामी वर्ष में कोई योजना या कोई नीति इस प्रकार की निर्धारित की है कि जिससे आज की सामाजिक विषमता को मिटाने के लिये कोई क़दम उठाया जा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत कुछ ढूंढने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि बजट में कोई ऐसी योजना या कोई ऐसी नीति नहीं है, जिससे मैं यह समझ सकूं कि आर्थिक विषमता को मिटाने के लिये सरकार की तरफ से कोई क़दम उठाया गया है। इस संबंध में कि आज समाज की यह मांग है कि आर्थिक विषमता मिटनी चाहिये। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज को होने वाली हड़तालें हैं। आज मेहतरों की हड़ताल, पटवारियों का त्यागपत्र और अध्यापकों का आमरण अनशन, ये इस प्रकार की चीज़ें हैं कि समाज यह चाहता है कि जितनी भी शीघ्र हो सके आर्थिक विषमता मिटायी जाय और इसीलिये मुझे कल माननीय पंतजी के नाम अध्यापकों की ओर से एक खुला पत्र मिला है जिसमें उन्होंने जहां अपने वेतनों की वृद्धि के लिये मांग की है वहां साथ ही साथ यह भी कहा है कि यदि पैसे की कमी है तो बड़े छोटे सभी पर समान प्रभाव होना चाहिये। जब मंत्री और मेम्बर लोग अन्य प्रान्तों की अपेक्षा एक कौड़ी भी कम नहीं ले रहे हैं तो फिर बेज़बान अध्यापकों पर ही यह सब क्यों किया जाय। आप कुछ भी कहिये, परन्तु श्रीमन्, यह बात सुनने के बाद यह नतीजा निकलता है कि केवल अध्यापक वर्ग ही नहीं, बल्कि निम्न श्रेणी का अन्य कर्मचारीवर्ग भी यही शिकायत करता है कि उसका वेतन कम है वहां दूसरी ओर यह भी शिकायत है कि उनके ही प्रान्त के रहने वाले, उन्हीं के समाज के दूसरे लोग जिन्होंने किन्हीं कारणोंवश विशेष योग्यता प्राप्त कर ली है, उनको अधिक धन मिल रहा है। उनके असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है।

यह बात मानी जा सकती है कि प्राकृतिक साधनों के मुताबिक या समाज में मिली सुगमताओं के कारण कुछ व्यक्ति विशेष योग्यतायें प्राप्त करते हैं। मेरा यह विचार है और मैं यह समझता हूं कि उन्हें यह आर्थिक सुगमता के ही कारण प्राप्त हो जाती है। जिन लोगों को आर्थिक सुगमता प्राप्त नहीं है, उनका दिमाग और स्वास्थ्य अच्छा होते हुए भी अपने रास्ते में

[श्री महीलाल]

आई हुई अड़चनों के कारण वे अच्छी योग्यता प्राप्त नहीं कर पाते। उदाहरणार्थ: खेतिहर मजदूर का अच्छा लड़का, अच्छा दिमाग रखते हुए भी अच्छे साधनों के न होने से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है और अपने अन्तिम लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ होता है और उसका नतीजा यह निकलता है कि वह अच्छे पदों पर नहीं पहुंच सकता। जहां तक योग्यता का प्रश्न है मेरा यह दृढ़ विश्वास है और मैं यह समझता हूं कि जितने भी योग्य व्यक्ति हैं उन्होंने वह योग्यता अच्छे वातावरण में पैदा होकर, अच्छे आर्थिक ढांचे में परवरिश पाकर ऊंची योग्यता प्राप्त की है और जहां तक इस आर्थिक सुगमता का संबंध है वह आर्थिक सुगमता समाज की ओर से प्राप्त हुई है। राजा का लड़का राजा के घर में पैदा होकर अधिक तरक्की के साधन उपलब्ध करता है और वह बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकता है, लेकिन एक दरिद्र के लड़के के पास किसी प्रकार के साधन नहीं होते फिर वह उन्नति की ओर कैसे बढ़े। श्रीमन्, मैं इसमें और ज्यादा समय नष्ट न करते हुए माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि आज समाज की विषमता को मिटाने के लिये समाज की मांग है और सरकार को इस विषमता को मिटाना चाहिये और समाज की यह आर्थिक विषमता शीघ्र दूर होनी चाहिये।

इसके बाद मैं एक शुगर फैक्ट्री के मालिक के बारे में सदन को बताऊंगा जिनकी एक फैक्ट्री, जिला मुरादाबाद में अमरोहा फैक्ट्री के नाम से है। उस फैक्ट्री के मालिक ने एक तरफ तो किसानों को 'रुपया' नहीं दिया, लेकिन दूसरी तरफ एक और फैक्टरी किच्छा में खोल ली है। आज हालत यह है कि जिसके पास एक कार है वह दूसरी कार खरीदता है, जिसके पास एक मकान है वह दूसरा मकान बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ समाज के अन्य लोग भूखों मरते हैं। पूरे बजट को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि खेतिहर मजदूर जो देहातों में रहते हैं उनके दुख बढ़ते जाते हैं, उनके पास रहने के लिये मकान नहीं है, न खाने के लिये अनाज है न पहनने के लिये कपड़ा है और न शिक्षा के लिये उनके पास साधन ही हैं, लेकिन आज इस बजट में उनके लिये कोई चीज मैंने नहीं पायी। आज उनकी संख्या जो हमें सरकारी आंकड़ों से प्राप्त हुई है वह १ करोड़ के लगभग है। उनमें तमाम वे लोग हैं जो दूसरे की जमीनों में खेती करते हैं जो सेवा का कार्य करते हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं और नरक जैसा जीवन आज भी व्यतीत करते हैं। इन खेतिहर मजदूरों के अधिकतर हरिजन बिरादरी के लोग हैं जिनको सरकार अनेक प्रकार से सहायता देती है, ऐसा कहा जा सकता है इसलिये उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा कह दूं। मैंने हरिजन सहायता के अनुदान को उठाकर देखा और उसका अध्ययन किया। इस बात से कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि किसी व्यक्ति का उन्नति करना उसकी शिक्षा पर निर्भर करता है इसलिये अगर हम उनके शिक्षा के आइटम को देखें तो हमें मालूम होगा कि जब बजट में हरिजन सहायक अनुदान ४९ लाख ६२ हजार था तो हरिजन शिक्षा के लिये २६ लाख ७५ हजार रुपया रखा गया था और जब बजट में ५४ लाख ५५ हजार रुपया का हरिजन सहायक अनुदान है तो हरिजन शिक्षा के लिये २६,६९,९०० रु० रखा गया है। ६ लाख १५,२०० रु० पिछड़ी जातियों और अंसारियों के लिये है। उसको निकालने के बाद केवल २०,५४,७०० रु० हरिजनों के लिये रह जाता है जो हरिजनों की शिक्षा पर व्यय होगा। जहां तक कि सरकारी आंकड़े प्राप्त हुए उनके मुताबिक क़रीब क़रीब ८ लाख हरिजन विद्यार्थी हैं। ८ लाख विद्यार्थियों पर हिसाब लगाने से यह लगभग ढाई रुपया प्रति विद्यार्थी पड़ता है। इस रुपये के वितरण के सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है और मैं तो समझता हूं कि समाज में हरिजनों के प्रति एक स्पर्धा, ईर्षा उत्पन्न हो गयी है कि सरकार हरिजनों पर बहुत रुपया खर्च कर रही है। मैंने हिसाब लगा कर देखा कि प्रत्येक व्यक्ति पर क़रीब तीन आना खर्च एक हरिजन शिक्षा पर पड़ता है तो जहां तक इन आंकड़ों का सम्बन्ध है उसे मानना चाहिये। लेकिन यह कहते हुए मुझे अफसोस होता है कि आज प्रान्त के हरिजन समाज में एक असन्तोष फैला हुआ है। कई म्युनिसिपैलिटीज ऐसी हैं जहां पर सीट देने के लिये जो उनकी आबादी बतलायी गयी है वह वास्तविकता से बहुत दूर है। उदाहरणार्थ, चन्दौसी म्युनिसिपैलिटी के अन्दर जहां हरिजन १/५ या १/६ हैं। जहां कुल ३० हजार की आबादी है उनको

२५ सीटों में केवल एक सीट मिली है यानी १/२५ जो कुछ भी हो, इसकी चिन्ता मैं नहीं करता और हरिजन भाइयों से भी मैं अपील करता हूं कि उनको इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये इसलिये कि जो हमें वोट देने का अधिकार है वह तो है ही। उसको तो कोई छीन ही नहीं सकता है। जिसको हम चाहेंगे उसको वोट देंगे ही। चाहे रिजर्वेशन हो या न हो। रिजर्वेशन भी कब तक रहेगा, किसी न किसी दिन तो हमें अपने पैरों पर खड़े होना ही है।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही खेतिहर मजदूरों के अन्दर भी भूमि का वितरण होना चाहिये। काश्तकारी की जो भूमि बेदखल करा कर, मुकद्दमेबाजी करा कर ले ली गयी है और जो बड़े बड़े आदमियों ने अपने फार्म बना लिये हैं, वे भूमि उनको वापस होनी चाहिये। मैं यह भी कहता हूं कि भूमि वितरण का सिद्धान्त कोई नया नहीं है। आचार्य बिनोबा भावे ने अपनी पैदल यात्रा में यह बतलाया है कि भूमि का वितरण किसी न किसी तरह से होना है। मजदूरों की हालत को संभालने के लिये यह जरूरी था कि किसी कमेटी के जरिये सरकार की ओर से जमीन का वितरण किया जाय और वह खेतिहर मजदूरों को मिले। लेकिन अभी तक खेतिहर मजदूरों के लिये कहीं कुछ नहीं दिया गया है।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)--मिली हैं।

श्री महीलाल--मेरा जहां तक ख्याल है, नहीं मिली, परन्तु माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह बतलाया कि जमीनें कुछ लोगों को मिलनी हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री किसी सदस्य को डांट भी सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--उन्होंने डांटा नहीं, बल्कि वास्तविक बात बतलायी।

श्री महीलाल--खैर, उसकी शिकायत मैं कर सकता हूं, आपको इसमें वकालत करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही जो चन्द बातें हरिजनों के संबंध में माननीय सदस्यों ने माननीय वित्त मंत्री के सामने रखी हैं उनके संबंध में मैं इस प्रकार का जवाब नहीं चाहता हूं, जैसा कि पिछले वर्ष माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दिया था। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि इस तरह की बातें करना हरिजनों के हित में नहीं होगा। यह बात हमारे लिये सन्तोष देने के लिये कोई काफी नहीं है। अब मेरा समय खत्म होने जा रहा है, किन्तु मैं सहकारिता की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां पर गत बजट में सत्तर लाख रुपया रखा गया था और इस समय इस बजट में ६२ लाख रुपया रखा गया है जो कि मजदूर और किसानों को आगे बढ़ाने वाली चीज है। बहुत अच्छा होता अगर इसमें और रुपया रख दिया जाता।

एक मिनट में मैं अपने माननीय गृह मंत्री का विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बन्दीगृह में जो एक अनोखा परिवर्तन किया है वह उसके लिये विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं।

(इस समय १ बज कर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कल्याणकारी राज्य का जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने उपस्थित किया है यदि मैं उसकी तुलना श्रोतस्वत नदी से करूं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। जिस प्रकार यह श्रोतस्वती नदी कभी तीव्र गति से, कभी मन्द गति से, कभी रुकते हुये और कभी तेज बहती रहती है और इसके परिणामस्वरूप वह अपने आसपास की जमीन को और अपने पहुंच के भीतर की जमीन को उर्वरा बनाती है ठीक उसी प्रकार यह माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भी समाज को जीवनदान देता है, किन्तु उसकी तुलना में बरसाती नदी क्षणमात्र में ही बह जाती है और उसमें जमीन को उर्वरा बनाने की शक्ति नहीं होती और वह किसी को किसी भी तरह जीवनदान नहीं दे सकती। यह बात सही है कि जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि--

"जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार।
संत हंस गुन लहहिं पय, परिहरि वारिविकार॥"

[श्री देवदत्त मिश्र]

तो जब विधाता की कृति में भी खराबियां हो सकती हैं तो अच्छाइयों के साथ-साथ मनुष्य की कृति में भी त्रुटियां हो सकती हैं और जैसे कि हमारे लायक दोस्त माननीय पूर्णानन्द जी ने संकेत किया है। यह स्वाभाविक ही है कि जब भगवान की सृष्टि में भी बुराइयां हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस बजट में भी कुछ बुराइयां रह गई हों। अब प्रश्न यह है कि उन बुराइयों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। मैंने २ दिन से जो विरोधी-पक्ष के भाषणों को सुना, उनके अन्दर (नेगेटिव) नकारात्मक बातों को छोड़कर कोई भी अकाट्य बात नहीं कही गई जिससे बजट को समुन्नत बनाया जा सकता। ऐसा वह कह भी कैसे सकते थे। एक जगह गोस्वामी तुलसी दास जी ने कहा है कि--

"बचन बज्र जेहि सदा पियारा।
सहस नयन पर दोष निहारा॥"

जिन लोगों को परदोष देखने से ही फुरसत नहीं मिलती उनको संशोधन या सुझाव देने की सुध कैसे हो सकती है। उनके ऊपर उत्तरदायित्व है कि वह तमाम त्रुटियों की ओर राज्य का ध्यान आकर्षित करायें, लेकिन उन्होंने त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित न कर के केवल गालियां ही दी हैं और अपने अधिकार का केवल एब्यूज किया है। परन्तु बन्धुओ, इससे कोई कार्य सधता नहीं, वचनों के प्रहार द्वारा यदि किसी राज्य का संचालन करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, आप की सद्भावना, सद्इच्छा और काम करने की शक्ति द्वारा ही जन हितकारी कार्यों को आगे बढ़ाने में सहायता पहुंचायी जा सकती है।

श्री मलखान सिंह--यह विश्वास दिलाया गया था कि सवा दो बजे से सब मंत्रियों के भाषण होंगे और कोई लोग नहीं बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष--मंत्रीगण जब चाहेंगे तो उनको मौका दिया जायगा, यह तो कोई बात नहीं है।

श्री मलखान सिंह--तो जो कहा गया था वह गलत रहा।

श्री उपाध्यक्ष--चूंकि समय मिल गया है, इसलिये उनको बोलने का मौका दे दिया गया।

श्री देवदत्त मिश्र--ऐसा लगता है कि विरोधी दल हमारी बात से तिलमिला उठा है। स्वाभाविक भी है। तुलसीदास जी ने यह भी कहा है --

'पर अकाज लगि तनु परिहरहीं।
जिमि हिम उपल कृषी दल गरहीं॥"

अर्थात् दूसरों का काम बिगाड़ने के लिये वह स्वयं अपने को मिटा डालने तक को तैयार हो जाते हैं उसमें भी द्विविधा नहीं करते। जैसे ओले जो पड़ते हैं वह अपने को मिटा करके कृषि का नाश कर देते हैं, इसी प्रकार की आज आलोचना सुन रहे हैं और सुनते आ रहे हैं।

मैंने जैसा कहा, राज्य के कार्य इस प्रकार से नहीं चलते। विरोधी दल अगर अपने उत्तरदायित्व को महसूस करता हो तो उसका यह फर्ज है कि जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनको कार्यान्वित करने में वह अपनी शक्ति का अनुपात से उतना ही हिस्सा उसमें दे जितना कि राज्य का उसमें लगता है और यदि वह अपनी शक्ति का हिस्सा सरकारी योजनाओं को कार्य रूप में परिणत करने के लिये नहीं देते तो जहां वे अपने आप को धोखा देते हैं, वह जनता को भी धोखा देते हैं, जिस जनता ने उनको चुन कर यहां भेजा है।

मैं इसके बाद कुछ बातें अपने माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करूंगा, योजना के संबंध में। इसमें शक नहीं कि उन्होंने सिंचाई के लिये, उन्होंने कृषि के लिये, उन्होंने स्वास्थ्य चिकित्सा, सोशल सर्विस और इसी प्रकार बिजली पैदा करने की जो योजना है उस पर अधिक से अधिक अपनी दृष्टि डाली है और यह भी मैं देखता हूं कि उन्होंने ठीक अनुपात से अपने बजट का उतना

ही हिस्सा उन सरकारी मदों में रखा है जिनसे सरकारी वेतन का सम्बन्ध है, लेकिन उसके साथ साथ में यह उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्य में आज अध्यापकों की समस्या, जैसा कि कई सदस्यों ने कहा, ज्यादा सहृदयता के साथ, ज्यादा सहानुभूति के साथ देखे जाने की आवश्यकता है। यह बात ठीक है कि माननीय वित्त मंत्री का उस समस्या से शायद डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, लेकिन यदि अपने बजट में उन्होंने एजूकेशन के ऊपर, शिक्षा ग्रांट्स के ऊपर कुछ अधिक उदारता के साथ अधिक खर्च करने की स्वीकृति दी होती तो मैं समझता हूं कि उनके विरोधियों को इस तरह दूसरों के दुर्भाग्य को एक्सप्लायर करने की सुविधा अक्सर उपस्थित हो जाती है, शायद नहीं होती। दूसरे के दुर्भाग्य का नाजायज फायदा उठाना हमारे विरोधी दल की वसीयत सी बन गयी है यह उनका इस प्रकार का हेरीडिटरी अधिकार सा हो गया है, कहना चाहिये। तो मैं अपने वित्तमंत्री जी से और सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि यह चीज़ आवश्यक है कि हमारे अध्यापकों की समस्याओं को हल करने की चेष्टा की जाय। यह समस्या आज से नहीं ४ वर्ष से हमारे सामने उपस्थित है। बहुत सी ऐसी मदें हो सकती हैं जिन मदों में जैसे कुछ सरकारी इमारतों का मरम्मत करना, बनाना है, हाईकोर्ट में लाइब्रेरी वगैरह की इमारतों का बनाना है, ऐसी मदें हैं जिन को करटेल करके यदि वह रुपया अध्यापकों को देने की कृपा करें तो ज्यादा मानवोचित कार्य होगा।

अब मैं थोड़ी सी बात अपने जिले के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। ऐसा देखा जाता है कि जितनी जनहितकारी योजनाएं हमारे सामने आती हैं वह पश्चिमी और पूर्वी जिलों के बीच में बट जाती हैं और उसके ऊपर जो पहाड़ी जिलों का बोझ रख दिया जाता है तो बीच के जो जिले हैं रायबरेली, उन्नाव, कानपुर और फतेहपुर वह इतने दब जाते हैं कि वह उन जनहितकारी योजनाओं से कोई ज्यादा लाभ नहीं उठा पाते हैं।

अभी हमारी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें यह कहा गया है कि दो हजार मील सड़कें बनाई जायंगी और २,५०० मील कांक्रीट सड़कों की मरम्मत की जायगी। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो दो हजार मील सड़कें आगामी तीन वर्षों में बनाई जा रही हैं उनमें हमारे उन्नाव जिले का कोटा २ हजार मील के हिसाब से निश्चित होना चाहिये और जैसा कि आजतक होता रहा है कि यह छोटे-छोटे जिले जिनका समुचित प्रतिनिधित्व न होने के कारण हमेशा उपेक्षित होते हैं वे इस योजना में उपेक्षित न रहें, मैं यह नहीं कहता कि पूर्वी जिलों को सुविधाएं न दीजिये। उनको सुविधाएं उनकी आवश्यकताओं की खूब पूर्ति कीजिये। पश्चिमी जिलों और पहाड़ी जिलों की पूर्ति कीजिये। लेकिन यह जो बेचारे गरीब जिले हैं जिनके पास कोई ऐसे साधन नहीं हैं कि वह अपने पैरों पर खड़े हो कर कार्य कर सकें इस तरह के रायबरेली, उन्नाव, फतेहपुर, कानपुर, मैं कानपुर शहर को नहीं कह रहा हूं, कानपुर जिले को कह रहा हूं। इस तरह के जिलों को इस योजना में स्कूलों के लिए अनुदान देना चाहिए। अस्पताल और बिजलीघरों तथा ट्यूबवेल वगैरह का प्रबन्ध होना चाहिए। उनका ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए।

एक बात और मैं सेल्स टैक्स के संबंध में कहना चाहता हूं। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि किसी राज्य को अधिक से अधिक जनहितकारी राज्य बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योगधंधों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाय। अब सेल्स टैक्स की जो नीति है उसके संबंध में मुझे कोई आलोचना करनी नहीं है। लेकिन सेल्स टैक्स को कार्य में परिणत करने की जो प्रणाली है वह इस प्रकार की है जिससे हमारे जो व्यवसाय हैं उनको असंतोष तो होता ही है जिन लोगों को सेल्स टैक्स की परिधि के अन्दर नहीं आना चाहिए वह भी इसके शिकार हो जाते हैं। इसके लिए एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे यहां एक भगवन्त नगर मौजा है जहां पर पीतल का बहुत बड़ा काम होता है। वहां सैकड़ों की तादाद में ठठेर रहते

[श्री देवदत्त मिश्र]

हैं। वह दूसरों से पीतल ले कर गलाते हैं और बरतन बनाते हैं और जिसकी पीतल होती है उसको बरतन दे देते हैं। और बनाने की मजदूरी ले लेते हैं लेकिन सेल्स टैक्स आफिसर यह कहते हैं कि हम इस को बनाना नहीं मानते हैं यह हम बेचना मानते हैं और उन ठठेरों के ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों ठठेरों के परिवारों की स्थिति इस प्रकार की हो गयी है कि शायद इस धंधे को छोड़ कर शहरों में जाकर अपनी जिन्दगी बसर करने के लिए कोई दूसरा जरिया खोजें। तो मैं तो वित्त मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि अपने सेल्स टैक्स विभाग को इस प्रकार की हिदायतें करें कि जो कारीगर लोग हैं वह इस सेल्स टैक्स से बचाये जायं।

लालबत्ती हो गयी है। एक बात और कह कर खत्म करूंगा। माननीय वित्त मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि विरोधी दल का जहां तक प्रश्न है उसके सामने मेरा मतलब माननीय वित्त मंत्री से है वे फ्रांस के उस सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के समान हैं जिसने अपने एक चित्र को जनता के सामने रखा था और चित्र में यह कहा था कि इस चित्र में जो त्रुटियां हों वह कृपा करके दिखायी जायं दूसरे वक्त तक वह सारा का सारा चित्र कालिख से पुता हुआ मिला यानी चित्र में हर जगह त्रुटियां नहीं दिखायी पड़ी थीं तो ठीक उसी प्रकार विरोधी दल की आलोचना है। इससे माननीय वित्त मंत्री जी को क्षुब्ध होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट को पूरा पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह बजट एक प्रतिक्रियावादी नौकरशाही बजट है। एक प्रतिगामी ब्यूरोक्रेटिक कैपिटलिस्टक बजट है।

इस बजट से जो नतीजे होंगे, उनके संबंध में मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके सम्मुख कुछ बातें रखना चाहता हूं।

इस बजट का पहला नतीजा यह होगा कि हमारे प्रदेश के अर्थतंत्र, समाजतंत्र और राजतंत्र में अब तक सामंती तथा पूंजीवादी तत्वों का आपस में जो अनुपात था उसमें फर्क पड़ जायगा।

सामन्ती तत्व पीछे हटेंगे और पूंजीवादी तत्वों का समावेश उनकी घुसपैठ ज्यादा होगी उनका अनुपात बढ़ेगा। समाज की बुनियादी व्यवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शोषण में कोई फर्क नहीं आयेगा। अन्तर केवल यह आयेगा कि सामन्ती तत्व पीछे हटेंगे और जो पूंजीवादी तत्व हैं उनकी प्रधानता अथवा प्राधान्य समाज तन्त्र में होगा। दूसरी बात हमारे प्रदेश के अर्थ तन्त्र में और राजतन्त्र में भी विदेशी साम्राजियों की दखलन्दाजी बढ़ेगी। कम्यूनिटी प्रोजेक्ट जिसकी चर्चा माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में की है जो कम्यूनिटी प्रोजेक्ट प्वाइंट फोर प्लान और कोलम्बो प्लान के समागम (intercourse) के कारण उत्पन्न हुई है और जो फाइव ईयर प्लान में शामिल कर लिया गया है जिसमें अमरीकी साम्राजियों का केवल दो आना हिस्सा है फिर भी उनको उसके प्रबन्ध में और उसका इन्तजाम करने में एक बहुत बड़ा हाथ दे दिया गया है। इस तरह से हमारे देश में हमारे प्रदेश में दूसरे बाहर के विदेशी देशों का हाथ पड़ेगा। उनका हमारे देश की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा, हमारे आर्थिक ढांचे पर भी विदेशियों का प्रभाव बढ़ेगा।

तीसरी बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात को बतलाया कि पिछले सन् ४६ से २२ लाख ९१ हजार एकड़ जमीन तोड़ी गई जिसमें १४ लाख बंजर जमीन तोड़ी गई और आने वाले वर्ष में भी १ लाख २५ हजार नयी जमीन तोड़ने की बात उन्होंने कही है। लेकिन बहुत खोजने के बाद भी मुझे एक शब्द भी ऐसा नहीं मिला जिसमें यह बतलाये कि कोशिश की गई हो कि यह सारी जमीन जो तोड़ी गई या तोड़ी जाने वाली है उसमें, जो हमारे प्रदेश के, जो

सबसे गरीब और दलित खेतिहर मजदूर हैं, उनको कितनी जमीन दी गई या आगे से भी जब कि इस सदन में इस विषय पर काफी वाद विवाद हो चुका है इस पर कोई ध्यान दिया जायगा इसकी जरा भी चर्चा इस बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री ने नहीं की और उन्होंने इस बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया कि आने वाले वर्ष में खेतिहर मजदूरों के लिये कोई स्थान रहेगा या नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ब्यूरोक्रेटिक बजट कहने का साहस या दुस्साहस इसलिए किया कि जिस बजट की पूरी आमदनी का एक-तिहाई हिस्सा ३३ फीसदी शासन चलाने में खर्च किया जाय उस बजट को मैं नहीं समझता कि कौन सी दूसरी संज्ञा दी जाय। एक-तिहाई हिस्सा पूरा सरकारी मशीन को चलाने में ही खर्च किया जाता है, गो कि उसमें जो कम तनख्वाह वाले हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने की बात बिल्कुल नहीं रखी गई। इसके ऊपर माननीय बनारसी दास जी ने बहुत ही तफसील में अपने ख्यालात का इजहार किया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो सका। चीन में अगर वहां का प्रेसीडेंट ८०० रुपये में अपना काम चला सकता है, वहां के हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह ७५० रु० हो सकती है और सबसे कम तनख्वाह वहां १५० रु० हो सकती है तो हमारे देश में इस तरह से जब तक बुनियादी चीजों को हल नहीं किया जायगा। बुनियादी चीजों को छुआ नहीं जायगा तब तक मैं समझता हूं कि हमारी समस्यायें हल नहीं होंगी। जमीन के बटवारे की कोई बात नहीं की गई। कम तनख्वाह वालों की बात नहीं की गई है। जो लम्बी तनख्वाह अंग्रेजों के जमाने में दी जाती थी उसी को कायम रखा गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि इस बजट को और कौन सा नाम दिया जाय। फाइव ईयर प्लान जिसकी बाबत माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में भी कहा था और अभी तीन दिन पहले माननीय वित्त मंत्री ने भी जिसकी बहुत लम्बी चर्चा की है और उनके पूरे भाषण का बहुत बड़ा हिस्सा उसी में खत्म हुआ है उसकी बाबत मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा से डा० जे० सी० कुमारप्पा के उद्गार आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि उस से अधिक स्पष्ट रूप में कम्युनिटी प्रोजेक्ट और फाइव ईयर प्लान की बाबत कहा नहीं जा सकता। उन्होंने कहा--

"The Indo-U-S. Technical Cooperation Agreement signed by our Prime Minister and the U. S. Ambassador is unworthy of any self-respecting independent country, as it confers diplomatic immunity upon private foreign citizens working in our country. This helps to create foreign pockets in our own land.

"While the U. S. A. contributes only about two annas in the rupee it is given a eonrolling voice in the affairs of Community Projects . . .

"The scheme seems to by-pass the fundamental rural question-Land Reform. Henc it is futile. . . .

"No regional self-sufficiency in food on a balanced diet basis is contemplated. Hence the danger of famines cannot be averted.

"This is part of the American cordon attempted to be laid to encompa as Russia, from Korea to West Germany. Therefore India is being led the way Korea has gone

"I hold that those who cooperate in this scheme are Quislinqs who work wth the enemies of their country and bring about the destrnction of their own loud."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फाइव ईयर प्लान हमारी किसी भी बुनियादी समस्या का हल नहीं करेगा।

चकबन्दी के बारे में भी माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने बात कही है। उसके बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूं कि जिन के पास जमीन नहीं है या जिनके

[श्री झारखंडे राय]

पास बहुत ही कम जमीन है उनके लिये वह योजना जो कि आने वाली है उससे कोई लाभ नहीं होगा ।

पुलिस का खर्चा इस बजट में बढ़ गया है । हमारे प्रदेश में असंतोष की जो लहर चल रही है जिस की झलक २८ हजार पटवारियों के त्यागपत्र में थी, हजारों मेहतरों की हड़ताल में थी और हजारों अध्यापकों के प्रदर्शन में थी और उन तीन व्यक्तियों के आमरण अनशन में है जिनमें एक वृद्धा महिला भी सम्मिलित है । रोडवेज के कर्मचारियों के अन्दर जो आग सुलग रही है जिसकी झलक समय-समय पर हड़ताल या दूसरे प्रकार से मिला करती है इन तमाम चीजों के ऊपर माननीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कोई प्रकाश नहीं डाला है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाय ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूमि वितरण के सम्बन्ध में मैं एक बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि जब भूमि वितरण की बात कही जाती है तो दो चीजें बहुत ही साफ हमें अपने दिमाग में रखना चाहिये । भूमि वितरण वह समाधान नहीं है कि जिस से हमारे देश या प्रदेश की तमाम समस्याएं हल हो जायंगी । दूसरी बात यह है कि जितनी जन संख्या भूमि पर निर्भर रहती है उसी में भूमि वितरण का प्रश्न पहले उठेगा । उससे अगर भूमि बचेगी तो उस जनसंख्या की ओर ध्यान दिया जायगा जो कि शहरों में रहती है जिसका सीधा सम्बन्ध खेती से नहीं है । उसके अलावा जो देहातों में सरप्लस पापुलेशन है अतिरिक्त जन संख्या है जो कि भूमि वितरण के बाद भी बच जायगी उसको कल कारखाने की उन्नति करके खपाया जायगा परन्तु इस ओर माननीय वित्त मंत्री ने कोई ध्यान नहीं दिया है । माननीय वित्त मंत्री ने जो दस लाख रुपया बेकारी की समस्या की बाबत खर्च करने की बात कही है मैं दो बातें कहना चाहता हूं । जहां तक मुझे मालूम है कि शायद सरकार के पास कोई भी आंकड़े इसके नहीं है कि हमारे प्रदेश की जन संख्या में कितने लोग बेकार हैं जिनको काम चाहिये और जो काम चाहते हैं इतना ही नहीं जो लोग पढ़े-लिखे बेकार हैं उनके भी आंकड़े इस सरकार के पास मौजूद नहीं हैं । ऐसी हालत में एक लंगड़ी स्कीम दस लाख रुपये की अगर चलाई जाय तो उससे कोई लाभ नहीं होगा । दूसरे हजारों नहीं बल्कि लाखों बेकारों को देखते हुये यह दस लाख रुपया जिस की बाबत माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है नहीं के बराबर है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय आजमगढ़ जिले से आने की वजह से मैं बुनकरों की हालत से अच्छी तरह से वाकिफ हूं । हमारे जिले में उत्तर प्रदेश के बुनकरों का बहुत बड़ा केन्द्र है । उनकी हालत सुधारने का कोई ठोस कदम माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारे सामने नहीं रखा है । हजारों बुनकर आज खाने के बिना परेशान हैं, उनके बच्चे दाने दाने को मोहताज हैं आज उनके कपड़े के लिये बाजार नहीं है । जो वे माल चाहते हैं वह उनको नहीं मिलता है और अगर मिलता है तो ब्लैक मार्केट से मिलता है । उनके बनाये हुये माल के खपत को बाजार में कोई ठीक साधन नहीं है । ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कोई भी बात हमारे सामने नहीं रखी है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह अधिक महत्वपूर्ण है और जिसकी बाबत यहां पर इस पक्ष के लोग और और भी कई साथी कह चुके हैं, वह है कि अध्यापकों का विषय । यह तो सभी साथी जानते हैं कि उन में के तीन आदमी जिन में एक महिला भी हैं और काफी अवस्था की हो चुकी हैं, वे इस हाउस के सामने कई दिन से अनशन कर रहे हैं । उनकी मांगें सरकार के पास बहुत दिनों से पड़ी हुई थीं । उनकी बाबत जब कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने १९ हजार स्कूल खोलने की बात कही और १२ लाख नये बच्चों के पढ़ाने की बात कही परन्तु एक शब्द भी सहानुभूति का उनके अध्यापकों के लिए नहीं कही । मैं तो समझता हूं कि यह घोर

हृदयहीनता है और किसी तरह से भी उचित नहीं है। इस महंगाई के जमाने में यह सोचने की बात है कि जो थोड़े से रुपये उनको दिये जाते हैं उससे उनका काम कैसे चल सकता है। इसलिए मैं उस पर अधिक समय नहीं लूंगा और बड़े जोरदार तरीके से कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी और उनकी सरकार इन अध्यापकों की बाबत कोई कदम जल्दी उठावे ताकि उनकी जितनी मांगें उचित हैं और इस विषय में कोई मतभेद भी नहीं दिखाई पड़ता कि उनकी मांगें उचित नहीं हैं वह पूरी की जायं और मजबूरन उनमें से कुछ अध्यापिकों की हत्यायें हमारे सदन के सामने हमें न देखनी पड़े। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ही देश के मदरास सूबे में अगर वहां की सरकार कांग्रेसी सरकार ही है, शासन के खर्चे को कम कर सकती है तो मैं नहीं समझता कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी इस राज्य के खर्चे को क्यों नहीं कम कर सकते हैं? यह कम हो सकता है और रुपया बचाया जा सकता है, लेकिन यह टाप हेवी मशीनरी को ढोते रहने से यह ७८ करोड़ क्या ७८ अरब रुपया भी आय हो जाय हमारे इस प्रदेश में फिर भी खर्चा कम नहीं हो सकता है। अब कई गुना खर्चा बढ़ गया है और कई गुना आमदनी बढ़ गयी है लेकिन जब मैं देश की जनता की ओर देखता हूं चाहे वह खेत मजदूर और दूसरे मजदूर हों चाहे गरीब किसान हों, चाहे कम तन्नख्वाह पाने वाले हों या छोटे कारबारी और व्यापारी हों देश प्रदेश की ९० फीसदी जनता को देखता हूं तो मैं नहीं समझता कि उनकी स्थिति में कौन सा इजाफा हुआ है और उनके जीवन स्तर में कौन सी उन्नति हुई है। जब पिछले ६ सालों में बजट १२ करोड़ से ७८ करोड़ हो सकता है तो क्या उनकी हालत दो गुनी और चार गुनी भी नहीं सुधर सकती है। मैं समझता हूं यह मौजूदा सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, यह सरकार बड़े पूंजीपतियों, सामन्तों से सम्बन्धित सरकार है। इसके पीछे हिन्दोस्तान के बड़े पूंजीपति और बाहर के केवल अंग्रेज ही नहीं जो अबतक हमारे मुल्क में सीधे मालिक रहे हैं और जो अब दूसरे मालिक को आगे करके उनके पीछे छिप गये हैं बल्कि अब अमरीकी डालर शाहमी हैं। आज हमारे देश में चतुर्मुखी शोषण और चतुर्मुखी षड़यन्त्र का सूत्रपात हो रहा है। बस आखिरी बात यह कहकर मैं खत्म करता हूं कि अंग्रेज अमरीकी हिन्दोस्तान के बड़े-बड़े पूंजीपति और यहां के सामन्त सब मिलकर चतुर्मुखी शोषण और एक चतुर्मुखी षडयन्त्र कर रहे हैं और हिन्दोस्तान की साधारण जनता के जीवन का गला घोंट रहे हैं। जब तक इस के हित में बजट का कोई हिस्सा रहेगा तब तक यह जनता का बजट नहीं कहा जा सकता। इसलिये मैं कहता हूं कि यह प्रतिक्रियावादी पूंजीवादी बजट है।

श्री दीन दयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, आज बजट पर जेनरल बहस का आखिरी दिन है। एक तरीके से यह तो मिनिस्ट्रों का वक्त था। यह बड़ी आपकी कृपा है कि कुछ मित्रों को आप अवसर इसमें दे रहे हैं। मैं समझता हूं आज ७८ करोड़ का बजट हमारे सामने पेश है और ७८ करोड़ के बजट में हमारे प्रदेश के अन्दर साढ़े छः करोड़ जनता एक लाख सात हजार गांवों में रहती है।

उन सब की गाढ़ी कमाई का पैसा इकट्ठा हो कर, कर के रूप में आता है और उस पैसे को जोड़कर यह ७८ करोड़ की रकम एक बड़ी रकम हो जाती है और उसको उनके फायदे के लिये खर्च करने की बात होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि ७८ करोड़ की रकम को तकसीम करने के लिये आबादी के अनुपात से देखा जाता तो बड़े संतोष की बात होती और फिर हर एक सदस्य अपने इलाके में बता सकता है कि हम जितना रुपया करके रूप में आपसे लेते हैं उनको आपके फायदे के लिये ही इस तरीके से इन इन कामों में और सही तरीके से खर्च करते हैं। मैं समझता हूं कि यह नहीं है। हमने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से भी अपनी मांग इसी तरीके से उठाई थी कि एक्साइज और इन्कमटैक्स के अन्दर जब हमको आबादी के अनुपात से रुपया नहीं मिला तो हमने कहा कि हमारे सूबे की आबादी ६ करोड़ से ज्यादा है और इसी अनुपात से हमको रुपया मिलना चाहिये। देशमुख कमेटी ने उस चीज को नहीं माना था और उन्होंने कहा कि इन्कम टैक्स वगैरह जहां

[श्री दीनदयालु शर्मा]

दिक्कत ज्यादा होती है वहीं ज्यादा मिलना चाहिये । लेकिन हमारे सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने बराबर अपनी बात कही और नियोगी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हमें ३ करोड़ से ज्यादा करीब सवा तीन करोड़ रुपये मिल पाये हैं । तो मैं हर्षा मये यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब हम आबादी के अनुपात से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने दरख्वास्त कर सकते हैं तो हम जो प्रतिनिधि जहां से चुनकर आये हैं अपनी आवाज उठा सकते हैं और कह सकते हैं कि जनता के लिये जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का रुपया कर के रूप में देकर यहां हमें उसके इंतिजाम के लिये भेजा है हमें उसके लाभ के लिये वह रुपया लगाना है। मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं किया गया । मैं देखता हूं कि तमाम पश्चिमी जिले आज जो देखे जाते हैं हर काम चाहे स्वास्थ्य को लीजिये, चाहे चिकित्सा को लीजिये, चाहे शिक्षा को लीजिये, चाहे पशुपालन को लीजिये, चाहे सड़कों को लीजिये जितने भी आपके काम हैं उठाकर सारे बजट को देख जाइये बहुत कम रुपया पाया जायेगा। वह सारे जिले शून्य के बराबर हैं वहां की आबादी के अनुपात से बजट बना नहीं है । और जब यह दशा है तो बजट भाषण के अन्दर माननीय वित्त मंत्री जी ने जो कहा कि इस बजट को व्यापारिवर्ग में, मजदूर वर्ग में, किसानों में, खेतिहानों में, घर घर में, हर कोई चर्चा करता रहे । तो किस तरीके से जाकर चर्चा करें, किस तरीके से जाकर किसानों से कहें कि यह काम तुम्हारे लिये किया है ।

माननीय वित्त मंत्री ने अपनी बजट तकरीर में यह भी कहा है कि बजट जो होता है वह किसी सरकार का रूप देखने के लिये कि आइन्दा क्या होगा एक आइना होता है । तो मैं कहता हूं कि इस बजट को देखने से जो इस सरकार का आइना है कौन सा रूप देखें जब हमारे लिये आइना ही धुंधला है हमें इस सरकार का आइन्दा का कोई भी आइना क्या नहीं मिल सकता । मैं दरख्वास्त कर सकता हूं कि किसी भी तरीके से सरकार इस बात के ऊपर विचार करे और सोचे कि किस तरह से एकता को कायम रखने के लिये कुछ किया जा सकता है, किस तरह से विषमता को मिटाया जा सकता है। आज किसी भी देश के लिये और किसी भी प्रदेश के लिये जो चीज है वह यही है कि जितना धन हो आबादी के अनुपात से सब के लिये बराबर हो, उसका इकट्ठा किया हुआ धन उसके ऊपर बराबरी के अनुपात से खर्च किया जाता है। मैंने एक दफा एक आदमी से बात की । वह एक गांव का आदमी हमको मिला । उसने कहा भाई स्वराज्य तो आपका आ गया, परन्तु एक दिन था जब आज जिसने स्वराज्य दिलाया आज वह जीवित नहीं है उस महात्मा गांधी के दर्शन करने के लिये मैं गया । मैंने देखा कि एक चटाई पर गांधी जी बैठे थे वहीं पर सरदार पटेल भी थे, वहीं पर एक अमेरिकन भी था और वहीं पर जवाहरलाल नेहरू भी बैठे थे और वहीं बीच में गांधी जी बैठे थे और वहीं मैं भी बैठ गया । उन्हीं की बराबरी में । मेरे दिल में उस समय एक बात आयी, एक उमंग आयी कि गांधी जी को तो मैं अपने घर पर भी बुला सकता हूं वह मेरे घर पर भी आ सकते हैं । चटाई तो मेरे घर में भी मुयस्सर हो सकती है । आज जो यह संसार का महापुरुष हिन्दुस्तान का नहीं संसार का सबसे बड़ा आदर्श पुरुष है वह गरीब से गरीब के झोपड़े में भी जा सकता है, परन्तु स्वराज्य होने के बाद तो मिनिस्टर के पास जाने के लिये कोई सुविधायें नहीं हैं और मैं देखता हूं कि वहां पर रुकावटें हैं, वहां पर पहरे हैं और इसी तरीके से वहां पर उनके बैठने के लिये लचकदार कुर्सियां होती हैं और उसको देखकर तो मुझे सकुचाहट होती है और मैं सोचता हूं कि इनकी हमारी कोई बराबरी नहीं है । मैं किस तरह से इनको अपने घर बुला सकता हूं । तो यह तो स्थिति है । फिर समता की बात नहीं रह जाती । एकता की बात नहीं रह जाती । इसके बाद अगर मिनिस्टर साहबान कहते हैं अपनी तक़रीर में कि गांव गांव में जाकर कहो कैसे होगा । आज गांव-गांव में घर-घर में इस बात का चर्चा है जो मैंने ऊपर बताई । आप किसी भी जिले में जाइये दो दिन, तीन दिन रहिये अपने विभाग की बात देखिये, दूसरे विभागों की बातों को देखिये, उस जिले की और खराबियों को देखिये । और जाकर कोई गल्ती पायें तो उनको सुधारिये तब तो मैं समझता हूं कि एक तरीके से स्वराज के दिग्दर्शन हो सकते हैं और हमारी बिगड़ी हुई हालत

ठीक हो सकती है और अगर इस तरीक़े से हम नहीं चल सकते हैं तो मैं आपको एक बात साफ बतला देना चाहता हूं कि जैसे तूफान आने से पहले होता है उसी तरह की शान्ति है एक ज्वाला भड़केगी और उसमें हमको, आपको और सबको स्वाहा हो जाना पड़ेगा। फिर मैं आपको एक बात बतला देना चाहता हूं कि इस बजट की व्याख्या हम घर-घर और गांव-गांव में सही तरीक़े से कर सकते हैं यही बात मैं आखिर में कह देना चाहता हूं और समय ज्यादा लेना और सारे आइटम्स की विवेचना करना और उनको बतलाना मैं बेकार समझता हूं क्योंकि वह तो माननीय सदस्यों ने बतलाया है और मैं समझता हूं कि उस पर अमल भी होगा।

यह भूल होगी और उन आदमियों के लिये यह बजट बनाना ठीक इसी तरह से होगा जिस तरीक़े से कि सभासचिव, माननीय श्री बनारसीदास जी, ने यह कहा था कि गांधी जी के पास एक चिट्ठी आई थी उसकी पिन को निकाल कर बाकी चिट्ठी गांधी जी ने रायगां बतलाई थी। हमारे लिये भी यही होगा कि बजट के अंदर जो पिन है वह भी खराब होंगी और बजट को हमें फेंक देना पड़ेगा।

फिर मैं आशा करता हूं कि यदि इसको जनता का बजट बनाना है तो इसको आबादी के अनुपात से देखना पड़ेगा और जहां की जनता से जो उसकी आमदनी से कर लिया जाता है उसको उसी तरह से तक्सीम करना पड़ेगा। चाहे वह स्वास्थ्य के ऊपर हो, चाहे चिकित्सा के ऊपर हो, चाहे शिक्षा के ऊपर हो, चाहे पशु-पालन के ऊपर हो और चाहे विकास के कार्यों के ऊपर हो। हमें इस सबको आबादी के अनुपात से ही देखना पड़ेगा।

प्लानिंग के बारे में भी मैं एक बात अर्ज़ कर देना चाहता हूं। बजट में भी इसकी बहुत चर्चा हुई है और माननीय सदस्यों की तक़रीरों में भी इसकी चर्चा हुई है कि प्लानिंग के अंदर, विकास के कार्यों के अंदर बड़े बड़े कुयें बनाये गये हैं, स्कूलों की मरम्मत हुई है, नालियां खोदी गईं, हज़ारों मील लम्बी नहरें खोदी गई हैं। गरज यह कि जितने काम हुये हैं वह सब हाथ की मेहनत से हुये हैं और लोगों ने बड़े उत्साह से उन कामों को किया है। लेकिन जो यह काम हाथ से हुये हैं यह आर्ज़ी काम हैं। यह जो सड़कें बनी हैं यह भी आर्ज़ी हैं और जो मिट्टी के काम हैं यह भी सब आर्ज़ी हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहां हर साल बरसात होती है और जितने यह काम हुये हैं, यदि इनको पुख्ता नहीं किया गया तो जिस उत्साह और प्रेरणा से जनता ने इन कामों को किया है वह सब काम खत्म हो जायंगे। इसलिये जो यह सड़कें आर्ज़ी बनी हैं उनको सरकार पक्की बनायेगी और जो नाले वग़ैरह बने हैं सरकार उनको अपने हाथ में ले लेगी वर्ना उनकी आशायें चूर चूर हो जायंगी और आयन्दा बरसात उनको बहाकर ले जायगी और यह सब काम बेमानी हो जायंगे। इसलिये इन कामों को मज़बूत करने के लिये मैं सरकार से आशा करता हूं और उसके साथ ही साथ प्रार्थना भी करता हूं कि जो काम हुये हैं, जो हज़ारों मील लम्बी सड़कें बनी हैं, नाले, नहरें तथा और जितने काम हुये हैं उनको पुख्ता करने के लिये अपने हाथ में ले लें जिससे यह इन सदस्यों, सरकार और जनता के सहयोग से हमेशा यह काम कायम रहें और सरकार की प्रसिद्धि और बड़ाई हो।

मैं समझता हूं कि प्लानिंग के अलावा और भी बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने कही हैं और बजट में हैं और मैं भी उनको दुहरा सकता हूं मगर उसके लिये मैं कोई फायदा नहीं समझता हूं और इतनी लम्बी-चौड़ी फिगर्स को सामने रखकर मैं क्या बतला सकता हूं जब कि उनके पास इतना बड़ा मुहकमा है और सब जानकार हैं और सब बातें वह लोग जानते हैं।

अंत में मैं एक बात कह देना चाहता हूं जो सभी माननीय सदस्यों ने कही है। हमारे यहां सर्विसेज़ के अंदर ज्यादा ऊंच और नीचाई का फर्क़ है। इसको हमें बराबरी में लाना पड़ेगा और इसका अनुपात जितना भी हो लेकिन एक मियार के अंदर अनुपात हो, किसी दायरे के अंदर हो और कुछ फीसदी में हो, तब ठीक रहेगा, वरना एक बात होती है जैसे कि किसी घर का एक मुखिया अपने लिये ज्यादा खर्चा कर देता है, तो हम उस घर के दूसरे आदमी सोचते हैं कि हम भी इतना ही ले लें, तो नीचे दर्जे के आदमी चाहे वैसे गुजारा कर सकते हों लेकिन जब वह देखते हैं कि हमसे बहुत से लोग ऊंचे हैं और हम बहुत नीचे हैं, तो नीचे वाले

[श्री दीनदयालु शर्मा]

सोचते हैं कि हमें भी इसी तरीक़े से रहने का हक़ हो जैसे कि दूसरों को है। और अगर एक अनुपात हो जायगा तो उनको तसल्ली भी होगी और यह आंदोलन किसी न किसी तरह से ठंडे हो जायंगे। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन बातों पर गौर करेगी।

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)---मुझे एक बात निवेदन करनी है कि तीन दिन से यहां बजट पर डिस्कशन चल रहा है, पर यह बात कहनी निर्विवाद है, इस बात को बतलाना सूर्य को चिराग दिखलाना है कि यहां पर १/५ सदस्य हरिजन सदस्य हैं, उनकी समस्यायें हैं और उनको मौका न देना अनुचित है। इसके विरोधस्वरूप मैं वाक आउट करता हूं।

(इस के उपरान्त श्री जयपाल सिंह सदन से चले गये।)

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---इस बजट पर होने वाले वादविवाद को मैं पिछले तीन दिन से सुन रहा हूं। इस सदन में बजट पर होने वाले वादविवाद को सुनने को मौक़ा मुझे कई बार मिला है। मैं यहां पिछले १५ वर्षों से इस सदन का सदस्य रहा हूं। सन् ४२ के अवकाश को छोड़ कर प्रायः प्रतिवर्ष बजट के ऊपर जो विवाद होता रहा है उसे मैं सुनता रहा हूं और हिस्सा लेता रहा हूं। पिछले तीन दिन से जो विवाद हुआ है उसमें मुझे कुछ विशेषतायें दिखलाई पड़ीं। मैं प्रायः सारे दिन यहां बैठा रहता हूं और प्रत्येक सम्मानित सदस्य की बात सुनता रहता हूं। दो एक बातें हमारे इस विवाद में अच्छी हुई हैं और वे यह हैं कि जहां तक मैं देख पाया हूं हमारे इस सदन का विवाद व्यक्तिगत कटुता अथवा तीव्रता से मुक्त सा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कोई व्यक्तिगत आक्षेप अथवा कोई व्यक्तिगत कटुता अनायास उत्पन्न करने की चेष्टा किसी ओर से नहीं की गई और इसलिये मैं इस सदन को यह बताये देता हूं।

दूसरी प्रसन्नता मुझे यह भी हुई है कि मैंने देखा कि हमारे इस सदन में यह जो बजट उपस्थित हुआ इस पर जो वादविवाद हुआ उसका स्तर अपेक्षाकृत राजनैतिक रहा है, साम्प्रदायिक या किसी संकुचित आधार पर नहीं रहा है। इसकी भी मुझे प्रसन्नता हुई। परन्तु इस विवाद में मुझे एक और विशेषता भी देखने में मिली जिससे मुझे थोड़ा कष्ट भी हुआ है और वह विशेषता यह रही है कि दलगत बातों को पुष्ट करने के लिये जो दल का दृष्टिकोण है उसे ही सिद्ध करने के लिये जो दलीलें दी गईं, जो तर्क उपस्थित किये गये अथवा जो वाकयात बयान किये गये उनके सम्बन्ध में कुछ न्याय नहीं बरता गया। मुझे ऐसा लगता है कि जो दलील केवल दलील के लिये दी जाय और जो अध्ययन केवल इसलिये किया जाय कि सत्य को भी असत्य घोषित किया जाय, प्रकाश पर भी अंधकार डाल दिया जाय और कुछ ऐसा जंजाल रचा जाय जिसमें एक सीधासादा मार्ग भी लुप्त हो जाय तो मैं समझता हूं कि वह विवाद फिर कुछ अधिक उपयोगी नहीं हुआ करता। अध्ययन भी हो, विवाद भी हो तो वह तत्व बोध के लिये होना चाहिये। अध्ययन सत्य को मिटाने के लिये, अप्रतिष्ठित करने के लिये तो वह विवाद और वह समीक्षा और वह आलोचना जनता के उपयोग की नहीं होती, प्रत्युत हानिकर हो जाती है। मैंने देखा कि हमारे यहां जो वाद-विवाद हुआ उसमें कुछ इस बात का इस बार विशेष प्रयास किया गया। तो दलगत हठ और दलगत आग्रह को इतनी सीमा तक ले जाना मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत उचित और न्याय की बात नहीं है। हमारे वित्त मंत्री ने अपने भाषण में एक बात बड़े मार्के की कही है और वह उन्होंने कहा कि किसी देश अथवा किसी प्रदेश अथवा सरकार का बजट एक प्रकार का आइना होता है जिसमें उस सरकार का रूप प्रकट होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक क़दम और आगे जाना चाहता हूं और मैं तो यह समझता हूं कि किसी राज्य का बजट, किसी सरकार का बजट न केवल ऐसा दर्पण है जिसमें उस सरकार का प्रतिबंध दिखाई पड़े, प्रत्युत आज के जगत में जब जनतंत्रात्मक सरकारें स्थापित होती हैं किसी देश का बजट एक ऐसा दर्पण होता है और उसे होना चाहिये जिसमें न केवल उस सरकार का रूप प्रतिबिम्बित हो, प्रत्युत सारे देश तथा सारे प्रदेश की जनता, उसकी वास्तविक स्थिति, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति, उसकी नैतिक और सांस्कृतिक स्थिति, उसकी आवश्यकता, उसकी आकांक्षा, उसकी कठिनाइयां, सरकार की

स्वयं सीमा. इन सब की झलक आनी चाहिये और ऐसा ही बजट एक वास्तविक बजट होता है किसी जनतंत्रात्मक सरकार का। उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं इस सदन से कि वह इस दृष्टि से इस बजट की ओर दृष्टिपात करने की चेष्टा करे। मैं यह मानता हूं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जहां की बात हम कर रहे हैं, हमारी तरह तरह की कठिनाइयां हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इधर की बेंचों पर बैठे हुये लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने इस बजट से संतुष्ट हो और यह समझता हो कि आज हमारे प्रदेश की जो भी जरूरत है, जो भी जनता की आकांक्षाएं हैं, जो भी हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में होता, जिस आर्थिक और सामाजिक स्तर पर हम अपने प्रदेश की जनता को पहुंचे हुये देखना चाहते हैं वह सारी बातें हमारे उस बजट से पूरी हो रही है, ऐसा कोई दावा हमारा नहीं है। हममें से प्रत्येक व्यक्ति इस बात का अनुभव करता है कि हमारे प्रदेश में हमारी कठिनाइयां स्वराज्य की प्राप्ति के बाद बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, हमारे यहां भूख भी है, हमारे यहां नंगापन भी है, हमारे यहां बेकारी भी है, हमारे यहां अशिक्षा भी है, हमारे यहां रोग भी है, हमारे यहां व्याधियां भी हैं, हमारे यहां यातायात की कमी भी है, एक किसी दीप्तमान देश के लिये जिन तमाम बातों की आवश्यकता होती है उसका एक बहुत छोटा सा अंश भी हमारे प्रदेश में नहीं है, यह हमारा प्रत्येक व्यक्ति जो इधर बैठा हुआ है इस बात को अनुभव करता है।

हमारा कभी यह दावा नहीं है कि हमने जो बजट सम्मानित सदन के सम्मुख उपस्थित किया है उससे हम तमाम कमियों को पूरी कर सकते हैं या पूरी कर लेने के लिये यह बजट प्रस्तुत किया गया है। उसके द्वारा हमने यह प्रयास किया है कि हमारी जो कमियां हैं, हमारे प्रदेश की जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जनता की जो जरूरियात हैं और जिस स्थान पर उसे ले जाना चाहते हैं कि उसकी ओर क़दम ब क़दम बढ़ने का प्रयासमात्र इस बजट में दिखाई देता है। हमारे इस प्रदेश की जो वास्तविक परिस्थितियां और कठिनाइयां हैं उनकी झांकी भी इस बजट में आपको मिलेगी। यदि आज हमारे पास साधन होते, तो हम अपनी तमाम आशाओं को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारे साधन सीमित हैं, हमारी बाधाएं हैं, सीमाएं हैं, कठिनाइयां हैं, परन्तु उनके होते हुए भी दृढ़ता के साथ क़दम ब क़दम आगे बढ़ते जाना ही इस बजट का लक्ष्य है। इसके प्रकाश में, मैं यह नम्र निवेदन करता हूं कि यदि आदरणीय सदन देखे तो उसको संतोष होगा।

जहां तक बजट के आंकड़ों की बात है मैं बड़ी नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चहता हूं कि उनका उपयोग और उल्लेख जिस प्रकार से किया गया उस प्रकार से नहीं किया जाना चाहिये था। मुझे स्मरण है कि राज्यपाल के भाषण के बाद से यहां आंकड़ों की एक दुनियां बनाई गयी। मैं यह समझता हूं कि इस सदन में व्याख्यान देते हुए जो आंकड़े उपस्थित किये जायं वह अधिक बुद्धिमत्ता, और अध्ययनशीलता के परिचायक होने चाहिये। लेकिन यहां जो आंकड़े उपस्थित किये गये और जिनका संबंध मेरे विभाग से भी था, वे राज्यपाल के भाषण के बाद उसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार-बार उनका ज़िक्र किया गया। राज्यपाल के भाषण पर बोलते हुए हमारे विरोधी दल के नेता ने नेशनल हैरल्ड के उस लेख का ज़िक्र किया जो हमारे आदरणीय साथी श्री वेंकटेशनारायण तिवारी का लिखा हुआ था।

श्री राजनारायण (ज़िला बनारस)--मैंने उसका ज़िक्र नहीं किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी--किसी दूसरे ने किया होगा, परन्तु उन आँकड़ों का ज़िक्र आपने अपने बजट के भाषण में किया था और उन्हीं आंकड़ों का उल्लेख किया गया जिसका उस लेख में किया गया था। माननीय गेंदासिंह जी इस समय नहीं हैं, उन्होंने इसका ज़िक्र किया था। विरोधी दल के नेता ने कहा कि क्या नहरें पाटी जा रहीं हैं? क्योंकि जब ४६-४७ में २६ हजार मील नहर थी, ५१-५२ में वह १९ हजार मील कर दी गयी और उसको ५६ में २२ हजार मील बताया गया है और इस पर यह कहा गया कि क्या नहर पाटी जा रही है? यही बात हमारे बुजुर्ग तिवारी जी ने अपने लेख में कही है। मालूम होता है कि उसके बाद ही विरोधी दल के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने दूसरों के चुल्लू में पानी पीना शुरू किया। कहा यह गया कि सन् ५२ और ४६-४७ की

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

रिपोर्ट के पांचवें पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है कि इस प्रदेश की नहर प्रणाली २६ हजार कुछ सौ मील है। मैं अपने मित्र से क्या निवेदन करूं, यदि इस रिपोर्ट को पढ़ा गया होता और केवल किसी एक आंकड़े को लेकर उससे किसी एक बात के सिद्ध करने की चेष्टा न की गयी होती, आदि से अंत तक उस रिपोर्ट की समीक्षा की गयी होती तो यह समस्या आप से आप हल हो जाती। पृष्ठ ५ में यह कहा गया है कि सन् ४६–४७ में "माइलेज आफ चैनल्स आफ कैनाल्स इन दि यूनाइटेड प्राविंसेज" २६०.८२ मील रहा है। यदि इसी रिपोर्ट के पृष्ठ ४२ पर दृष्टिपात किया गया होता जहां इसकी तफसील दी गयी है तो यह रहस्य साफ हो गया होता। क्योंकि यह कहा गया है, कि यह एक बड़ा भारी रहस्य है, नहरें पाटी जा रही हैं, विश्वास ही कुछ नहीं किया जा सकता है। इस पृष्ठ ४२ में दिया गया है "स्टेटमेंट शोइंग माइलेज आफ चैनल्स इन दि युनाइटेड प्रोविंस अन्डर वैरियस हेड्स" उसमें सन् ४६–४७ में दिया गया है, उस पर एकमात्र एक हल्का दृष्टिपात करते तो वे सारे आंकड़े स्पष्ट हो जाते। उसमें आप देखें कि उत्तर प्रदेश में मेन कैनाल्स ऐंड ब्रांचेज का सन् ४६–४७ में कुल टोटल २,८६४ मील रहा फिर डिस्ट्रिब्यूटरीज, माइनर्स ११,२१० रहा। इन तमाम को मिलाने पर क़रीब १८ हज़ार और कुछ आता है। उसके बाद आप देखें तो ड्रेनेज चैनेल्स ५,३६५ मील हैं। नेविगेशन, पावर मिल चैनेल्स और गूलों को मिला कर देखें तो २,६१५ है। और यह सब टोटल २६ हज़ार मील के क़रीब आता है। कोई इसमें विरोध नहीं है। पंचवर्षीय योजना में कहें या इरिगेशन डिपार्टमेंट के पैम्फलेट में कहें, जिन चैनेल्स के ज़रिये इरिगेशन होता है उनका ज़िक्र किया गया है। नेविगेशन चैनेल्स के बारे में भी कहा गया है। जो गुलें खोदी जा रही हैं उनका उसमें कोई ज़िक्र नहीं है। मेन कैनाल और मेन ब्रांचेज तो की गयी है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटरीज और माइनर्स के द्वारा भी हमारे यहां इरिगेशन होता है, उनका ज़िक्र भी इसमें है कि सन् ४६ में १७ हज़ार माइलेज और सन् ५१ में १९ हज़ार माइलेज रहा और यदि पंचवर्षीय योजना के अनुसार काम हुआ और उसमें नेविगेशन चैनल्स को जोड़ दें, ब्रांचेज को भी जोड़ दें तो सन् ५६ में उनकी संख्या क़रीब ३२–३४ हज़ार के क़रीब पहुंच जाती है, जिसका ज़िक्र कि हमारे मित्रों ने अपने भाषणों में किया है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के आंकड़ों को बिना सोचे समझे, बिना देखे ताके, बिना अध्ययन किये हुए उपस्थित कर देना, यह कोई बहुत बड़े सुधार की बात मैं नहीं समझ सकता। यह भी कहा गया कि यह जाल है, यह जाल है, यह तो धोखा दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है कि एक ऐसे सदन में जहां कि हम गम्भीरतापूर्वक सारे प्रदेश के भाग्य के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं इस तरह की बातें करें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस विवाद में बार बार निगेशन निगेशन की बात कही गयी है। यदि इस मामले को देखें और यदि हमें यह कहा जाय कि हमारे प्रदेश में काफ़ी लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो हमें उसे मानने में कोई आपत्ति नहीं है, यदि हमसे यह कहा जाय कि तुमको और तेज़ी से चलना चाहिये जिससे सिंचाई की व्यवस्था सारे प्रदेश में हो तो उसे भी मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, यदि हमसे कहा जाय कि तुम्हारे यहां भूख है और अन्न का उत्पादन और अधिक तेज़ी से कराना चाहिये और जिस गति से तुम जा रहे हो उससे उत्पादन बढ़ाने में कमी होगी तो उसे भी मैं स्वीकार करने को तैयार हूं, परन्तु उस समय यह बात असम्भव हो जाती है जब कि जो चीज़ सब के सामने है उसके अस्तित्व से ही इंकार कर दिया जाता है और उसकी सीमा यहां तक बढ़ जाती है कि यहां तक कह दिया जाता है कि डेमोक्रेसी ही नहीं है। आप कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट नहीं है। हमारे मित्र माननीय नारायण दत्त जी ने उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कहा था कि इसमें घाटा ही नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—घाटा नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा था।

श्री कमलापति त्रिपाठी—जहां तक मुझे याद है मैंने यही सुना।

बहरहाल उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा है कि ३ करोड़ ३० लाख रुपया जो नहरों की आमदनी का आने वाला है अगर वह कैपिटल एकाउन्ट्स में न जाता तो यह घाटा पूरा दिखाई दिया होता। यह बात कही गयी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने बजट भाषण को वह पढ़ेंगे तो उनको मालूम हो जाता कि क्या सही है आप अपने मतलब की बात ले लें और दूसरे की मतलब की बात को छोड़ दें और फिर दलील देकर उसको पेश करना चाहें यह बात उचित नहीं हुआ करती। उसमें वित्त मन्त्री महोदय ने बताया कि ७ करोड़ का घाटा है और यह भी बताया कि हमारे रेवेन्यू में और हमारे कैपिटल एकाउन्ट्स में कितना घाटा है। उन्होंने कहा कि ६ करोड़ ६४ लाख रुपया सिंचाई आदि से आने वाला है उसमें कैपिटल एकाउन्ट्स का घाटा ३ करोड़ ३० लाख है क्योंकि हमको कैपिटल एकाउन्ट में भी खर्च करना है। बाकी ३ करोड़ ३४ लाख रेवेन्यू में गया। इस तरह से ४ करोड़ ४२ लाख का घाटा रहता है। उसके विषय को न देखना इस तरह से कहना कि इसमें से उसमें नहीं दिया गया तो फिर हमें उत्तर मिलना कठिन हो जाता है। आप कहते हैं कि यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है।

(इस समय ३ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि डिमोक्रेसी आप किसको कहेंगे? जिस देश में बालिक मताधिकार के आधार पर चुनाव होता हो, जिस देश की जनता में सारी शक्ति चुनाव में हो, जिस देश में पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर सुप्रीम और सावरेन हो, जिस देश की एक्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के इशारे पर जीवित रहती हो और उसकी आज्ञा के अनुसार टिकती और मिटती हो, और जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व रखती हो, जिस देश की जुडीशियरी स्वतन्त्र हो और जिस देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होता हो, आप कहते हैं कि उस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। आप कहते हैं कि इस प्रकार की बातें की यहां पर जो है उससे हटकर उससे भी इन्कार करते हैं। दूसरी किस्म की बातें कहने से इस प्रकार की दलील का उत्तर देना मुश्किल हो जाता है। कहा जाता है कि यहां पर वेलफेयर स्टेट नहीं है। मैं यह समझता हूं कि आज की दुनिया में कोई भी वेलफेयर स्टेट हुए बिना कोई स्टेट टिक नहीं सकती है और यदि कोई स्टेट ऐसी है और वह टिकने की कोशिश करती है तो उसका टिकना मुश्किल है। यदि हमारी स्टेट वेल फेयर स्टेट नहीं है तो क्या है? हम यदि देश से गरीबी दूर करने की चेष्टा करते हैं, यदि हम प्रदेश में अधिक आमदनी बढ़ाकर पैदा करने के लिये जनता के खाने और भलाई का काम करना चाहें और उसी लक्ष्य को हम अपने सामने रखें, हमारे सामने तो हमारी पुरातन नीति यह थी कि :

सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित दुखभाग् भवेत्॥

यह इस देश का आदर्श रहा है और हमारे सामने भी यही लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को लेकर हम बढ़ना चाहते हैं। यदि हमारी गति मन्द है, यदि हमारी कठिनाइयां उसमें बाधक हैं, तो उनके ऊपर काबू पाना चाहते हैं। हमने यहां वेल फेयर स्टेट की स्थापना की है और उसकी बुनियाद पड़ चुकी है और उस लक्ष्य को पूरा करना हमारा, आपका और सारी प्रदेश की जनता का यह एक-मात्र ध्येय होना चाहिए। हमारे सामने और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है और न हम दूसरी ओर जाना चाहते हैं। हम जो कहते हैं उसको स्वीकार नहीं करते और जो है उससे भी इन्कार करते हैं। कहा जाता है कि यहां पर अत्याचारों में अपार वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, हमने भी अत्याचार देखे हैं, हमको भी इन अत्याचारों के दृश्य का अनुभव है कि अत्याचार किसे कहते हैं। इस देश में हमने, विरोधी दल के बहुत से मित्रों ने और भाइयों ने बहुत से अत्याचार देखे हैं। जिस जमाने में यहां पर विदेशी सत्ता का शासन था अपने ही देश में अपने ही व्यक्ति अपने व्यक्तियों पर अत्याचार करते थे उस समय मानव जीवन—जीवन के लिये तरसता था। हमने भी वह अत्याचार देखे हैं। आज इस देश में जहां पर जनतान्त्रिक हुकूमत कायम है, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है और अधिकार है कि वह जिस तरह से चाहे अपने अधिकार

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

का प्रयोग करे, जहां पर समाचारपत्रों पर कोई अंकुश नहीं है। इतना भय तो यह है कि शासन व्यवस्था जो है, विधि जो है, जो प्रकार है उसके प्रति लोगों के हृदय में एक लैक आफ रिस्पेक्ट दिखलाई देती है और लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि अराजकता भाव पैदा हो। कहा जाता है कि अत्याचार में अपार-वृद्धि हो गयी है और महान-शोषण हो रहा है। जबकि आज दुनिया के शोषणों की सारी दीवारें ही ढहती चली जा रही हैं, यहां से अंग्रेज गये, उनकी तमाम फौजें गयीं, उनका सारा व्यापार गया, राजे, महाराजे गये, जिमींदार गये एक शोषक के बाद दूसरा गिरता चला जा रहा है और उन सबको मुट्ठी में लेने के ढंग का निश्चय किया जा रहा है। और जहां सदियों बाद करोड़ों की संख्या में किसान स्वतन्त्र हो रहे हैं और जमीन के मालिक बन रहे, मजदूरों की परिस्थिति बदलती जा रही है, लेकिन शोषण कहां हो रहा है यह आप ही जानें और इस तरह का प्रचार करने के लिये ऐसी बातें आपही को सुहारिक।

मैं अब अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं, मेरा जितना निर्धारित समय था वह खत्म हो रहा है और अब मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं अपने कुछ मित्रों से। समाजवाद बहुत अच्छी चीज है, वह इस देश में भी आये इसमें भी किसी को एतराज नहीं हो सकता, वह प्रत्येक को अपेक्षित होगा। हमारे देश में हमारे समाज में शोषण का पूर्णतः अन्त हो जाय, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमाई का फल भोगने को मिले सबको काम मिले और हर प्रकार के उत्पादन आदि साधनों पर समाज का अधिकार हो यह सब ऐसी बातें हैं जिनमें किसी को विरोध नहीं हो सकता और यदि उनसे देश का कल्याण होता तो उनको ग्रहण करना चाहिए। समाजवाद का प्रचार किया जाय और उसके पनपने के लिये वातावरण उत्पन्न किया जाय तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मन्थरावाद को जन्म देने का प्रयत्न न करना चाहिए। इसका प्रभाव फौरन ही दिखलाई दे जाता है। केकई कोपभवन में गयी, दशरथ मरे, राम बन को गये, सब कुछ हुआ, परन्तु भरत को भी राज्य नहीं मिला। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक उनसे कहना चाहता हूं कि वह इस प्रकार के मन्थरावाद का सृजन न करें और वह स्थिति न आने दें कि जिनको आपने जिम्मदारी दी है और उत्तरदायित्व दिया है वह भी राजनैतिक संकट में पड़ें और आपको भी कहीं पता न लगे।

✓गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मेरा सम्बन्ध विशेषरूप से पुलिस, जेल और श्रम विभाग से है। स्वभावतः इन विभागों के सम्बन्ध में, विशेषरूप से पुलिस और श्रम विभाग के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कहीं गयी। जहां तक पुलिस विभाग का सम्बन्ध है, जो बातें सुनने में आई वह तो जिसे अंग्रेजी में हारडी एनुअल्स कहते हैं पुरानी बातें हैं। मुद्दतों से सुनी जाती रही हैं और पुलिस विभाग सलामत रहे बहुत दिनों तक सुनने को मिलती रहेगी। जब किसी को कोई और विषय घंटे दो घंटे बोलने को नहीं रह जाता तो वह बहुत इत्मीनान से पुलिस को गाली दे सकता है। मैं महज एक बात का जिक्र करूंगा कि ज्यादा चर्चा करना फजूल है। मैंने अपनी एक स्पीच के दौरान में जहां और बातों का जिक्र किया था तो विरोधी पक्ष के माननीय नेता की इस बात का भी खंडन किया था कि यहां भय की अपार वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं कि मुझे उस खंडन को कुछ नम्र करना चाहिए था। यह वाकया है कि कुछ दृष्टियों से भय की वृद्धि हो रही है और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि इसकी कोशिश भी की जा रही है और भय की वृद्धि करने की जो यह कोशिश है उसका हमें पता है। आज बहुत से लोग हैं जिनमें से कुछ लोग सामने हैं जिनका प्रयत्न है कि देहातों में शान्ति न दिखलाई पड़े। उनकी तरफ से इस बात की पूरी कोशिश है कि देहाती क्षेत्रों में खासी एक लड़ाई की सूरत पैदा कर दी जाय। खासतौर से वहां वह आदमी जो ब्राह्मण है, भूमिहार हैं, राजपूत हैं वह बहुत शान्ति के साथ न सो सकें यह कोशिश रहती है। उनके खेत कटवा लिये जायं, उनकी जमीन जबरदस्ती जोत ली जाय, सैकड़ों आदमियों की भीड़ लगाकर इस बात की कोशिश है कि मास कान्शसनेश जगाने के नाम पर बगैर टिकट सैकड़ों आदमी सफर करें और यह समझा जाता है कि इस प्रकार एक रिवोल्यूशन और क्रान्ति की योजना चलाई जा रही है। लेकिन हमें इस बारे में पूरी जानकारी है। हम जानते हैं कि किस प्रकार इस नाम से और उस नाम से, कहीं कृषक

रक्षक फ्रन्ट के नाम से किस तरह की तैयारी हो रही है और किस किस्म की तैयारियां हो रही हैं। और मैं यह बतला देना चाहता हूं कि देहातों के लोगों को और हमको इन बातों का पता है और हम इन कार्रवाइयों को नहीं चलने देंगे जो इस किस्म से भय को बढ़ाने वाली कार्रवाइयां हो रही हैं। अगर क्रान्ति के यही माने हैं तो हम इस किस्म की क्रान्ति को नहीं चलने देंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं और जितनी भी कोशिश इस प्रकार से भय को बढ़ाने की की जा रही है वह बेकार साबित होगी और भय नहीं बढ़ सकेगा।

एक और चीज कह कर मैं पुलिस की बात को खत्म कर दूंगा। एक रोज पुलिस विभाग के सम्बन्ध में हमारे भाई मलखान सिंह जी ने इस बात का जिक्र किया था कि उनके पास प्रमाण है कि कई लोग और मिनिस्टर भी, उन्होंने मिनिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया था, उनके पास सूचना आ जाती है, और पत्र, तार और टैलीफोन द्वारा ट्रांस्फर हो जाते हैं। और मैंने उसकी बाबत यहां कहा भी था कि अगर इस किस्म के कोई प्रमाण हों तो मैं अपने पद को छोड़ने के लिये तैयार हूं। मुझे खुशी हुई कि उसी दिन मेरी उनसे बात चीत हुई और उन्होंने कहा कि मिनिस्टर से उनका मतलब नहीं था। दूसरे रोज वह मेरे दफ्तर में आये और उन्होंने कहा कि आपकी बाबत मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मेरे पास कोई शिकायत नहीं पहुंची। तो जहां तक दो जेंटिलमैन की बात होती है वह अध्याय समाप्त हो गया। मुझे कुछ नहीं कहना है।

तो जैसा मैंने कहा, वित्त विभाग की बाबत तो मैं कहूंगा—नहीं। अपनी "आमनीबस" स्पीच में विरोधी पक्ष के नेता जी ने श्रम विभाग का भी जिक्र किया। सहस्रबाहु की तरह से उनका हाथ सब तरफ बढ़ता है, तो अब श्रम की तरफभी बढ़ जाता है। लेकिन और सब कामों में पड़े रहने की वजह से श्रम विभाग में कम ही ध्यान दिया जा सकता है। इस वजह से जानकारी कम रहती है जिसके परिणाम स्वरूप वह ऐसी बातें हिम्मत के साथ कह जाते हैं जिनको कोई जानकार आदमी कभी नहीं कहेगा। यह शायद उनकी पार्टी की टैक्नीक होगी और सम्भव है कि पार्टी टैक्नीक की वजह से यह बात कहते भी हों। मसलन उन्होंने यह कहा कि इधर कुछ कानूनों की भरमार हो गयी है और उन सब कानूनों का मन्शा यह मालूम होता है, परिणाम यह होता है कि जो पूंजीपति वर्ग है उसका पक्ष मजबूत हो जाय। हो सकता है कि ऐसा हो और कमजोर करने का उनका भी अपना कोई तरीका हो सकता है। एक आध तरीके ऐसे हैं और साथ ही इसके जो मजदूर हैं, उनकी मदद करने के एक आध तरीके एसे हैं जो हमारे विरोधी पक्ष को ही मालूम हैं, दूसरे लोगों को नहीं मालूम हैं। मसलन एक ऐतिहासिक बात है, लेकिन बहुत पुराना इतिहास नहीं। तीन चार वर्षों के भीतर की बात है। खुद विरोधी पक्ष के माननीय नेता ने पुराने इतिहास का जिक्र किया था, इसलिये अनुचित नहीं होगा अगर मैं भी जिक्र करूं।

फैजाबाद जिले में कांग्रेस की तरफ से वहां के बहुत पुराने कांग्रेसी नेता श्री लल्लन जी खड़े हुए। सन १९२१ से लेकर ४२ तक जितने आन्दोलन हुए सब में वह जेल गये। जो भी लोग किसी कांग्रेस के आन्दोलन से परिचित होंगे वह जानते होंगे कि उन्होंने कितना काम किया। उनके विरुद्ध एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े रुपये वाले आदमी हैं, उनको खड़ा किया गया और पूंजीपति शब्द अगर कहीं जुड़ सकता है तो उनके नाम के साथ अवश्य जुड़ता है। यह तो इत्तिफाक था कि वह हार गये और लल्लन जी जीत गये, लेकिन यह एक यूनिक तरीका था पूंजीपतियों को हराने का और पूंजीवाद को दबाने का कि एक पूंजीपति जो साधारण जीवन में तो अपना काम करता ही है उसको जिम्मेदारी के जगह पहुंचा दिया जाय तो पूंजीवाद का बहुत जल्दी ह्रास हो जायगा।

अभी बहुत पुरानी बात नहीं, आठ दस रोज की बात है। पडरौना की मिल में कुछ झगड़ा खड़ा कर दिया गया, हड़ताल हो गयी। शिकायत इस बात की थी कि वहां पर मिल वाले जो गन्ने के काश्तकार हैं उनको रुपया नहीं दे रहे हैं और मजदूरों का रुपया बाकी है। बिलकुल सही बात है, अक्षर अक्षर सही बात है। मिल वालों पर रुपया बाकी था काश्तकारों का रुपया बाकी था, मजदूरों का रुपया बाकी था। गवर्नमेंट कोशिश कर रही

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

थी कि रुपया दिलाया जाय और गवर्नमेंट की कोशिश कहां तक कामयाब होती है वह इसी से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि पिछले साल काश्तकारों का मिल मालिकों पर करीब ४२ करोड़ बकाया था। अब २ करोड़ बाकी रह गया है। गवर्नमेंट की कोशिश से ४० करोड़ के करीब तो दिलाया जा चुका। इससे यह साबित होता है कि गवर्नमेंट इस बात का प्रयत्न निरन्तर कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट के तरीके तो गलत होते ही हैं। एक सही तरीका निकाला गया उनकी तरफ से। वह तरीका उनकी तरफ से क्या निकाला गया। इसी सदन के एक माननीय सदस्य जो यहां मौजूद हैं और जिनकी गिरफ्तारी का जिक्र किया गया वह वहां पहुंचे और उन्होंने सलाह दी कि तुम लोग मिलों को गन्ना देना बन्द कर दो। अब जो हमारा गलत तरीका था वह यह था कि मिल किसी तरह चालू रहनी चाहिए। यह सही है कि रुपया बाकी है, लेकिन काश्तकार अगर गन्ना देते रहेंगे तो शक्कर बनती रहेगी, शक्कर बनेगी तो शक्कर बिकेगी भी। इस वक्त दिक्कत यह है कि हजारों बोरे शक्कर के पड़े हुए हैं। निकल नहीं रहे हैं। तो हमारा गलत तरीका तो यह था कि शकर बनेगी तो बिकेगी भी जिसकी कीमत से काश्तकारों का भी पैसा मिल जायगा और मजदूरों का भी पैसा मिल जायगा। लेकिन एक यूनिक तरीका निकाला गया और काश्तकारों से कहा गया कि तुम गन्ना मत दो। इसका नतीजा क्या होता। मान लीजिए कि हड़ताल कामयाब हो जाती। तो मिल बन्द हो जाती है जो मजदूर काम करते हैं उनको तो कुछ पैसा मिल भी जाता लेकिन, काश्तकारों की उतने दिनों की गन्ने की कीमत नहीं मिलती। उनके यहां जो गन्ना जमा था उसका क्या होता, कोल्हू गाड़ने का समय नहीं रह गया था सिवाय इसके कि वह कुछ अपने जानवरों को खिलाते, कुछ खुद खाते, और बाकी को जला देते या खेत में डाल देते। लेकिन यह एक यूनिक तरीका था काश्तकारों की मदद करने का कि उनका गन्ना सूख जाय, जल जाय लेकिन वह मिलों के पास न पहुंचे। बहरहाल एक अंग्रेजी की कहावत है कि बड़े आदमियों की कि "You can fool all the people for some time, some people for all the time but you cannot fool all the people for all the time"

[आप कुछ मनुष्यों को कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं कुछ को हमेशा के लिये परन्तु आप हर मनुष्य को हमेशा के लिये बेवकूफ नहीं बना सकते।]

कुछ लोग ऐसे भोले-भाले होते हैं कि जिनको जिन्दगी भर बेवकूफ बनाया जा सकता है, अच्छे आदमियों को भी थोड़े दिनों के लिये बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन, सब आदमियों को जिन्दगी भर बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो काश्तकार तो कोई बेवकूफ नहीं है। काश्तकारों की समझ में बात आ गयी। हड़ताल भी खत्म हो गयी और मिल चल रही है और जो गवर्नमेंट का गलत तरीका था उससे सफलता भी हो रही है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भी यह किया कि २५ हजार बोरों के निकालने का इन्तजाम किया। गन्ना धीरे धीरे उठ रहा है और सरकार धीरे धीरे मिलों से रुपया ले रही है। जो रुपया आया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने स्वयं कहा है कि इसमें से इतने परसेंट तक तो काश्तकारों को दाम लेने के लिये खर्च किया जाय मिलों के प्रबन्ध करने वालों के लिये नहीं, और इतने परसेंट में से मजदूरों को मजदूरी दी जाय। यह हमारा गलत तरीका है, लेकिन सोशलिस्ट पार्टी का यह अपना तरीका है कि अगर पूरब जाना हो तो सीधे पश्चिम की तरफ नाक करनी चाहिए। यह भी कहा गया कि बहुत से कानून बनाये गये जिससे मिल मालिकों और पूंजीपतियों का पक्ष मजबूत होता है। बहुत से कानून तो गवर्नमेंट आफ इंडिया के बनाये हुए हैं जैसे प्रावीडेन्ट फन्ड कानून, हैल्थ इन्श्योरेंश कानून और अन्य कई कानून हैं जिनसे मजदूरों का फायदा हो रहा है उस तरह से इसका कानून कि जो काश्तकार के खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं उनको मिनिमम वेजेज दिया जाय। हमने उसको अपने यहां १२ जिलों में लागू भी किया। शायद इन सब कानूनों से उन मजदूरों का नुकसान हो रहा है। हमने जो कानून बनाये, वह बतलायें कि उनमें से कौन सा कानून है जिससे काश्तकार और मजदूरों का नुकसान हो रहा है। शाप असिस्टेन्ट की बाबत कानून बनाया गया। यही दो तीन चार कानून तो हमने बनाये हैं। कोई बहुत ज्यादा कानून बनाने का शौक नहीं है। तो एक हमने कानून

बनाया शाप असिस्टेन्ट्स का। इसके पहिले कोई ऐसा कानून सूची में नहीं था। सारे सूबे में चाहे लागू हो या न हो, उस कानून में और चाहे जो कुछ भी कमी हो, लेकिन जो आदमी कभी घर से बाहर निकलता होगा, वह देखता होगा कि किसी इतवार, सोमवार, शुक्रवार या बृहस्पतिवार किसी न किसी दिन एक दिन कम से कम बाजार बन्द है। जो बात और जो सहूलियत कि आज से पांच वर्ष पहले इन दूकानों में काम करने वालों को हासिल नहीं थी वह आज हासिल है। कम से कम इतना तो जरूर है कि एक दिन की छुट्टी मिल रही है। इससे भी उनका बड़ा नुकसान हुआ और इससे पूंजीपतियों का पक्ष बड़ा पक्ष मजबूत हो गया। अब दूसरा एक हमारा बनाया हुआ कानून है। हमने यह कर दिया कि इतने बजे दूकान खुले, इतने बजे बन्द हो। न दूकानदारों के पास घड़ी होती है, न काम करने वालों के पास घड़ी होती है। न हममें से बहुतों के पास होती है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि सोशल कानून है उसमें घंटे, आध घंटे का फर्क पड़ सकता है, दूकान खुलने या बन्द होने में, लेकिन हर शहर में जहां यह कानून लागू है वहां सब जानते हैं कि इतने बजे से पहले बाजार न खुली मिलेगी और इतने बजे के बाद दुकान बन्द मिलेगी। तो क्या यह मिल मालिकों और पूंजीपतियों के कायदे का कानून है और इससे उनका फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। एक और कानून हमारा है जो कि सबसे पहले इस देश में यू० पी० गवर्नमेंट ने बनाया कि अगर किसी मिल का इन्तजाम बहुत खराब है या मजदूरों को पैसा न देता हो, तो गवर्नमेंट उस कारखाने को अपने हाथ में ले सकती है और आथोराइज्ड कन्ट्रोलर मुकर्रर कर सकती है। और हमें ऐसा करने का मौका पड़ा। हमने दो–चार मिलें अपने हाथ में लीं। इससे क्या नुकसान हो गया मजदूरों का और क्या फायदा हो गया मिल मालिकों का ?

श्री राज नारायण—एक चेक उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एलेक्शन में दस हजार रुपये का दिया और न मालूम ऐसे कितने चेक दिये हों।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—दस हजार रुपये तो बड़ी छोटी रकम है। इस वजह से उन्होंने नहीं दिया कि उनकी मिल पर कब्जा हुआ। लोगों ने बहुत रुपया दिया है जिनकी मिल पर कभी कब्जा नहीं हुआ। इस देश के अन्दर रुपये देने वाले मौजूद हैं। बड़ी बड़ी रकमें दी होंगी जिनकी न जायदाद कभी कोर्ट आफ वार्ड में आयी और न मिल गवर्नमेंट के कब्जे में आयी।

श्री राजनारायण—कटकुंइयां का क्यों बनाया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोई आदमी कहीं नहीं बनाया गया। किसी मिल वाले को उस कानून से फायदा नहीं हुआ। ऐसी हालत में यह बात कहना झूठ बात होगी कि उस कानून से मिल मालिकों को फायदा हुआ। लेकिन कोई इस बात से मतलब नहीं, कुछ न कुछ बात कह देनी है।

नैनीताल में ट्रिपार्टाइट कांफ्रेन्स हुई थी उसका भी जिक्र किया गया। उसमें कुछ स्टैन्डर्डाइ–जेशन की बाबत जिक्र हुआ। उसके लिये कहा गया कि गवर्नमेंट ने यूनियंस ने जो नाम भेजे उनको नहीं माना, मनमाने तरीके पर। बिलकुल सही बात है। एक नाम आया था उसको मन्जूर नहीं किया। क्यों मन्जूर नहीं किया ? ऐसी कड़वी बातों को मैं कहना नहीं चाहता खासकर ऐसी बातें जिनमें व्यक्तियों का जिक्र होता है। लेकिन मजबूर होकर ऐसी बातों का जिक्र करना पड़ता है। मैंने ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स में यह रखा था कि हमारे यहां किसी न किसी किस्म का स्टैन्डर्डाइजेशन रैशनालाइजेशन जरूर होना चाहिए। मैंने कहा कि हमारे यहां मैनपावर का उपयोग किसी तौर पर होना चाहिए और अगर किसी किस्म का स्टैन्डर्डाइजेशन हो तो इस बात की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मजदूर डिस्प्लेस्ड न हों और साथ ही मजदूरों की मजदूरी बढ़े। और अगर इत्तिफाक से डिस्प्लेस्ड हो ही जायं तो उनको ठिकाने का मुआवजा मिलना चाहिए। इसके लिये यह हुआ कि उसके लिये एक्सपर्ट्स की राय होनी चाहिए। और यह तय हुआ कि एक कमेटी हो जिसमें मजदूर और मिल मालिक दोनों के प्रतिनिधि हों और उसका एक सभापति हो। दोनों पक्षों नें कहा कि सभापति लेबर कमिश्नर रखे जायं। यह बात तय हो गयी। लेबर कमिश्नर मौजूद हैं लेकिन कमेटी नहीं बन सकी। क्यों नहीं बन सकी ? उसका कारण यह है कि जब कमेटी के मेम्बरों के नाम का प्रश्न आया तो हम समझते थे कि

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

जहां तक कानपुर का सम्बन्ध है एक तरफ तो आई० एन० टी० यू० सी० के तरफ से श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी, जो सबसे पुराने वर्कर हैं रहेंगे और दूसरे श्री राजारामजी शास्त्री आ जायें। वह भी बहुत पुराने वर्कर हैं। उनकी सब प्रतिष्ठा करते हैं। हम चाहते थे कि वह आ जायें। लेकिन मजदूर सभा जिनका ताल्लुक सोशलिस्ट पार्टी से है उसने एक सज्जन का नाम बतलाया, श्री विमल राय। उसको हमने नहीं माना। क्यों नहीं माना? जब हमारी ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें एक चीज का जिक्र आया था जिसको पूल कहते हैं। इसके मानी यह हैं कि जब एक दो तीन वर्ष पहले कानपुर में प्लेग आफ हुआ था तो गवर्नमेंट की तरफ से हम कुछ रुपया खर्च करते हैं, इस साल के बजट में भी ४० हजार रुपया है, उसको कहते हैं पूल। यानी एक लिस्ट बनी हुई है। अगर कोई मजदूर अलग किया जाय तो उसका नाम उस लिस्ट में आ जाता है।

मिल वालों से हमारा समझौता यह है कि अगर किसी काम के लिये उनको आदमी की जरूरत पड़े तो वे हमारे यहां लिखें कि हमको फलाने काम के लिये आदमी की जरूरत है। अगर उस लिस्ट में उनके काम के लायक आदमी न हों तब ही वे बाहर से आदमी रख सकते हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि जो मजदूर कहीं से अलग हो गये हैं उनके लिये रास्ता रहता है और उनको एम्प्लायमेंट मिल जाता है। इस लिस्ट के मेनटेन करने के लिये गवर्नमेंट ४० हजार रुपया खर्च करती है। जिनका मैंने अभी नाम लिया उन्होंने खड़े हो करके कहा कि मुझको मालूम है कि मिल वालों की जो एसोसिएशन है, एम्प्लायर्स एसोसिएशन आफ नार्दर्न इंडिया उसने सब मिल वालों के पास एक सर्क्यूलर भेजा है कि आप इस पूल में से किसी आदमी को न रखिये। उसी वक्त एम्प्लायर्स खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा सर्क्यूलर नहीं भेजा है। फिर उन्होंने कहा कि मैंने सर्क्यूलर देखा है। मैंने कहा कि अगर आप ने देखा है तो यह बड़ी गम्भीर बात है, यह बड़ी भारी दगा बाजी की बात है, आप इसका सबूत दें।

आखिर बात खत्म हो गई। उसके बाद एम्प्लायर्स की तरफ से खत आया कि जो उन्होंने सबूत देने के लिये कहा था उसका क्या हुआ। माननीय राजाराम जी शास्त्री मुझसे मिले तो मैंने उनसे भी कहा कि उन्होंने ऐसी बात इतने आदमियों के बीच में कही थी लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। खैर वह सबूत दें कहां से, जब उनके पास सबूत हो तब तो वे सबूत दें। उस आदमी से मैं किसी बात की कैसे उम्मीद कर सकता हूं जिसने सारी बाडी को झूठा कह दिया और सबूत आज तक नहीं दिया। खुली बात है, वह कोई चोरी की बात नहीं है, मैंने लिख करके भेजा और जबानी भी कहलाया, लेकिन आज तक वे सबूत नहीं दे सके। ऐसे आदमी के लिये कहा जाता है कि उसको कमेटी में रखिये। मैं न एम्प्लायर्स से कह सकता था कि आप ऐसे आदमी के साथ कमेटी में बैठिये और न मैं श्री सूर्य प्रसाद अवस्थी से कह सकता था कि आप ऐसे आदमी के साथ कमेटी में बैठिये। जो नेता होते हैं उनको हर बात की जिम्मेदारी लेने के लिये तैयार रहना चाहिये। यह नहीं होना चाहिये कि कमेटी में आवें और बाद में मजदूरों में जा कर यह कहें कि हम तुम्हारे लिये लड़ने के लिये तैयार हैं। इसी वजह से ट्राईपार्टाइट कांफ्रेंस में जो बात तय हुई वह नहीं हो सकी। एक हमारे आफिसर डाक्टर बंसीधर हैं, जिनको यूरोप और हिन्दोस्तान में ट्रेनिंग मिली है और वे एक्सपर्ट्स की मदद से सारा काम कर रहे हैं। वैसे हमने फिर कहला दिया है और हमारा एक प्रेस नोट भी निकल चुका है कि हम एक बार एम्प्लायर्स और लेबर से कहेंगे कि आप आइये, यहां तक सामग्री तैयार है। अब भी अगर आप कोआपरेट करें तो अच्छी बात है। अगर वह नहीं तैयार होते हैं तो मजबूरी की बात है लेकिन बगैर जाने इस तरीके से गवर्नमेंट पर हमला कर देना गलत बात है। ट्राईपार्टाइट के सुझाव पर, जिसको मैंने स्वयं दिया था, अगर अमल नहीं हुआ, तो उसमें कुसूर गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि उन लोगों का है जिन्होंने जान बूझ कर ऐसी हरकत की कि उस सुझाव पर काम न हो सके।

एक बात यह कही गई कि मिल वाले बेइमानी करते हैं जिससे मजदूरों को ठीक ठीक बोनस नहीं मिलता है। मिल वाले क्या करते हैं, मैं नहीं जानता, मैं उनकी वकालत करना नहीं चाहता

जहां तक बोनस की बात है, सन् १९४७–४९ में जो बोनस दिया गया, उसकी जांच हाई को के एक जज ने की। सन् १९४९—५० में अपीलट ट्रिब्यूनल ने जो सिद्धांत से आउट किय उसके अनुसार बोनस दिया गया। सन् १९५०—५१ में भी उसी सिद्धांत के अनुसार बोनस दिया गया। अगर इस क़िस्म का कोई सवाल है और मिल वाले बेइमानी करते हैं तो वह सवाल अपीलेंट ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट के जज, जो हाइयस्ट अदालत हो सकती है, उसके सामने जा सकता है। जब वहां से फैसला हो चुका है, फिर भी इस क़िस्म की बात करना उनके ऊपर लांछन लगाना है, उनको बेईमान या बेवकूफ बनाना है। हम इसके लिये ज़िम्मेदार नहीं हो सकते हैं।

इसके अलावा और बहुत सी बातें कही जा सकती हैं लेकिन मैंने इन्हीं दो चार बातों को बतला दिया जिनका फैक्ट्स से सम्बध है और जिनका सम्बन्ध हवाई या लम्बी चौड़ी बातों से नहीं है। इन बातों का मैंने इसलिये ज़िक्र किया ताकि माननीय सदस्य यह समझें कि लेबर डिपार्टमेंट के बारे में जो शिकायतें की गई हैं वे कितनी निराधार हैं। केवल वक्त पूरा करना था, इसलिये यह बातें कह करके वक्त पूरा किया गया।

श्री मलखान सिंह—पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर, अभी अभी माननीय सम्पूर्णानन्द जी ने सदन के सामने यह बात कही कि दूसरे दिन भी मैंने जा करके इस बात को कहा उनसे कि आप के मुताल्लिक़ नहीं था। उन्होंने दो बातों को यहां पर सदन में नहीं कहा। मैं समझता था कि उन्हें बता देना चाहिये था। मैं उलाहना लेकरके उनके पास गया था। यहां सदन में जो उन्होंने ने स्पीच दी कि रानी लक्ष्मीबाई के चार हाथ बना दिये हैं तो मैंने कहा यह बिल्कुल ग़लत है आपने तो बढ़ा करके कहा है। इसके लिए मैं गया था और यहां पर जब वह खुद आये और उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से ऐसी बात नहीं होगी। मैंने कहा स्पीच में आप का नाम तो आया जो आप का भाषण छपा है उसमें आपने आई० जी० और डी० आई० जी० की बात क़बूल की। दो बातें उनको स्वीकार कर लेना चाहिये। बजाय इसके उन्होंने कहा कि हम उसी लिए गये थे। वही मुझे कहना है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—रानी झांसी के दो ही हाथ थे, सही है, चार नहीं।

मुख्य मन्त्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि इस बीच जबकि इस बजट पर वाद–विवाद होता रहा मैं यहां मौजूद नहीं रह सका, इससे मुझे ज्यादा हानि हुई। चूंकि मैंने इन सदस्यों के विचारों को काग़ज़ों में पढ़ा उससे उनकी सजीवता और वास्तविकता उस हद तक नहीं झलकती जितना कि मौजूद रहकर उनको सुनने से, इसका मुझे खेद है। मैं अपनी अनुपस्थिति के लिये सदस्यों से क्षमायाचना करता हूं। जहां तक बजट का संबंध है मैंने जो कुछ भाषणों की रिपोर्टों को देखा उससे तो विदित होता है कि जिस संजीदगी के साथ, विचार–विवेक के साथ प्रकट होना चाहिय था शायद सभी को उसमें उतनी गम्भीरता नहीं दीखी। क्योंकि मोटी मोटी आलोचनाओं और समालोचनाओं का बार बार करना, और वही बातें जबकि हमारे राज्यपाल का भाषण हुआ और उस संबंध में विवाद हुआ तब कही गयीं, वही फिर जब सप्लीमेन्ट्री एस्टीमेट्स के समय दोहराई गई और वही फिर जब बजट के ऊपर वाद–विवाद हुआ तब कही गई। इस तरह से आमतौर पर हर चीज़ को गलत कहने से कुछ साबित नहीं हो सकता। हम सब चाहते हैं कि गल्तियां मालूम हों और हम उन्हें ठीक करें। पर गल्तियां बतलाने वाले अगर खुद ही गल्तियां बार बार करते जाते हों तो फिर उनसे फायदा उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहां बार बार कहा गया कि यह वेलफेयर स्टेट नहीं है। मुझे इस बात से तब भी तसकीन है और खुशी है कि इस सदन के सदस्यों ने आमतौर पर बजट का स्वागत किया और उसके ऊपर अपना संतोष प्रकट किया। राजनारायण जी ने अपने बहुमुखी भाषण में बहुत सी बातें कहीं परन्तु उन बातों को जब ढांचे पर ढाल कर कसा जाय तो उसमें सार बहुत कम रह जाता है और मोटी बातों को यह कहना कि हम तो अग्रगामी हैं, हम आगे देखते हैं तुम लोग तो पूंजीवादी हो, तुम ठीक नहीं करते, इससे कोई बात सफल होती नहीं। देश में आज भी भिन्न–

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

भन्न वर्ग के लोग हैं, कम्यूनिस्ट हैं जो सब सोशलिस्ट को रिऐक्शनरी कहते हैं और जिनको सोशलिस्ट देश का नाश करन वाला समझते हैं जो आज प्रजा सोशलिस्ट वर्ग में हो गये उनके साथ जो कि उनके पहले साथी समाजवादी थे वह कहीं नहीं गये। वह समझते हैं कि यह अपने आदर्श को छोड़ कर चले गये और जिस ढंग से और जिन सिद्धान्तों से उन्हें काम करना चाहिये था वैसा उन्होंने नहीं किया। ऐसी अवस्था में यह समझना और यह कहना कि जो खड़े होकर बोल रहे हैं वह सब के सब देश की सेवा के लिये सच्चे सिद्धान्तों को बर्त कर चलते हैं, और जो भी कहते हैं उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। यह हित की बात नहीं है। हम सबको समझना चाहिये कि अपने विचारों के अनुसार देशसेवा करने का यत्न हर कोई करता है परन्तु आज बारबार इस बात को कहना कि यह वेलफेयर स्टेट नहीं है, यहां तो केवल पूंजीवाद को बढ़ाया जाता है, यहां तो केवल शोषण बढ़ता है यह वास्तविकता के विपरीत बात है। क्या जिस स्टेट ने थोड़े से अरसे में हजारों स्कूल कायम किये, सैकड़ों कालेज जिसने क़ायम किये, जिसमें लाखों एकड़ जमीन खेती के काम में लायी हो, जिसमें लाखों एकड़ पर आबपाशी हुई हो, जिसमें हजारों मील सड़कें बनी हों, जिसमें हजारों मील नई नई गूलें और पानी की नहरें बनी हों और जिसमें बिजली के नये नये कारखाने बने हों, जिसमें बन्धियां वगैरः बनी हों, जिसमें वह बहुत से काम हुये हों जिनका संकेत हमारे वित्त-मंत्री जी ने किया, अगर उस स्टेट को वेलफेयर स्टेट नहीं कहा जा सकता तो फिर किस स्टेट को वेलफेयर स्टेट कहा जा सकता है ? अगर यह स्टेट वेलफेयर स्टेट नहीं है और लोग समझते हैं कि वेलफेयर स्टेट बनाने के लिये नहरें न बनें, आबपाशी न हो, बिजली के कारखाने न बनें, जमींदारी विलीनीकरण न हो, तो वह वेलफेयर स्टेट उनको मुबारक हो। हम तो उसी वेलफेयर स्टेट को चाहते हैं जिसमें यह सब चीजें होती हैं और जिसमें ये चीजें आगे बढ़ती जायेंगी। इसलिये इस क़िस्म की थोथी बातों को कहने से कोई फायदा नहीं है। आज ही के बजट को लीजिये जिसमें २६ करोड़ यानी तिहाई से भी ज्यादा केवल विकास के लिये हो। अगर वह बजट वेलफेयर स्टेट का बजट नहीं है तो फिर दुनिया में कौन सा स्टेट है जिसको वेलफेयर स्टेट का बजट कहा जा सकता है ? उसको छोड़कर इस तरह की बातें कहना कोई शोभा की बात नहीं है।

मैं जानता हूं कि समाजवादी दल में राजनारायण जी एक प्रमुख व्यक्ति हैं और उनके जो कुछ भी यहां उद्गार होते हैं मैं उनको समझने की कोशिश करता हूं। परन्तु वह मानेंगे कि समाजवाद में भी उनके अतिरिक्त और लोग भी हैं। लन्दन के श्री ऐन्यूरिन बेविन यहां आये थे। वहां की लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट पार्टी के वे प्रमुख हैं। वे लेफ्टिस्ट सोशलिस्ट हैं और श्री एटली वगैरः से उनका मतभेद रहता है। मैं समझता हूं कि राजनारायण जी देख सकते हैं कि श्री एन्यूरिन बेविन ने क्या कहा है। मैंने हाल ही में चार पांच दिन हुये यह पढ़ा था--

"British Labour Leader Mr. Auurin Bevin said here last evening that what India has accomplished during the last six years had no parallel in the history of the whole world cheers)

उन्होंने कहा---

"It would be no exaggeration to claim, Mr. Bevin said that what is acheived during the last few years under the aegis of a Democratic Government would not be acheived by Great Britain or Canada, Newzealand or even the United States of America or any other country in the world."

उन्होंने कहा--

"India, within the next 30 or 40 years," he added, "will be engaged in trying to bring out a social revolution in the country within the framework of a democratic set up. You are facing gigantic task with every probability of success and facing difficulty in hopeful pride."

[कल शाम यहां ब्रिटेन के श्रम नेता श्री औरिन बेविन ने कहा कि भारत ने पिछले ६ वर्षों में जो कुछ किया उसकी समानता संसार के इतिहास में नहीं है।

श्री बेविन ने कहा कि इस दावे में कोई अत्युक्ति न होगी कि भारत ने गणतंत्र राज्य के संरक्षण में जो कुछ इन गत वर्षों में किया वह ग्रेट ब्रिटेन या कैनाडा, न्यूजीलैंड या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी या संसार का कोई अन्य राष्ट्र भी नहीं कर पाता।

उन्होंने कहा कि भारतवर्ष आगामी ३० या ४० वर्षों में इस गणतंत्र राज्य के अधीन एक सामाजिक क्रान्ति लाने में संलग्न रहेगा। आप लोग एक बहुत बड़े कार्य का सामना कर रहे हैं जिसमें कि सफलता की पूर्ण आशा है और कठिनाई का पूर्ण अभिमान के साथ सामना कर रहे हैं।]

मैं आपसे कहता हूं कि इस देश में, हम अपने देश में, काम "होपफुल प्राइड" से नहीं बल्कि "होपफुल माडेस्टी" से करते हैं और उसको करते यह भरोसा रखते हैं कि इस डैमोक्रेटिक सेटअप के अन्दर, इस लोकतंत्र के सिद्धान्त के आधार पर जनता के सहयोग के साथ हम अपने देश को शीघ्र ही सुखी, समृद्ध और उन्नत देश बनारकर छोड़ेंगे। उसके पीछे हमारी सारी शक्ति है और इसमें हम इस देश के प्रत्येक नागरिक का सहयोग चाहते हैं, चाहे कोई इधर बैठा हो चाहे कोई उधर बैठा हो। और देश का सहयोग हमारे साथ है वह कई बातों से प्रमाणित होता है। अभी अभी चुनाव हुये, उसमें सभी जानते हैं कि क्या हुआ? इस बात को कह देने से कोई बात सिद्ध नहीं होती है कि वहां ज्यादती की जा रही है। अभी बहराइच का कहा गया कि वहां ज्यादती की जा रही है, बिल्कुल गलत बात है। एक स्वतंत्ररूप से वहां चुनाव हो रहा है और उसी नीति से चुनाव हुये। पहले भी इस तरह की आवाजें उठाई गईं मगर जो जानकार लोग हैं उन्होंने कबूल किया है, श्री जयप्रकाश नारायण और श्री राजाराम शास्त्री ने क़बूल किया है कि चुनाव बिल्कुल स्वतंत्र नीति से हुये। इस तरह की बातों के कहने से कोई लाभ नहीं है। हमें जो वास्तविक बातें हैं उनके आधार पर, यथासंभव मिलजुल कर देश को बनाने की कोशिश करनी चाहिये। इससे कुछ काम नहीं चलता है कि जब किसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है तो कहा जाय कि ऐसा नहीं होना चाहिये। कोई भी सरकारी नौकर जब तक सरकारी नौकरी में रहता है वह बुरा है, जितने बुरे शब्द कहे जायं ठीक है। लेकिन जब वह सरकार को धमकी दे या छोड़कर चला जाय तो उससे अच्छा साधू संत और कोई नहीं है। इस तरीक़े से देश का संचालन करने में कठिनाई हो सकती है। इस तरह की बातें जो करते हैं उनको समझ लेना चाहिय कि इस लोकतंत्रवाद के देश में ऐसे मजबूत पाये होने चाहिये जो किसी के लिये भविष्य में कोई आशंका न हो, और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिये।

जब जनता के सहयोग से "man powermobiligations eek" मैन पावर मोबीलाइजेशन वीक मनाया गया और उसमें लाखों काम जनता के पूर्ण सहयोग से किये गये तो हमारे यहां के एक सदस्य कहते हैं कि यह तो बेगार होती है और जब जनता सहयोग देती है तो कहा जाता है कि यह सहयोग नहीं है, जब्र है।

मैं जानता हूं कि कम्यूनिस्ट पार्टी की तरफ से हिदायतें निकली थीं कि इस मैन पावर मोबीलाइजेशन वीक का विरोध करें, इसको चलने न दें और इसमें सफलता न हो। इस पर नजर रखें कि जितने भी काम किये जायं वह रोके जायं या सब कामों में बुराई बतलाई जाय। इनसे ऐसी आशा करना कि वह किसी बात को सही ढंग से देख सकेंगे या करना चाहेंगे तो यह आशा पूरी होने वाली नहीं है।

यहां पर कई मौकों पर आंकड़े भी दिये जाते हैं। मुझ खेद है कि आंकड़ों के संबंध में लोग बहुत अच्छी तरह से विचार या अध्ययन नहीं करते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक साइंस होती है, एक विज्ञान होती है और उसको अच्छी तरह से देखभाल करके ही आंकड़ों का उपयोग किया जा सकता है। मैंने अभी जो कुछ श्री कमलापति जी न कहा उसके थोड़ से अंश को सुना। इस संबंध में नहरों के बारे में कहा गया, आबपाशी के बारे में कहा गया। मैं आप से

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

कह सकता हूं कि मैंने बहुत गौर से देखा है और कह सकता हूं कि जितने आंकड़े वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में दिये हैं उनमें से एक एक पूरी तरह से सही है और कहीं भी कोई गलती नहीं है। यह कमलापति जी ने बतलाया और आपने देखा कि किस तरीके से एक छोटी सी बात के लिये कहीं आधी चीज देखकर और बाकी चीज को न देखकर किस तरह से भ्रम होता है।

श्री राज नारायण जी ने जो भाषण दिया उसमें आश्चर्यजनक बात मालूम हुई। मैं समझता हूं कि यह रिपोर्ट सही है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि श्रीमन्, एक बहुत ही रोचक आंकड़ा माननीय वित्त मंत्री जी ने नई जमीनों को तोड़ने के बारे में प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है कि क़रीब २२ लाख एकड़ जमीन तोड़ी गई। श्रीमन्, मैं इसी के द्वारा माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर यह जमीन तोड़े जाने का जो सुनहला आंकड़ा प्रस्तुत किया जा रहा है वह कहां चला जाता है ?

श्रीमन्, मैं आपके सामने पहले उन आंकड़ों को रखना चाहता हूं। श्रीमन्, १९४०—४१ में जितने क्षेत्र में गेहूं, चना, बारले, ज्वार, बाजरा और मेज बोये गये थे यह १९४०—४१ में कुल ३६,५१३ हजार एकड़ था और ५०—५१ में यह ३५,३७६ हजार एकड़ था और ५१—५२ में ३५,७०० हजार एकड़ हुआ तो सरकार यह जो २२ लाख एकड़ जमीन तोड़ेगी वह कहां गई। मुझे सवाल बड़ा अनूठा सा लगा। इसके क्या मानी होते हैं ? आप यह देखिये कि वह हजार के कोई मानी नहीं समझते। उनकी रीडिंग यह है कि ३०,५१३ एकड़ जमीन वह ३५,७०० एकड़ हो गई तो फिर वह २२ लाख का ब्योरा कहां रहा ? यह वह भूल जाते हैं कि ३०,५१३ हजार के मानी होते हैं ३,०५,१३,००० एकड़। इसी तरह से वह यह भी भूल जाते हैं कि ३५,७०० हजार एकड़ के मानी होते हैं ३,५७,००,००० एकड़। अगर ३,०५,१३,००० एकड़ में से ३,५७,००,००० एकड़ जमीन को घटा दिया जाय तो बचता है ५२ लाख। ५२ लाख के अन्दर क्या २२ लाख नहीं आती ! वह अगर करोड़ को हजार में रख जाते हैं तो उस पर क्या बहसमुबाहिसा किया जाय और क्या कहा जाय। इस तरह से अगर आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाय तो बड़े ही विस्मित होने की बात होती है।

आगे चलिये तो आप देखेंगे कि सरकारी आंकड़ों को गलत साबित करने के लिये आपने अपने आंकड़ों के बारे में प्रगाढ़ ज्ञान का दूसरा उदाहरण पेश किया। आपने कहा कि इसी तरह से नेट क्राप एरिया को देख लीजिये। सन् ४०—४१ में वह ३५,९८३ हजार एकड़ थी और ४१—४२ में ३५,९४५ हजार एकड़ थी। फिर उन्होंने और आंकड़े दिये। ४२—४३ में ३६ हजार ३६५ एकड़, इसी तरह से ४९—५० में ३८,२४३ हजार एकड़। ये सब उन्होंने दिये। तो उनके कहने के मुताबिक सन् ४०—४१ में नेट क्राप एरिया ३५,९८३ एकड़ था और ४९—५० में ३८,२४३ हजार एकड़ था तो उन्होंने कहा कि फिर यह २२ लाख एकड़ कहां से हुआ। आप देखिये कि यही उनका कहना है कि सन् ४०—४१ में हुआ नेट क्राप एरिया ३ करोड़ ५९ लाख हुआ और ४९—५० में ३ करोड़ ८२ लाख हुआ। ठीक वही २२, २३ लाख का अन्तर इसमें आता है। लेकिन उनको करोड़ के बजाय हजार दीखे। करोड़ों का हिसाब सामने नहीं आया और हजार कह दिया गया। इसी तरह से और हिसाब लगाया। उन्होंने खुद अपने आंकड़ों को देख कर यह सब कहा और हाफिज साहब ने जो कहा उसका अनुवाद अलौकिक तरीक़े पर किया, जैसा कि और बातों में किया करते हैं।

तो इसका किस तरह से मेल मिल सकता है जबकि आप करोड़ों को हजम कर के हजारों में कर दें। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों के मामले में फंसना अच्छा नहीं है। यह एक बहुत खतरनाक, नाजुक बात है। इससे तो अपने ज्ञान से बातें कहना अच्छा है। उसमें तो यह है कि जो चाहे कह दे कि हमने आसमान में दिन में पांच सूरज देखे, और किसी ने न देखा होगा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से बातें करने से कोई लाभ नहीं हो सकता और इस तरह की आलोचना से हम भी कोई फायदा नहीं उठा सकते

चाहे कोशिश करें भी। करोड़ों को हजारों में परिवर्तन कर देना तो बहुत दूर रहा, हमारी शक्ति के बाहर तो एक आंकड़े को भी बदलना है।

फिर एक बात, मुझे खेद है कि एक डिप्टी कलेक्टर के बारे में फिर कही गयी। मैं आपसे कहता हूं कि वह इतना शर्मनाक केस है कि उसका जिक्र करना मुझे एक हिन्दुस्तानी की तरह अपना सिर झुकाने की बात होती है और उसकी चर्चा फिर भी इस हाउस में की जाय यह बड़े दुःख और क्षोभ की बात मालूम होती है। किसी शख्स को सन् १९४४ में डिसमिस किया गया और उस वक्त के पब्लिक सर्विस कमीशन के मश्विरे से किया गया, फिर उसके बाद सन् १९५० में फिर उसको डिसमिस किया गया और फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये किया गया। यह सदन हमेशा बैठता रहा। दो दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन का मश्विरा लिया गया और आखिर में यह कहा गया कि जो अब ऐडवोकेट जनरल हैं उन्होंने उसकी सिफारिश की, यह कहा गया कि बनारसी दास जी ने की। तो आखिर इससे क्या साबित होता है? साबित यह होता है कि चाहे सारी दुनिया सिफारिश करे कोई काम नहीं किया जायगा जबतक कि वह सही नहीं है। इसलिये चाहे कांग्रेस के सदस्य सिफारिश करें चाहे कोई दूसरा सिफारिश करे मगर जो सही बात है, वह की जायगी, जो सही नहीं है वह नहीं की जायगी। और जब यह वाक़या हुआ तब भी इस सदन में बहुत से सदस्य विरोधी दल के बैठे रहते थे। वह कम समझ-बूझ नहीं रखते थे मगर उन्होंने ऐसी ख़तरनाक बात नहीं की कि जो इस विषय के बारे में एक भी सवाल यहां उठाया हो। वर्षों के बाद यह समझा जाता है कि पुरानी बातें वहां के लोग शायद भूल गये हों। इस क़िस्म के शर्मनाक जो गड़े हुये मुर्दे हैं उनको उखाड़ा जाय जिससे एक शर्मनाक शक्ल फिर देखने में आये यह कहां तक अच्छी बात है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर कोई डिसिप्लिनरी ऐक्शन ऐसे केस में न लिया जाता तो हमारे लिये एक शर्मनाक बात होती और मुझे आज शर्म है इस बात की कि इस क़िस्म की बातें फिर हाउस में उठाई जायं बावजूद इसके कि जब पूरा किस्सा बतलाया जा चुका है और कुछ सदस्य जो उस तरफ बैठे हुये हैं उन्होंने भी समझा कि बड़ी गलत बात की थी एसे शर्मनाक वाकये को इस सदन में उठा कर।

श्री राजनारायण--सी० डी० पांडे जी का खत हमारे पास है आपके पास भेज दूंगा।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त--किसी का भी हो आप सबको भेज दीजिये। मुझे आपकी बात की कद्र किसी दूसरे से कम नहीं है। मगर मैं आखिर विवेचना रखता हूं। मैं सब मामले को देखता हूं चाहे किसी पांडे का हो, चाहे किसी शास्त्री का हो या चाहे किसी लाल का हो चाहे कोई भी हो जो मेरी समझ में बात नहीं आती उसे अपनी अक्ल के खिलाफ कर नहीं सकता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि मैं नहीं यह चीज़ ऐसी है कि जिसे किसी भी आदमी के सामने आप रख दें। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा जो यह कह सके कि इस शख्स को सर्विस में रखा जाय। यह ऐसी बात ह कि एक भी मिसाल किसी मुल्क में हुई हो तो वह उसके लिये बड़े शर्म की बात है। मैंने डिसिप्लिनरी केसेज सैकड़ों किय मगर इतना शर्मनाक केस आज तक मेरे सामन नहीं आया। और एक दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहांतक सामूहिक बातों का ताल्लुक है वह इस सदन में उठायी जा सकती है लेकिन जहां तक व्यक्तिगत सरकारी मुलाजिमों का मामला है क्या इस सदन के सामने सारी शहादत आती है क्या वह सारे मामले की देख-रेख कर सकता है? और एक खतरनाक बात है सर्विसेज के लिय और उनकी लायल्टी के लिये कि यहां उनके व्यक्तिगत मामले उठाये जायं।

उनकी लायल्टी स्टेट के लिये होनी चाहिये। उनके कायदे बने हुए हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से सहायता नहीं देनी चाहिये क्योंकि व्यक्तिगत रूप से अगर लोग उनके मामलों में दिलचस्पी लेंगे जिनको कि उनके मामलों की पूरी तरह से जानकारी नहीं है तो मैं समझता हूं कि जसे राजनारायण जी धोखे में आ गये वैसे ही जो जितना धोखेबाज

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

होगा वह उतना ही ज्यादा मिसलीड कर सकेगा। इसलिये जरूरत है कि व्यक्तिगत मामलों से हम अपने आपको बचायें और जो बातें बुनियादी तौर पर सही हों उनको किया जाय।

यहां कहा जाता है कि मुलाजिम अपने कामों को ठीक तरीके से नहीं करते हैं, वह इस वक्त सर्विसेज के लिये ठीक नहीं हैं। मैं समझता हूं कि यह कहना कि सारे सरकारी मुलाजिमों को काले ब्रुश से रंग दिया जाय किसी के लिये फायदेमंद न होगा। विदेशी लोग यहां से चले गये और स्वदेशी यहां हैं। जब तक सरकारी नौकरी में कोई व्यक्ति रहे तब तक तो वह बेकार है वह लोगों को सहयोग भी नहीं देता, ईमानदार भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वह नौकरी को छोड़ देता है तो उसकी सब बुराइयां खत्म हो जाती हैं और फिर उसकी ओर से कहा जाता है कि उसके साथ अन्याय किया गया था, उसकी तारीफ बघारी जाती है। कहा जाता है कि यह सरकार बड़ी खराब है कि उसकी बात को नहीं माना जाता है। इस प्रकार से कोई भी शासन कैसे चल सकता है? यह भी मान लिया जाय कि सरकारी नौकरों में कमियां हैं, मुझमें भी कमियां हैं, उधर कमियां न हों तो वह दूसरी बात है लेकिन हम में कमियां हैं। लेकिन उन कमियों के होते हुए भी हमें उनको कम करने की कोशिश करना है। अगर सिर्फ ड्रेनेज के इंसपेक्टर की रिपोर्ट ली जाय तो दुनिया में कोई जगह साफ नहीं मिलेगी सब जगह भलाई-बुराई होती है। सरकारी मुलाजिमों का एक नमूना देखिये। मेन पावर के काम के सिलसिले में उन्होंने फावड़ा और कुदाली लेकर मामूली से मामूली आदमी के साथ हाथ मिलाकर काम किया। इसके अलावा और जगह जहां जहां हमारे यहां के आदमी गये हैं उन तमाम स्टेटस ने यह माना है कि हमारे यहां की सर्विसेज में सेवा का भाव है और इसी सेवा भाव से प्रेरित होकर हमारे देश का हित हो सकता है। उनमें जो कमियां हैं, रिश्वतखोरी है तथा और और गलत बातें हैं उनको दूर करने का उपाय हमें करना है। लेकिन अच्छी बातें न कहकर केवल दुत्कार देना कभी भी ठीक नहीं हो सकता। यह कहना कि इस जमाने में सब बदल जाना चाहिये था तो हम तो बदल नहीं पा रहे हैं यह जमाना डेमोक्रेसी का होते हुए अंग्रेजों के साथ लड़ने की जो आदत थी वह कायम है। कोई आदमी कुएं में गिर गया था उसको निकालना था, नीचे कुएं में रस्सी डाल कर निकाला गया। दूसरा आदमी पेड़ पर चढ़ गया। कहा गया कि इसके पैर में रस्सी बांध दो और एक झटका दो वह नीचे उतर आयेगा। इस कुएं में गिरने और पेड़ पर चढ़ने में बड़ा फर्क है। अब जमाना है जब कि हमें यह समझना चाहिये कि हम सब मिल कर भाईचारे से काम लें और सरकारी मुलाजिमों की जो कमियां हैं, उनको दूर करें।

कहा गया कि अस्पतालों की कमी है, स्कूलों में कम खर्चा किया गया है। मैं मानता हूं कि मेडिकल में हमें अधिक खर्चा करने की जरूरत है। आज हमारे ऐसे बहुत से स्कूल हैं जिनके पास मकान नहीं है। आज भी हमारे अस्पतालों में दवा पूरे तौर पर नहीं दी जा रही है, हमें इन कमियों को पूरा करना है और अस्पताल और स्कूलों को खोलना है। सब कमियों को दूर करना है परन्तु हमें सोचना यह है कि कैसे करें? हमने पांचसाल का प्लान बनाया, इस प्लान के द्वारा हम कुछ आर्थिक सुधार करना चाहते हैं, अपनी माली हालत को दुरुस्त करना चाहते हैं जिससे जितने भी समाज-सेवा के कार्य हैं, एजूकेशन मेडिकल रिलीफ या और-और जितने भी तरीके हैं उन सब से हम लोगों की सेवा कर सकें। मगर जब तक कि उसके साधन न हों सरमाया न हो वह कैसे चले? प्लान के माने प्रायरिटी होता है इस वक्त प्रायरिटी किस चीज को दें? बेकारी को दूर करना है, गरीबी को दूर करना है और अपने देश को, प्रदेश को इस लायक बनाना है कि हम यहां रुपया इस काम के लिये जमा कर सकें कि जिससे हमारे यहां अस्पताल भी हों, जिससे हमारे यहां स्कूल भी हों, जिससे और भी जो जरूरी काम हैं वे सब हो सकें। जहां तक कि हमारे यहां के सरकारी मुलाजिम हैं उनके लिये मैं मानता हूं कि जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको हम जहां तक

हो सके, अधिक वेतन दें। मगर छोटे वेतन वाले भी इस बात को जानते हैं कि उनके मुकाबिले में उन्हीं के भाई बन्द जो उनके घरों में रहते हैं उनकी अवस्था उनसे ज्यादा बदतर है। इसलिये जब हमें उनकी हालत को बेहतर बनाना है तो सरकारी मुलाजिमों की हालत को सुधारने के लिये उन साधनों को बढ़ाना है, पैदावार को बढ़ाना है, और उसके लिये उन साधनों को करना है। जो हमारे यहां डेवलपमेंट स्कीम्स हैं अगर उनके जरिये हम अपने देश की पैदावार को बढ़ावें और उसका एक हिस्सा भी खर्च करें जिससे जल्द से जल्द विकास कार्य बढ़े तो समाज की सेवा का कार्य करने के लिये काफी गुन्जाइश हो सकेगी। उसके लिये जाहिर सी बात है कि सब काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। जो गरीब देश हैं वहां गरीब आदमी सब काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। पहले जो भूखा है उसके खाने के लिये पूरा करना है। आज जानते हैं कि बाहर से अनाज मंगाने में ही करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, हमारे यहां गल्ले की कमी है और उसके लिये टैक्स–पेयर को पैसा देना पड़ता है। जब तक लोगों के लिये खाने को नहीं हो तब तक और कोई बात नहीं सोच सकते। इसलिये उनके अन्त करने में हमें लगना है। प्लानिंग की जो बात कही गई है कि हम पैदावार बढ़ावें, हम नहरों को बढ़ावें, हम खेती को बढ़ावें, हम स्कूल को बढ़ावें, सब बढ़ान के लिये तो कह दिया जाता है लेकिन उनको बढ़ाने के लिये जो दूसरे साधन हैं वे क्या हैं और कैसे इनको बढ़ाया जाय? जब इसका प्रश्न उठता है तब आंखें भी बन्द हो जाती हैं, कान भी कुछ बहरे हो जाते हैं और मालूम होता है कि सब तरह की ज्यादती, जब्र और जुल्म, यही दीखने लगता है। तो फिर यह चीज कैसे सम्भाली जाय, तराजू का पल्ला कैसे चले? इस सवाल को भी सामने रखकर आपको काम करना है।

फाइनेन्स कमीशन की जो रिपोर्ट अभी हाल ही में निकली है उसको देखने से मालूम होगा कि उसमें उन्होंने दिखलाया है कि हमारे प्रदेश की जो आमदनी है वह बहुत कम है, चाहे रेवेन्यू की हो, चाहे इन्कम टैक्स की हो। यह सन् ५२–५३ का फीगर है। आसाम में पर हेड रेवेन्यू ११.२, बम्बई में १८.१, पंजाब में १३.५, मद्रास में ११.३, सौरष्ट्र में २१.३, और यू० पी० में ९.७ है। टैक्स रेवेन्यू पर कैपिटा आसाम में ५.१, बम्बई में १०.४, मद्रास में ६.८, पंजाब में ६.१, मध्य भारत में १०.१ और यू० पी० में ५.१ है। अगर इन्कम टैक्स को मिलाकर देखा जाय तो आसाम में ६.८, बम्बई में १३.३, मद्रास में ८.४, पंजाब में ८.३, यू० पी० में ६.५ और हैदराबाद में ११.२ है। इसी तरह से टोटल टैक्स रेवेन्यू पर कैपिटल आसाम में ६.४, बम्बई में ९.४, मद्रास में ६.७, यू पी० में ४.३, पंजाब में ६.४ है। यह सन् १९५१–५२ का फीगर है। इस तरीके पर हमारी आमदनी कम है, हमारे यहां टैक्स रेवेन्यू कम हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिन कामों के लिये अपने दिल से बहुत रुपया लगाना चाहते हैं उनके लिये गुन्जाइश नहीं निकाल सकते हैं। उनकी गुन्जाइश निकालने का क्या तरीका है? सिर्फ यह कह देना कि इस चीज में कमी है इस तरह से नहीं हो सकता। उन कमियों को कैसे पूरा किया जाय, यह सवाल आता है। उस सवाल के लिये हमको सोच समझकर काम करना है और यह भी देखना है कि आज हम किसी खर्चे को बढ़ावें नहीं। जो काम रुक सकता है उसको रोकें और जो जरूरी है, और जो जरूरी खर्चा है उन सब को इस पैदावार को बढ़ाने के लिये डेवलपमेंट के कामों में लगावें। ऐसी हालत में तनख्वाह बढ़ाने की गुन्जाइश नहीं होती और दूसरे खर्चों को भी करने की जरूरत नहीं होती। अक्सर कहा जाता है कि जो ज्यादा तनख्वाह वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह कम कर दी जाय। कुल खर्चा जो ५०० रुपया से ऊपर वाले लोगों के लिये होता है वह इस ७०,८० करोड़ के बजट में १ करोड़ १७ लाख आता है। उस १ करोड़ १७ लाख में अगर ५ फीसदी कम करें तो ६ लाख कम होता है और अगर १० परसेंट कम किया जाय तो १२ लाख कम होता है। क्या इससे कोई काम आपका बन सकता है और उससे क्या नतीजा निकाल सकते हैं? फिर आप यह भी जानते होंगे कि हमारे प्रदेश में सरकारी मुलाजिमों को जो तनख्वाह जाती है वह सेंटर में जो तनख्वाह दी जाती है उससे कम है। हमारे यहां से अफसर सेंटर में लिये जाते हैं और वहां उनको ज्यादा तनख्वाह मिलती है। वहां उनको डियरनेस अलाउन्स २ हजार तनख्वाह पर भी मिलता है हमारे यहां ४५० रु० की तनख्वाह तक मिलता है और इसके आगे नहीं मिलता है। पोस्ट आफिस में जो

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

चपरासी काम करता है उसको हमारे वहां से ज्यादा तनख्वाह मिलती है । ऐसी हालत में आपको देख लेना चाहिए कि इसमें कहां गुन्जाइश है कि इससे और कम किया जाय? इसलिये सारी बातों को देखते हुए हमें नतीजा निकालना है और नतीजा निकालकर हमें काम करना है।

आज हमारे यहां अध्यापकों की बात कही जाती है। यहां सदन में भी बहुत से सदस्यों ने कहा। मैं उनकी भावना की कदर करता हूं और अध्यापकों के साथ सहानुभूति होना स्वाभाविक है। हम भी कभी शिष्य थे और हमारे भी अध्यापक थे। इसलिये हर एक आदमी कभी न कभी विद्यार्थी रहा है और अध्यापक के लिये हर एक के हृदय में सहानुभूति होती है। जहां तक इस सदन के विचारों का सम्बन्ध है उनके साथ पूरी हमदर्दी है और उसी तरह से उनको सहानुभूति दिखलाना है और हमको सदन के विचारों को सामने रखकर काम करना है। अध्यापकों को मालूम होना चाहिए कि सदन में सदस्यों की सहानुभूति उनके साथ है और इस बात को समझकर उन्हें जो सदस्य सहायता पहुंचाना चाहते हैं उन्हें उनके काम को और असम्भव नहीं बनाना चाहिए। इससे उनका लाभ नहीं हो सकता है। जो कुछ भी उनकी बातें हैं उन्हें हर एक देखना चाहता है। इस बात के लिये मैं समझता हूं कि एक तरह से उन्होंने गलत रास्ता तो अख्तियार नहीं किया जो कि अपना इस्तीफा नहीं दिया। अगर वह ऐसा करते तो उनके साथ भी शायद इस सदन के किसी सदस्य की सहानुभूति न होती। परन्तु जो कुछ भी तरीका उन्होंने अपने सामने रखा है वह कोअर्शन का तरीका है चाहे वह कोई उन्हें अपने ऊपर कष्ट उठाने का ही जरिया हो। वह उनका तरीका कोई अच्छी बात करने वाला नहीं है। यहां सदन के सदस्य उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। उनको स्वाभाविक रास्ता और अपने को उस काम के करने वाला बिना इस प्रकार का रास्ता पकड़े हुए अपनी कर्तव्यपरायणता को देखकर उस मार्ग को स्वीकार करना चाहिए जो उचित और सही है, नहीं तो वह जानते हैं कि आखिर शासन का काम यह नहीं कि कोई कठिनाई पैदा हो। आज हम भी उनकी सहायता करना चाहते हैं परन्तु समझना चाहिए कि आज हमारी भी बहुत सी कठिनाइयां हैं। क्या हमारे लोग जिनको यहां पर कम वेतन मिलता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्लियामेंट हाउस के सामने जाकर उपवास करेंगे ? इसलिये कि इस प्रदेश में जो व सेवा का कार्य करते थे उनकी तनख्वाह उनको नहीं मिलती है उसमें वृद्धि होना चाहिए इस वजह से हम गवर्नमेंट आफ इंडिया के यहां आयें चूंकि गवर्नमेंट आफ इंडिया के नीचे इस प्रदेश की गवर्नमेंट है हमें उपवास करना चाहिए और हमें हड़ताल करनी चाहिए ! इस तरह से यहां प्रदर्शन होते हैं ऐसी बातें होती हैं । और अगर यही रवैया रहा तो बड़ी मुश्किल होगी यह हमें समझना चाहिए। हमारे क्षेत्र बंटे हुए हैं, कुछ काम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करती है, कुछ प्राविन्शियल गवर्नमेंट करती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इस तरह से हरएक अपने अपने क्षेत्र में अपना कर्तव्य करते हैं और हरएक की एक दूसरे से सहानुभूति रहती है और हर एक दूसरे को अपना सहयोग देना चाहते हैं। हमने भी डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को मदद देने की कोशिश की और उनको इस काम के लिये कर्जा भी दिया और कुछ ग्रांट भी दी, और अब भी हम कुछ मदद करना चाहते हैं। लेकिन यह समझना चाहिए कि इस तरह से काम इस ढंग से करने से कोई अच्छे तरीके नहीं निकल सकते हैं इससे तो खामख्वाह उलझन ही पैदा होती है। अगर हमारे ही जो वैतनिक अधिकारी हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट में जाकर धरना दें, हमारे पियन, चपरासी, अर्दली या पटवारी वहां जाकर प्रदर्शन करें कि हमें यहां तकलीफ है और इसलिये आप के यहां जाकर हम प्रदर्शन करते हैं तो यह कहां तक उचित हो सकता है ? मेरे ख्याल से यह चीज बहुत ही गलत होगी और उसकी तुक ही क्या है और इस तरह से मरने से फायदा ही क्या है ? क्या हमारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को मदद देना ही गुनाह है ? अगर मदद देने से ही यह जिम्मेदारी पैदा होती है कि दूसरों के कामों को रोक कर यह किया जाय तो वह ख्याल सही नहीं है। इसलिये हमें सही ढंग से काम करना चाहिए। अध्यापकों के साथ सबको सहानुभूति है और कोई भी ऐसा नहीं है जो चाहे कि उनका दुख और दिक्कतें दूर न हों।

हमें अपनी प्लान को चलाना है और उसके लिये सारे देश ने और हमने एक गम्भीर तरीक स संकल्प किया है और एक तरह से प्रतिज्ञा की है और उसी के साथ-साथ और जो जरूरी काम हैं उनको भी पूरा करने के लिये यत्न करना चाहिए। मैं ज्यादा तफसील से उसके बारे में नहीं कहना चाहता क्योंकि यह मौका उसकी तफसील में जाने का नहीं है। मैं इस वक्त इतना ही कहूंगा कि हमें सही ढंग से काम करना चाहिए। हमारा स्वतन्त्र देश है और यहां इस तरह की भूख हड़ताल और दूसरी चीजें कोई प्रशंसनीय तरीका किसी बात को सुलझाने का नहीं हो सकता। हमें एक दूसरे की अवस्था को समझ कर, सब के सहयोग से दिक्कतों को हल करने की और नतीजों को पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। इसी नीति पर चल कर हमारी कठिनाइयां हल हो सकती ह लेकिन ऐसी चीजें करने से कोई नतीजा निकलना असम्भव है। मैं आपसे यहां कुछ और अधिक नहीं कहना चाहता।

यहां पर कुछ टैक्सेज की बात कही गयी, कुछ सेल्स टैक्स की बात कही गयी। हमारे यहां का सल्स टक्स सबसे हल्का सेल्स टैक्स ह। हमारे यहां वह तमाम चीजें जिनका सम्बन्ध गरीब आदमी से है और जिनकी उसको जरूरत है वह सब सल्स टैक्स से बरी हैं और गरीबों को उन पर कोई सेल्स टैक्स नहीं दना पड़ता। सेल्स टैक्स नमक, खाने का सामान, आटा, किरोसिन, सीरियल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आदि पर नहीं है। मद्रास में सिर्फ खाने की चीजों पर जो सेल्स टैक्स लिया जाता है उसकी आमदनी ६ करोड़ रुपया है और जिस पर हम वहां एक पाई भी नहीं लेते हैं और जिसके ऊपर हम लेने के बजाय करोड़ों रुपया लोगों को खिलाने में खर्च करते हैं और दूसरी चीजों पर भी हमने उसको छोड़ रखा ह। शकर की कीमत पहिले से ५,६,४ रुपया मन घट गई है। अगर उस पर सेल्स टैक्स लगाते हैं तो उसकी कीमत कोई बहुत ज्यादा नहीं हो जाती, २ पाई से १० आने मन बढ़ती है। इसलिये अगर कोई सेल्स टैक्स बढ़ाया जाय तो उससे यह समझना कि उससे गरीबों पर बोझ बढ़ेगा मुनासिब नहीं है। गरीबों के लिये जो कुछ भी हमने किया है हम कह सकते हैं कि हमारी हमदर्दी किसी भी सदन के सदस्य से उनके साथ कम नहीं है और उनसे जो कुछ भी सेवा हमसे हो सकती है उसको करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं और हम उसके लिये योजना भी बनाते हैं।

यह भी कहा जाता है कि पैदावार का ठीक डिस्ट्रिब्यूशन नहीं हो रहा है। कौन से डिस्ट्रिब्यूशन की बात कहत हैं आप जो डेमोक्रेसी या सोशलिस्ट समाज के लिये अहितकर है? जमींदारी अबालिशन हो गया, रोड ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज कर दिया, बिजली की कम्पनियों को अधिकतर सरकार ने अपने हाथ में ले लियां और जो कुछ थोड़े से बड़े बड़े कारखाने हैं उनका संचालन भी हमार अधीन होता ह। जो काम हम करते ह जिनक दो चार खत हैं उनको हमारा पानी जाता है, वह फसल पैदा करते हैं हम उनसे आबपाशी लेते हैं, बांध बनाते हैं उनके तमाम काम करत हैं तो हमारी समझ में यह नहीं आता कि कौन से डिस्ट्रिब्यूशन में खराबी हो रही है?

आबपाशी के रेट्स बढ़ाने के बारे में भी यहां कहा गया है। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि आबपाशी लेना कोई टैक्स नहीं है यह जो पानी के बदले में जो अधिक पैदावार होती है उसमें से हम उससे कुछ लेते ह। अगर हम एक ही किस्म के दो खेतों का मुकाबिला करें जिसमें स एक म आबपाशी हो और दूसरे म न हो तो आबपाशी वाले खेत में कुछ ज्यादा पैदावार होती है, तो वह ज्यादा पैदावार जो होती ह उसमें जनता का भी अधिकार है क्योंकि जनता के रुपये से ही हम सब वह नहर कुएं वगरह बनाते ह। उनसे जो पानी मिलता है उसका वह परिणाम है, उसी की बदौलत उसमें ड्योढ़ी पैदावार होती है। एक तरह से जो इर्रीगेशन की नेशनल इन्डस्ट्रीज है उसके द्वारा उस किसान का लाभ होता है तो यह भी उसके साथ लाजिमी और उचित है कि उसका फायदा कम्यूनिटी को भी मिले, यह बिल्कुल जस्टीफाइड और न्यायोचित है। यह एक तरह से अगर देखा जाय तो किसी पर टैक्स नहीं है। जो आबपाशी से १० मन पैदा करता ह उसके साथ उसे कम्पिटीशन करना पड़ता है। उस बेचारे को न तो पानी मिला और उससे ज्यादा मेहनत करके कम पैदावार मिली और फिर वह उससे नक़सान में रहा इसलिय कि दूसरे नशनलाइज्ड इर्रीगेशन की है। यह उसके

[श्री गोविन्द वल्लभ पन्त]

साथ इन्साफ की बात नहीं है। इसलिये अगर आप उसको बिल्कुल इक्विटेबिल तरीके पर दे दें, एक डिस्पैशनेट तरीके पर दे दें तो आपको मालूम होगा कि इससे कोई टैक्स नहीं लग रहा है। अब भी जो आबपाशी करायेगा उसको फायदा होगा। अगर आप आबपाशी करने दें तो आज भी ऐसे लोग हैं जो इससे भी दूना टैक्स देने के लिये तैयार हो जायेंगे। दूसरा तरीका यह है कि अगर अपने बैल रखें, और खुद पानी खींचे और फिर वह आबपाशी करें, तो उसका कितना खर्च होता है। लोग कहते हैं कि यह तो ठीक है, मगर बैल की कीमत ६ गुनी हो गयी। वह जो रहट काम मे लाता है उसकी कीमत भी ६ गुनी हो गयी, जो मजदूरी देता है वह भी ६ गुनी हो गयी है। गरज यह है कि जो आबपाशी आदमी सरकारी नहीं करता उसको ६ गुना पहिले से कीमत देनी पड़ती है और पहिले ही दुगुनी थी लिहाजा १२ गुनी हो गयी। अब थोड़ा सा इजाफा किया जाता है तो कहा जाता है कि बड़ा जुल्म हो गया। अगर सब चीज आप खुद पैदा करें तो ५ गुना खर्च करना पड़ेगा और जो कि नेशन की बनाई हुई एक इर्रीगेशन केनाल है उससे अगर उससे पानी लेने पर आप जो कुछ देते हैं वह जनता के हित में आता है, किसी के नफे में नहीं आता। तो वह बड़ी ज्यादती है, उसको देने में यह कैसे एक इन्साफ की बात हो सकती है। इसलिये अगर आप बुनियादी तरीके पर देखें तो यह कोई टैक्स नहीं है। यह जो कि एक अनअर्न्ड इन्क्रीमेंट एक स्टेट की नेशनलाइज्ड इन्डस्ट्री का प्रोडक्ट है, जिसका फायदा किसी खास व्यक्ति को मिलता है उस अनअर्न्ड इन्क्रीमेंट का एक जुज वह नेशन को वापस देता है जो हर तरह से उसके लिये भी एक सन्तोष और शान्ति की बात होनी चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि हम और भी लोगों को अगर मदद दे सकें तो न दें। आज तक हमने इसको नहीं बढ़ाया, मगर अब अगर आपको योजना बनाना है तो क्या करें? मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे किसान हैं, खेती है जिनकी, वह इसमें मदद देंगे ही जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं वह इसमें हर तरह से सहायता पहुंचायेंगे। गो कि उनको पैसा देने में बहुत अच्छा नहीं लगता, परन्तु मैं जानता हूं कि कृषक वर्ग में देश का प्रेम है, वह समाज के हित को देखते हैं, वह गरीबों की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, उनमें देने की भी भावना है। इसलिये आप इन सब बातों पर पूरा भरोसा कर सकते हैं कि चाहे लोग घबड़ावें भी, फिर भी किसी से कोई कोताही ही इस काम के करने में नहीं होगी। फिर आपको समझना नहीं होगा। फिर आपको समझना है कि अगर पानी का प्रबन्ध न किया जाय, अगर और तरीकों पर पैदावार न बढ़ायी जाय तो काश्तकारों को कितना नुकसान होता है? सूखा पड़ता है। करोड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है, इसलिये कि वहां किसी तरह से लोगों को जीवित रखा जाय। वह भी तो उन्हीं को देना पड़ता है जो कि यहां खेती करते हैं, और तो कोई जरिया नहीं है। इसी तरह से पैदावार नहीं होती, लोगों को सब्सीडाइज्ड करके देना पड़ता है। तो जो कुछ वह देते हैं उसका एवज उनको भी मिल जाता है और उनको फायदा पहुंचता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इसको सब तरीके से देखकर बहुत न्याययुक्त समझा जायेगा और इसके बारे में किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं होगी। हमारा यह भी विचार है कि जो वह इर्रीगेशन रेट लगाया गया है वह नाज की कीमत की शरह से चार्ज कर रहे हैं। जब ४ सेर का गेहूं बिकने लगेगा तो वह कम कर दिया जायगा। फिर आठ सेर का हो तो फिर कम कर दिया जाय। यानी पहले जो रेट किसी तरह के लागू थे, जो दो-तीन रुपये में मिल जाती थी वह आज १५-१६ और २० रुपये में मिलती है। तो ऐसी सूरत में जब सब चीजों की ऊंची कीमत हो गयी तो तो फिर यह जरिया जो पैदावार का करना है उसके लिये भी कुछ देना पड़ेगा। तो वह न्यायसंगत है, उचित है और उसके लिये किसी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

मैं आशा करता हूं कि इस सदन को इस बात का आभास होगा कि आपके प्रदेश ने जिसको कि आप में से हर एक आगे बढ़ाने के लिये उत्सुकता रखता है, यही जिसका एकमात्र उद्देश्य है, जिसके लिए हम सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं कि हम अपने प्रदेश की सब योजनाओं को सफल बनावें, यहां की पैदावार को बढ़ावें, जनता

की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब चीजों को उनके सामने ले जा सकें। हम ऐसी स्थिति लाएंगे जिसमें कि यह वेलफेयर स्टेट पूरे तरीक़े से हो जाय। जिस दिशा में हमने क़दम रखा है उस दिशा में बढ़ते ही जायंगे, और जो भारत किसी जमाने में दूध और मधु की भूमि कहा जाता था और उत्तराखंड जिसका प्राचीनकाल से सर्वश्रेष्ठ खंड रहा है, उसमें सर्वोच्च हिमालय के शिखर पर, शुद्ध और पवित्र वायु और समीर में एक उत्तुंग मंदिर, ऊंचे आकाश में भारतमाता का बनाने में सहायक होगा और उसका रूप वहां से सबको प्रदर्शित करेगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जनाबवाला, मैं इस ऐवान का शुक्रिया अदा करता हूं और यह अर्ज करता हूं कि अब पंत जी की तक़रीर के बाद इसकी जरूरत नहीं मालूम होती है कि मैं और वक्त लूं। उम्मीद करता हूं कि इस बजट के ऊपर जो काम आइन्दा साल में किया जायगा उससे हमारी इस स्टेट को पूरा पूरा नफा होगा और हमको उसके लिए सबका सहयोग हासिल होगा।

श्री राजनारायण--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप मौक़ा दें तो क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने यहां पर कुछ आकड़ों के बारे में.....

श्री अध्यक्ष--अभी फिर मौक़ा आयेगा।

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में श्री गेंदा सिंह द्वारा १८ व १९ फरवरी, १९५३ को पूछे गये प्रश्नों के विषय पर विवाद

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कभी कोई प्रश्न किया जाता है तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य हुआ करता है। मैंने पिछले वर्ष ९ जून, १९५२ को एक प्रश्न किया था और माननीय अन्न मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया था कि इस प्रदेश में ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जिनसे यह कहा जा सके कि अपने प्रदेश में कितने अन्न की आवश्यकता होती है। इस पर कुछ समाचारपत्रों ने उसकी टीकाटिप्पणी की और दूसरे दिन १० जून, १९५२ को माननीय अन्न मंत्री जी ने उस सदन में मुझे बड़ी डांट सुनायी और उन्होंने यह फरमाया था.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि शान्ति रहे। जो लोग बाहर जाना चाहें वह धीरे धीरे शान्तिपूर्वक जायं तो अच्छा है।

श्री गेंदा सिंह--और मुझे व्यंगात्मक शब्द कहते हुये यह बताया कि भावी खाद्यमंत्री ने इस प्रश्न को लेकर सदन में और सदन के बाहर भी बड़ी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो उस गलतफहमी को पैदा करने की कोशिश तो नहीं की। मैंने तो केवल इतना जानना चाहा था कि इस प्रदेश में कितने अन्न की आवश्यकता होती है, कितना अन्न इस प्रदेश में पैदा होता है और कितना अन्न बाहर से मंगाना पड़ता है? लेकिन मुझे इसका उत्तर दूसरी तरह का मिला, जिससे अखबार वालों ने और पढ़े-लिखे लोगों ने उस पर आलोचना की, अन्न-मंत्री जी और मैंने भी आलोचना की। उसी जमाने में बजट की बहस चल रही थी। मैंने कहा कि प्लानिंग के सिलसिले में जब कोई आंकड़े अन्न मंत्री जी के पास मौजूद नहीं हैं कि कितना अन्न इस प्रदेश में पैदा होता है तो फिर प्लानिंग कैसे हो सकती है? इस वर्ष फिर मैंने यह प्रश्न किया। फिर मुझे १९ फरवरी को इस प्रकार का उत्तर दिया गया, "यदि इस प्रश्न का मतलब समस्त राज्य की आवश्यकता से है तो सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं जिनके आधार पर उत्तर दिया जा सके? यदि प्रश्न का संकेत केवल राशनिंग व्यवस्था से है तो राज्य में इसके लिए लगभग ७,५०,००० टन अनाज की प्रतिवर्ष आवश्यकता होती है। हर वर्ष जितना अन्न राज्य में खरीदा जा सकता है उसके अलावा बाहर से मंगा कर कमी पूरी की जाती है। औसतन् लगभग २,००,००० टन की कमी पड़ती रही है।

इस पर मैंने माननीय पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी साहब श्री बनारसी दास जी को फिर याद दिलाना चाहा कि १०, जुलाई १९५२ का माननीय अन्न मन्त्री जी का जो बयान है उसे भी आप स्मरण रखें। उसका स्मरण दिलाते हुए भी फिर हमको ऐसा उत्तर नहीं मिल सका

[श्री गेंदा सिंह]

जिससे हम लाभ उठा सकते या सदन लाभ उठा सकता कि इस प्रदेश में कितने अन्न की आवश्यकता होती है। तो इस पर यदि आपकी आज्ञा हो तो वह हिस्सा जो माननीय अन्न मन्त्री जी ने १० जुलाई को कहा था और यह बताया था कि मेरे पास सब आंकड़े मौजूद हैं और किसी वक्त भी सब आंकड़े प्रस्तुत किये जा सकते हैं, लेकिन उसके इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं आपकी आज्ञा से उस हिस्से को पढ़ देना चाहता हूं।

"अध्यक्ष महोदय, मेरी इच्छा इस समय बहुत सी बातों का जो खाद्य समस्याओं के सिलसिले में कही गयी थीं, उत्तर देने की नहीं थी। मैं समझता था कि हमारी नई नीति की घोषणा के बाद इस प्रकार की आलोचनायें अब नहीं होंगी जिसमें अधिक उत्तर देने की आवश्यकता पड़े। अब इस समय तो मेरे पास समय भी नहीं रह गया है जिसमें अधिक उत्तर देने की आवश्यकता पड़े। उन बातों का उत्तर तो मैं जब अपने विभागों का बजट इस भवन के सामने उपस्थित करूंगा तब दूंगा। परन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि कल कुछ गलतफहमी समाजवादी पार्टी के "भावी" खाद्य मन्त्री ने इस भवन में कुछ आंकड़े पूछकर इस भवन के सदस्यों के सामने और बाहर की जनता के सामने उपस्थित करने की चेष्टा की। कल उन्होंने मुझसे कुछ आंकड़े पूंछे और इस बात की जानकारी उपलब्ध करने की चेष्टा की कि सरकार ने कोई प्रान्त की या प्रदेश की जन-संख्या की जरूरतों की जांच करके कि कितने अन्न की आवश्यकता है, उसके आंकड़ भी उपलब्ध किये हैं? मैंने उत्तर में यह कहा था कि सरकार ने ऐसा नहीं किया है और मैंने इस उत्तर के देने के समय ही यह कह दिया था कि इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठा करने की इसलिए आवश्यकता नहीं कि प्रदेश में जो लोग रहते हैं और वे जिस प्रकार से खाना खाते हैं और उनके खाने के तरीक़े और रहन-सहन में बहुत अन्तर है। इस तरह से यदि हम कोई आंकड़े इकट्ठे भी कर लें तो उनसे हमारा कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा। आज हमारे लिए कितने गल्ले की जरूरत है, कितनी गल्ले की कमी है, इस बात को जानने के लिए तो हमारे पास काफ़ी मसाला मौजूद है।"

यह माननीय अन्न मन्त्री ने जब इस प्रकार की बात कही तो मैं यह आशा करता था कि अब माननीय अन्न मन्त्री जी जिस पर इतना वाद-विवाद हो चुका है कि इतनी सफाई देने की आवश्यकता हुई थी, उनके पास यह आंकड़े अब उपलब्ध हो गये होंगे। मैं इसकी चर्चा न करता लेकिन आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि प्रदेश में आज भी लोग भूख से परेशान हैं। प्रदेश में आज भी चावल का अभाव है। अभी कुछ महीने पहले चावल का बाजार दो-तीन दिन के अन्दर ही १७ रुपये से २५ रुपये ३० रु० हो गया। उन इलाकों से चावल की खरीद शुरू की गई कि जो इलाके डेफिसिट हैं, जहां से चावल खरीदने से वहां की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके लिए एक एडजर्नमेंट मोशन दिया गया, वह मोशन डिस-एलाऊ कर दिया गया। तब फिर मैंने शार्ट नोटिस क्वेश्चन किया। लेकिन उसके बाद भी बस्ती के जिले में तेंतरी बाजार और शोहरतगढ़ बाजार से चावल खरीद करके वहां की हालत खराब की जा रही है। इन प्रश्नों के पूछने का अर्थ यह होता है कि प्रदेश में कितने अन्न की आवश्यकता होती है जो प्रारम्भिक आवश्यकता मनुष्य के जीवन के लिए है, उसकी जानकारी सरकार को है या नहीं? अगर सरकार को जानकारी है तो सदन के सदस्यों को उसे बतावे और अगर नहीं जानकारी है तो उस जानकारी के लिए कोशिश की जाय। तो इसी मक़सद से यह प्रश्न पूंछे गये हैं। जब उत्तर नहीं दिया जाता है तो हम अन्धेरे में रहते हैं, सरकार अन्धेरे में रहती है। अभी आंकड़ों की बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। उनकी चर्चा मैं नहीं करूंगा लेकिन मैं इतना जानना चाहूंगा कि वाक़ई क्या सरकार के पास आंकड़े मौजूद नहीं हैं या देने में कोई हिचक हो रही है यह सब बातें सदन के सदस्यों को मालूम हो जायें।

अन्न-मन्त्री के सभा सचिव (श्री बनारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, माननीय गेंदा सिंह ने अन्न मन्त्री के जिस भाषण का जिक्र किया और अभी उन्होंने उसके कुछ अंश को पढ़कर सुनाया, यदि थोड़ा उनके भाषण को आगे भी पढ़ने की चेष्टा करते तो मैं समझता हूं

कि उनको स्वयं ही इसका उत्तर मिल जाता। अन्न मन्त्री जी ने उस समय भी कहा था कि हमारे प्रान्त में खाद्यान्न की कितनी आवश्यकता है इसके लिये अलग से कोई आंकड़े इकट्ठा नहीं किये गये और न हमारे प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों की आवश्यकताओं को जानने की कोशिश की गयी। साथ ही उन्हों ने यह भी कहा था और आगे चल करके बताया था कि हमको यह मालूम है कि हमारे प्रान्त के अन्दर कुल कितना अन्न पैदा होता है। उन्होंने यह भी बताया था कि सन् ४१ की हमारे प्रान्त की आबादी क्या है और अगर हम यह मान लें कि अर्बन एरिया में प्रत्येक व्यक्ति को १२ औंस अन्न की आवश्यकता है और रूरल एरिया में १६ औंस की आवश्यकता है और सन् ४१ की गणना के अनुसार ३० फ़ीसदी बच्चे हैं, और यदि खाद्यान्न की आवश्यकता के लिये हम उनको १५ फीसदी मान लें, तो इस प्रकार से ८५ फीसदी आबादी के लिये हमको १२ औंस शहर के लिये और १६ औंस देहात के लिये आवश्यकता है। तो उसमें उन्होंने यह बतलाया था कि हम उन आंकड़ों का मुक़ाबला करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सन् १९४३-४४ में हमारे शहरी और देहाती क्षेत्रों की जनसंख्या ५ करोड़ ६४ लाख थी। उस ५ करोड़ और ६४ लाख जन संख्या में ३० फीसदी बच्चे भी शामिल हैं। इस प्रकार से यदि उन ३० फ़ीसदी बच्चों को हम १५ यूनिट मान कर चलें तो क़रीब ८५ फ़ीसदी जनसंख्या १२ और १६ औंस के हिसाब से गल्ले को प्राप्त करती है। इस अनुपात से सन् १९४३--४४ में ७ लाख २८ हज़ार टन गल्ला हमारे यहां ज्यादा पैदा हुआ था। सन् १९४४--४५ में जब जन संख्या बढ़ गई तो वही गल्ला २ लाख ८० हज़ार टन हमारी ज़रूरत के अनुपात से कम पैदा हुआ। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने पूरे भाषण में हमारे प्रान्त के उत्पादन और हमारी आवश्यकता की ओर संकेत किया था। यह सही है कि उस रोज़ जो प्रश्न का उत्तर दिया गया था उसका मतलब यह था कि हमारे यहां कितने अन्न की खाने के लिए आवश्यकता है। अलग क्षेत्रों में जाकर के प्रत्येक फेमिली बजट को बनाना, उसके आधार पर आंकड़े इकट्ठे करना, इस प्रकार का कोई प्रयत्न सरकार की ओर से नहीं किया गया और जैसाकि अपने भाषण के अन्दर माननीय मन्त्री जी ने बताया इस पर खर्चा करना आवश्यक भी नहीं समझा गया। तो मैं अब श्री गेंदा सिंह जी की जानकारी के लिए आपके द्वारा यह बतलाना चाहता हूं कि सन् १९५१--५२ में हमारे तमाम प्रदेश में ८४ लाख ८२ हजार टन कुल अन्न पैदा हुआ था। यदि हम यह मान लें कि बीज के लिए दस प्रतिशत की आवश्यकता होती है, पांच फीसदी मवेशियों के लिए ज़रूरत होती है, ढाई फीसदी स्टोरेज के अन्दर नष्ट हो जाता है, कुल साढ़े सत्तरह फीसदी को काटकर जो अन्न हमारे प्रान्त के लोगों के खाने के लिए उपलब्ध होता है वह ७७ लाख ९० हज़ार टन है। तो यह हम दस साल के आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि यह हमारी आवश्यकता लगभग २.३५ लाख टन हमारे प्रान्त के अन्दर कमी की रहती है। उस रोज़ उत्तर में यही बताया गया था कि इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमको लगभग दो लाख टन अनाज बाहर से मंगाना पड़ता है। मैं नहीं समझ पाया कि उसके लिए गेंदा सिंह जी को क्या आश्चर्य हुआ ? जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा, हमारे पास सारे आंकड़े मौजूद हैं, तो कौन से आंकड़े उनको नहीं बताये गये ? दस जुलाई को भी उनको बताया गया और आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां जितना कुल अन्न पैदा होता है, उसमें साढ़े सत्तरह फीसदी को काट कर हमको इस प्रान्त के अन्दर प्रत्येक वर्ष लगभग २ लाख टन की आवश्यकता होती है। अभी आप ने बताया कि बस्ती के जिले में चावल सरकार की ओर से खरीदा जा रहा है, इसकी वजह से भाव बढ़ गये हैं। उनको मालूम होना चाहिये कि नैपाल के चावल को हमारे प्रदेश में आने पर पाबन्दी थी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गवर्नमेंट आफ इन्डिया को इस बात के लिए तैयार किया कि नैपाल से चावल के निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न हो और नैपाल से जो हमारे प्रदेश में चावल आता है उसका अनुमान लगभग ६८ हज़ार टन का है और ट्रान्स राप्ती एरिया के अन्दर वह चावल आता है। गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने इसी शर्त के ऊपर हमको इजाज़त दी थी कि हम उनको अपने प्रान्त से

[श्री बनारसी दास]

चावल खरीद करके देंगे। तो अभी १९ फरवरी, १९५३ ई० तक बनारस रीजन के अन्दर कुल ५२७ टन चावल खरीदा गया है और १९ फरवरी तक हमारे तमाम प्रान्त से १७,९९९ टन चावल खरीदा गया है। सन् १९५१ में १,२४,००० टन, १९५० में १,[illegible]१,००० टन और १९४९ में १,२३,००० टन। तो देश के उन क्षेत्रों में जहां चावल की कमी है, बाहर से चावल बहुत ऊंचे दामों पर मिलता है, आवश्यकता इस चीज की थी कि हम उन प्रदेशों में चावल भेजकर मदद करें और हमें जो गेहूं की कमी होती है वह हम गवर्नमेंट आफ इन्डिया से प्राप्त करके उसकी पूर्ति करें। मैं नहीं समझ पाया कि बनारस के रीजन में या बस्ती के जिले में जबकि ६० हजार टन चावल नैपाल से हमको प्राप्त होगा, उसमें से केवल ढाई हजार टन चावल प्राप्त किया गया है और बस्ती के जिले को और बनारस के रीजन की मदद की गयी है और वहां से अधिक चावल ले लिया गया है। तो आप देखेंगे कि इस समझौते से बस्ती और बनारस के रीजन को लाभ हुआ है। नेपाल का चावल हमारे इस प्रदेश को प्राप्त हो गया है और इसकी वजह से भाव के अन्दर कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह जो आशंका श्री गेंदा सिंह जी को इससे पैदा हो गई थी मैं समझता हूं कि इस उत्तर के बाद उन्हें संतोष हो जाना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर तो मैं पहले ही पढ़ चुका था। इस उत्तर के पढ़ने के बाद भी माननीय बनारसी दास जी ने मुझको एक उत्तर दिया था। उस उत्तर के बाद मुझे भ्रम होना स्वाभाविक था और इसलिये मैंने फिर आप से यह मांग की। एक बात मैं पहले भूल गया था और उसका जो बुरा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा वह बुरा प्रभाव यह पड़ा कि यूनियन फूड मिनिस्टर साहब ने कुछ दिन पहले सितम्बर या अक्तूबर के महीने में कहा था कि इस वर्ष २८ लाख टन चावल यू० पी० में पैदा होने जा रहा है और २८ लाख टन चावल पैदा हो गया। उसमें से हमारे माननीय मन्त्री जी ने यह भी क़बूल किया कि यू० पी० दो लाख टन चावल सेंटर को देगा। बदक़िस्मती की बात यह है कि हम इस मामले में दखल अन्दाजी नहीं करना चाहते हैं।

श्री बनारसी दास—यह नहीं कहा गया कि दो लाख टन चावल हम देंगे।

श्री गेंदा सिंह—यह कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन हमारी जानकारी हो गयी। फिर भी यह तो अभी माननीय बनारसी दास जी ने कहा कि वह दे रहे हैं, यानी खरीदे जो रहे हैं वह सेन्टर को देंगे। चावल की खरीद से हमारी हालत बिगड़ी और चावल को बाजार बहुत तेज हो गयी और वह एक जगह नहीं सारे प्रदेश में तेज हुई और आज भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इस तरह के प्रमाण हैं कि आज भी नैपाल का चावल जो माननीय बनारसी दास जी ने कहा, वह नेपाल का चावल नहीं खरीदा जा रहा है। यू० पी० का नैपाल के नाम पर खरीदा जा रहा है। नैपाल के लिये बाजार मौजूद है, अगर नैपाल के नाम पर अमेरिका और ब्रिटेन के लिए फौज भरती की जा सकती है नौतनवा में, तो क्या हम नैपाल में जाकर के चावल नहीं खरीद सकते हैं? उसके लिये उस बाजार का क्यों नहीं उपयोग किया जाता जो नैपाल से बाहर पड़ता है। कतई नैपाल का चावल यहां नहीं आ रहा है। वह चावल उन अभावग्रस्त क्षेत्रों का है जहां कई करोड़ मन पिछले वर्षों में ए० पी० स्कीम के मुताबिक अनाज दिया गया था।

दूसरी बात जो हमारे सामने है वह यह है कि जो आंकड़े हमारे सामने हैं, हम क्या बतावें कि वे क्या हैं। वे आंकड़े तो ब्रह्मा की रेखा हैं। वह हट नहीं सकते, लेकिन मैं इसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि ९५ लाख २८ हजार टन सन् ५१ में पैदा हुआ। आवश्यकता जो हमारी है उसके सम्बन्ध में माननीय बनारसी दास जी जो बतला रहे हैं उससे मालूम होता है कि हमारा देश सरप्लस है और हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है। लेकिन मैं उनकी राय से इत्तिफ़ाक़ नहीं करता। मैं समझता हूं कि ८ आउंस या १० आउंस की बात जो वह करते हैं, वह गलत है। जो गांव का रहने वाला है उसे

ज्यादा अनाज की जरूरत है। जो सिम्पिल सर्वे की बात सारे देश में हो रही है वह कुछ और है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे देश में आंकड़ों के पंडित हैं, श्री जे० के० पांडे, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था लखनऊ यूनिवर्सिटी में कि हमारे यहां पश्चिमी जिलों में लोग औसतन १३ छटांक खाते हैं और ९ छटांक देवरिया जिले के लोग जो सबसे कम खाते ह। तो अगर इस पर भी हिसाब लगाया जाय तो हमें एक करोड़ ४ लाख टन की जरूरत पड़ती है। अब १९५१ में ९५ लाख टन पैदा हुआ है। अगर यह बात सही है तो फिर यूनियन के फूड मिनिस्टर साहब ने जो १६ लाख फरमाया है क्या वह सही नहीं है। मैं यह ठीक नहीं समझता कि इन पचड़ों में पड़कर यू० पी० पिस जाय। यह ठीक नहीं है कि यू० पी० का चावल नेपाल के चावल के नाम पर खरीदा जाय और लखनऊ के लोग उसकी वजह से दुख भोगें और हम तो अभावग्रस्त क्षेत्र के हैं ही, हम तो भोग ही रहे हैं। जैसा कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि आंकड़ों को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिये। मैं यह कहता हूं कि यह बात बहुत साफ हो जानी चाहिये कि कितने अन्न की हमें आवश्यकता है, कितना अन्न हम पैदा करते हैं, यह सब मालूम होना चाहिये। क्या यूनियन के फूड मिनिस्टर साहब जो कहते हैं वह सही है या माननीय बनारसीदास जी कहते हैं वह सही है, या सिम्पिल सर्वे जो है वह सही है, या यू० पी० में जो काटन सर्वे हो रहा है वह सही है, या पटवारियों के आंकड़े सही हैं ? इस घपले में हम किसी जगह पर नहीं पहुंच पाते और सही नतीजे नहीं निकाल पाते। इसलिये इसकी सफाई हो जाना अत्यावश्यक है।

श्री बनारसी दास—श्रीमन्, अभी माननीय गेंदा सिंह जी ने यूनियन के फूड मिनिस्टर का भी जिक्र किया। मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है और यहां जो कुछ बतलाया गया है अगर आप उनको थोड़ा गौर के साथ देखें तो उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। उन्होंने चावल के बारे में जो बतलाया, वह उनका अनुमान था। जहां तक खाद्य स्थिति का सम्बन्ध है यदि आप १० साल के आंकड़ों को देखें तो उनके अन्दर ८ या १० फीसदी का अन्तर हो जाना स्वाभाविक है। क्योंकि खेती की पैदावार बहुत से कारणों पर निर्भर रहती है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि जैसे बहुत से कारण होते हैं लिहाजा जो अनुमान उन्होंने लगाया था यदि सारी स्थितियां अनुकूल होतीं तो इसमें संदेह नहीं है कि जितने चावल की पैदावार की आशा वह करते थे उतनी ही पैदावार यहां पर होती। आपने अभी कहा था कि मैंने कहा लेकिन मैंने तो यह नहीं निवेदन किया था कि हमारे यहां लोगों को ८ आउंस की जरूरत होती है। वह कहीं ज्यादा होती है और कहीं कम। देहाती क्षेत्रों में १६ आउंस की जरूरत होती है और शहरी क्षेत्र के अंदर १२ औंस का अंदाजा लगाया है। हमारे यहां कितनी पैदावार होती है उसके आंकड़े मैं आपको बतला चुका हूं। बहरहाल उत्पादन विभाग द्वारा या कृषि विभाग द्वारा यह आंकड़े उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा व्यापारियों के पास स्टाक रहता है। यह एक अनुमान है। इसलिये हम यह नहीं कह सकते हैं पूर्णतया अक्षरशः सही है। उनके ५/७ परसेंट की गुंजायश हो सकती है। अभी प्रांत की आबादी आपको मालूम है, जितनी पैदावार हमारे यहां होती है वह आपको मालूम है और जितनी मवेशियों की आवश्यकता है, वह आपको मालूम है और जितने बीज की आवश्यकता होती है उसका परसेंटेज आपको मालूम है, उसके आधार पर मैं नहीं समझता हूं कि कौन सी दिक्कत है कि हमें यह पता न हो कि हमारी आवश्यकता क्या है। क्या आप चाहते हैं कि इसके लिये सर्वे कराया जाय और एक गणना ली जाय और जगह जगह पर जाकर सैम्पिल सर्वे की जाय। और जैसा कि पांडे जी का हवाला दिया गया है, मैं जानता हूं कि प्रांत में ऐसे भी आदमी हैं जो ढाई सेर रोज खाते हैं और ऐसे भी आदमी हैं जो २–३ छंटाक रोज खाते हैं। अगर ढाई सेर का अंदाजा लगाकर चलें तो मैं समझता हूं कि जितना उत्पादन बतलाया गया है उससे कई लाख टन की ज्यादा आवश्यकता होगी। औसत यह लगाया गया है। गालिबन तिवारी जी अपनी बात का अंदाजा लगा लेंगे। बहरहाल, यह औसत सही है कि देहाती क्षेत्र में १६ छंटाक और

[श्री बनारसी दास]

शहरी क्षेत्र में ६ छटांक और यह सही मालूम होता है। इसके अन्दर दालें शामिल नहीं हैं और वह चीज शामिल नहीं हैं जिनसे उदर की पूर्ति होती है।

चावल के संबंध में जिक्र किया गया। उसके बारे में आपने कहा कि नैपाल में क्यों नहीं खरीदा गया। मैंने अर्ज किया नैपाल की तराई का हिस्सा मिला हुआ है और काफी लोग वहां खेती करते हैं और नैपाल की तराई के लोग पहले वहां आकर मंडी में चावल बेचते थे, लेकिन नैपाल गवर्नमेंट ने प्रतिबंध लगा दिया जिसकी वजह से बस्ती और देवरिया वगैरह के लोगों को तकलीफ होती थी। इसलिय प्रांतीय सरकार न केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि वह प्रतिबंध न लगाय। नैपाल की तराई में पैदावार अच्छी हुई है और करीब ६० हजार टन चावल हमारे यहां आयेगा और जो मैंने आंकड़े बतलाये हैं कि २ हजार ५०० टन चावल खरीदा गया है तो इसके साथ ही साथ यह आदेश दे दिये गये हैं। आप कहते हैं कि चावल का भाव २३ रुपये है। लेकिन हमने यह आदेश जिलों को दे दिये हैं कि यदि अनाजों के भाव बढ़ें तो २२ रुपये पर इम्पोरटेड व्हीट वहां लोगों को दिया जा सकता है और बनारस में लोगों की मदद करने के लिय अनाज मौजूद है, जो सस्ते दामों पर दिया गया था। तो मैं नहीं समझता कि फिर वहां किसी तरह की कोई आशंका हो सकती है। जिन परिस्थितियों में चावल खरीदा गया है आप उनसे मतभेद नहीं कर सकते हैं। केन्द्र को चावल देने की आवश्यकता है। मैंने यह नहीं कहा था कि हम १२ लाख टन चावल देंगे, क्योंकि आज हमारे यहां मोनोपोली प्रोक्योरमेंट नहीं है। जितनी मात्रा में हमें मिलेगा उतना ही हम देंगे और जितना ज्यादा हम देंगे उतना हमें मिल जायगा। इसलिये चावल वहां भेज देने से कोई खराब असर नहीं पड़ेगा। इसलिये जो अभी आपने स्पष्टीकरण मांगा है, मैं समझता हूं कि इस उत्तर से वह साफ हो जायगा।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२५ फरवरी, १९५३।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश

पी० एस० यू० पी०—१०१ एल० ए०, १९५३—८३०